Page No.1

राजस्थान विधान सभा

दशम बैठक, दिनांक २३, फरवरी १९५३

सदन का कार्य २ बजकर ५ मिनट पर प्रारम्भ हुवा।

(श्री नरोत्तमलालजी, अध्यक्ष) (पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २००

श्री श्यामलाल गोयल—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

१. आर. ए. एस. की जो सीनियोरिटी लिस्ट बनी है वह आखरी (फाइनल) है ?

२. अगर हां, तो उस लिस्ट की सीनियोरिटी के मुआफिक पोस्टिंग कर दिये गये हैं ?

३. अगर नहीं तो क्यों नहीं और अब उस लिस्ट के अनसार कब तक पोस्टिंग करने का सरकार का इरादा है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—

१. नहीं।

२. पैदा नहीं होता।

३. मामला विचाराधीन है। ज्यों ही सूची मुकम्मिल हो जायगी त्यों ही आर. ए. एस. के अफसर लोगों की बात तय हो जायगी।

श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई तिथि मुकर्रर करेंगे कि कब तक फाइनली तय हो जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—सूचियों का अन्तिम रूप से तय होना एक तिथि के आधार पर नहीं कहा जा सकता।

श्री जसवन्तसिंह—तो फिर किस आधार पर तय होता है ?

श्री जयनारायण व्यास—जहां तक सीनियोरिटी का सवाल है मुकम्मिल रूप से हल हो चुका है फिर भी निश्चित तिथि बताना नामुमकिन है।

श्री जसवन्तसिंह—तो भी यह तो बताया जा सकता है कि दो महिनों में, चार महिनों में, १० महिनों में, साल भर में या दो साल में, यह फाइनली कब तक तय हो जायगा।

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि दो चार महिनों का भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक भी मामला पेचीदा बाकी रह जाय तो ६ महिने भी लग सकते हैं । अतः ऐसे मामलों में ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता । हां, मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा बल्कि बहुत जल्द ही तय हो जायगा ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई खास अफसर हैं जिनका कि ख्याल किया जाना है, और पेचीदगियां क्या हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे दोस्त शासन कार्य चला चुके हैं। किसी खास ऑफिसर के सवाल की बातें होती थीं तो पहले होती थीं अब, नहीं होतीं ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या गारण्टी है कि अब नहीं होतीं ?

श्री जयनारायण व्यास—गारण्टी यही है कि हम ऐसे उत्तरदायी शासन को चलाते हैं जिसमें ऑपोजीशन है ।

श्री खेतसिंह—क्या नॉन आर. ए. एस. ऑफिसर्स भी इस मुकम्मिल आर. ए. एस. ऑफिसर्स की सूची में सम्मिलित किये जायेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—आर. ए. एस. की सूची में नॉन आर. ए. एस. को सम्मिलित नहीं किया जाता ।

श्री खेतसिंह—जो हार्ड केसेज बाकी हैं उनका भी इन्टरव्यू किया जायगा या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—हार्ड केसेज के इन्टरव्यू किये जा चुके हैं और लिये भी जा चुके हैं और भी इस तरह के केसेज का सवाल आयगा तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री हिम्मतसिंह—कितने अर्से से यह प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री जयनारायण व्यास—विचाराधीन ही नहीं कार्याधीन भी किया जा चुका है ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या इनकी प्रकृति निर्धारित की जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—प्रकृति परिवर्तनशील है, वह निर्धारित नहीं की जा सकती ।

श्री हिम्मतसिंह—सोफ्ट केसेज और हार्ड केसेज में क्या फर्क है ?

श्री जयनारायण व्यास—सोफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक को तो मैं समझता हूं ; पर सोफ्ट केसेज और हार्ड केसेज को नहीं समझता ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या आपने कभी सोफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक का टेस्ट किया है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर !

श्री मानसिंह महार—यह लिस्टें कितनी बार रद्दोबदल हो चुकी हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—पूरी सूची तो नहीं बता सकता; पर आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि कई सौ बल्कि कई हजारों आदमियों का मामला आया है। तरह तरह की स्टेट्स से तरह तरह के मामले आये हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नियम थे; जिनको निबटाने में तरह तरह की बातें, तरह तरह की पेचीदगियां रहती हैं। उनमें कई बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिन पर पुनः विचार करना आवश्यक हो जाता है। अतः हो सकता है कि कई सूचियां बनी होंगी।

श्री हिम्मतसिंह—फुटबाल कितने दिन तक होगा और गोल कब होगा ?

श्री जयनारायण व्यास—पूरे वक्त तक फुटबॉल खेला जाता है और पूरे वक्त पर ही गोल होता है; और गोल हो ही, यह बात नहीं है। कभी कभी गोल नहीं भी होता है।

प्रश्न संख्या २०१

श्री श्यामलाल—क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

इस समय कितने अफसर या मातहत स्टाफ के मौअत्तिली के मामले राजस्थान में चल रहे हैं और कब कब से चल रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—गजेटेड अफसरों के संबन्ध में सूचना, सदन की मेज पर रखी जा चुकी है। नॉन गजेटेड अफसरों के संबंध में सूचना जल्दी प्राप्त नहीं हो सकी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री श्यामलाल—Mr. Speaker, I have not been given a copy of the information laid on the Table. I should have been given a copy before-hand.

श्री जयनारायण व्यास—But, Sir, I had ordered a copy to be handed over to the Hon'ble Member. It might not have reached him either on account of the fault of the peon or the Member might have been out of his house.

श्री जसवन्तसिंह—Could not a copy be given to the Hon'ble Member when he arrived here ? Such a copy could be handed over to him here.

श्री जयनारायण व्यास—Is it the intention of the Hon'ble Member that I should distribute myself the copies of papers which are laid down on the Table of the House ?

Page No.4

श्री जसवन्तसिंह—It is never our intention that a great man like the Hon'ble Chief Minister should do this himself. But then the Hon'ble Minister has got hundreds of officers and men under him. They could be asked to hand over such copies to Members.

श्री जयनारायण व्यास—Orders were issued to hand over the copies to the Hon'ble Member. If there was any mistake on the part of the peon I will look into it.

श्री हिम्मतसिंह—लगातार कोई ऑफिसर ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक मोअत्तिल रहा; एक साल, दो साल, तीन साल, या दस साल ?

श्री अध्यक्ष—During the term of suspension.

श्री जयनारायण व्यास—जनवरी १९५२ के पहले का कोई केस मेरी नजर म नहीं आया।

श्री हिम्मतसिंह—क्या आप तादाद बता सकते हैं कि कितन गजेटेड अफसर मोअत्तिल हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—ग्यारह।

श्री मानसिंह—क्या यह सही है कि कुछ नॉन गजेटेड अफसर ऐसे हैं जो एक डिपार्टमेंट से तो मोअत्तिल कर दिये जाते हैं किन्तु दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर नौकरी करते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सवाल दूसरा है।

श्री हिम्मतसिंह—कोटा के पॉवर हाउस के इन्जीनियर कितने अर्से तक मोअत्तिल रहे ?

श्री जयनारायण व्यास—आप उनका नाम बता द तो मैं बता सकता हूं।

श्री हिम्मतसिंह—जी, उनका नाम है मि० सक्सेना।

श्री जयनारायण व्यास—वे जून १९५३ से मोअत्तिल हैं।

श्री हिम्मतसिंह—इससे पहले वे कितने अर्से तक मोअत्तिल रहे ?

श्री जयनाराहण व्यास—पूरा रेकार्ड मेरे पास नहीं है इस समय। मैं हरेक आदमी की पर्सनल फायल साथ नहीं लाया हूं कि जिसको देखकर यह बतला दूं कि पहले कितनी बार वे मोअत्तिल रहे हैं।

श्री दलीपसिंह—क्या सैटिलमेन्ट विभाग का भी कोई अफसर मोअत्तिल ह ?

श्री जयनारायण व्यास—जरूर है साहब।

श्री जसवन्तसिंह—क्या एक जगह से मोअत्तिल हुए अधिकारी दूसरी जगह नौकर रह सकते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह नियम विरुद्ध है। यदि कोई मिसाल सामने रखेंगे तो जरूर देखूंगा।

श्री दलीपसिंह—क्या सैटलमेण्ट के उन अफसर की इन्क्वायरी खत्म नहीं हुई ?

श्री जयनारायण व्यास—इन्क्वायरी का फैसला नहीं हुआ; तभी तो वे अब तक मोअत्तिल हैं।

श्री दलीपसिंह—लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री अध्यक्ष—The list is placed on the Table of the House. Hon'ble Members can look into it and further question can be tabled.

श्री श्यामलाल—दूसरे हिस्से के, नोन गजेटेड स्टॉफ के बारे में जवाब कब तक मिलेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—नॉन गजेटेड अफसरों के बारे में तो सूचना मगांने में कोई अधिक समय नहीं लगता लेकिन नॉन गजेटेड स्टॉफ "एज ए होल" के बारे में जल्दी सूचना मगांना संभव नहीं है। यह हो सकता है कि किस तारीख को कितने नॉन गजेटेड स्टॉफ सस्पेण्डेड थे। यह बताया जाय तो मैं बता सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—As on the date the Question was placed.

श्री जयनारायण व्यास—यदि ऐसी सूचना मांगी जायगी तो जरूर मंगाई जायगी। महिना डेढ महिना तो फिर भी लग सकता है; क्योंकि तहसीलदारों को भी इसके बारे में लिखना पड़ेगा। यदि उनका कोई चपरासी भी मोअत्तिल है तो उसका भी नाम लिखना पड़ेगा या सड़कों पर काम करने वाले मेट हैं और उनके नीचे तीन आदमी काम करते हैं और उनमें से भी कोई मोअत्तिल है या नहीं; यह भी सूचना मंगानी होगी। इसमें कम से कम २ महिने लगेंगे।

प्रश्न संख्या २०२

श्री भवानी सहाय—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९५१ में अलवर शहर में कितने खून हुए हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि लाल दरवाजे बाहर १ महाजन तथा उसकी पत्नी मकान के बाहर सड़क पर रात के ८ बजे कत्ल कर दिये गये ?

(ग) यदि यह दुर्घटना सत्य है तो इन दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ?

(घ) इन दोनों की हत्या करने के पश्चात् खूनी कितना धन तथा आभूषण इनके घर से ले गये ?

(ङ) इस विषय में पुलिस ने अब तक कितनी गिरफ्तारियां कीं और किसके खिलाफ कितनी कार्यवाही पुलिस अब तक कर चुकी है ?

Page No.6

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) शहर अलवर में सन १९५१ में कुल २ कत्ल के मुकद्मे दर्ज हुए। एक मुकद्मा नं. १५७ ता. १५-१२-५१ को जुर्म ३०२ का ता० हि० थाना पुलिस कोतवाली अलवर है जिसमें १ मुलजिम का चालान हुआ है । नं० २ मुकद्मा नं० १५९ ता० २९-१२-५१ जुर्म ३०२ ता० हि० थाना पुलिस कोतवाली ; यह मुकद्मा जेर तफ्तीश है ।

(ख) यह सत्य है कि अलवर शहर में देहली दरवाजे बाहर एक महाजन व उसकी धर्म-पत्नी का कत्ल ता० २९-१२-५१ को वक्त १०.३० बजे रात हुआ है । लाल दरवाजे बाहर भी यह कत्ल होना कहा जा सकता है । कत्ल की जगह से देहली दरवाजा नजदीक पड़ता है । इस कत्ल में मकतूल, श्री कन्हैयालाल महाजन व उसकी धर्म-पत्नी मुसम्मात नारायणी थी। इनकी दुकान व मकान आम सड़क पर है। और कन्हैयालाल का कत्ल कन्हैयालाल की दुकान के अन्दर हुआ था व कन्हैयालाल के रोने पर मुसम्मात नारायणी पोलीके दरवाजे के बाहर आई त्यों ही उसका भी कत्ल कर दिया गया था;

(ग) मुसम्मात नारायणी धर्मपत्नी श्री कन्हैयालाल मकतूल को तारीख २९-१२-५१ को वक्त सवा ग्यारह बजे शफाखाना एलेक्जेण्डर, अलवर ले जाया गया तो वहां डाक्टर ने उसको देखा तो वह मरी हुई थी । उसके बदन पर सात चोटें लगी हुई थीं । मौत का कारण डाक्टर साहब ने दर्ज किया है कि बहुत ज्यादा खून निकल जाने व सदमे से मौत हुई है । श्री कन्हैयालाल घायल को तारीख २९-१२-५१ को सवा ग्यारह बजे रात में अस्पताल एलेग्जैण्डर म पुलिस ले गई उस वक्त वह जिन्दा था । तारीख ३०-१२-५१ को ४ बजकर ४० मिनिट पर दोपहर बाद शफाखाने में मर गया । उसके शरीर पर ११ घाव थे जो धारदार आला से थे । मौत का कारण इसमें भी वही बतलाया गया जो मुसम्मात नारायणी के केस में बतलाया गया है, यानी श्री कन्हैयालाल की मौत बहुत ज्यादा खून निकलने व सदमे से हुई है ।

(घ) तफ्तीश से जैसा कि पाया गया है दोनों की हत्या के बाद खूनी कोई द्रव्य या आभूषण उनके घर से नहीं ले गये ।

(ङ) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । क्योंकि मुकदमा अभी जेर तफ्तीश है इसलिए और अधिक बातें बतलाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

श्री भवानीसहाय—इतने दिन कत्ल को हुए और अब तक पुलिस किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी ?

श्री कानसिंह—क्या किसी पर भी शक नहीं हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

प्रश्न संख्या २०१

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

(अ) ग्राम टहला के पास ही डबकम ढानी के दो वाशिन्दों का खून किया गया है ?

Page No.7

(ब) यदि यह घटना सत्य है तो इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—(अ) हां, यह सही है कि ग्राम टहला के पास ही डबकन ढानी के १६ वर्षीय एक लड़के तथा ११ वर्षीय एक लड़की के शव मिले थे और मामले का पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है ।

(ब) अनुसन्धान कार्य की प्रगति अथवा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के प्रकार का प्रगट करना वर्तमान स्थिति में लोक-हित में नहीं है ।

श्री भवानीसहाय—रिपोर्ट को लोक-हित में नहीं प्रगट करना कहा गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी प्रगट करना लोक-हित में नहीं होता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई विशेष बात नहीं है । लड़की के पैर कटे हुए मिले थे और शरीर पर लाठी की चोटें थीं ।

श्री भवानी सहाय—जब इस प्रकार के कत्ल हो रहे हैं तो पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—पुलिस खूनियों की तलाश कर रही है ।

एक सदस्य—खूनियों की कब तक तलाश हो जायगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—किसी किसी मामले में तो अपराधियों का शीघ्र ही पता लग जाता है और वे पकड़ लिए जाते हैं और किसी किसी मामले में बहुत देर से पता लगता है और किसी २ मामले में पता लगता भी नहीं है । अतः मैं नहीं कह सकता कि कब तक खूनियों का पता लग जावेगा ? वैसे पुलिस पता लगाने का काम कर रही है ।

श्री भवानी सहाय—तो इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—पुलिस को सावधान रहने के लिये चेतावनी दी गई है ।

श्री गुरुदयाल सन्धु—जब पुलिस के अफसर और कर्मचारी लापरवाही करते हैं तो उनके लिए सरकार ने क्या कोई एक्शन लिया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अगर पुलिस के अफसर या कर्मचारियों की कोई गलती या नेग्लिजेन्स पाई जाती है तो उन्हें सजा दी जाती है ।

श्री कानसिंह—क्या ये वारदातें पुलिस द्वारा मिल कर तो नहीं की जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०३—(ए)

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(अ) थाना टहला में गत वर्ष कितने कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए हैं ?

(ब) क्या अजबगढ के बन्ध की तलहटी में एक औरत का खून कर दिया गया था ?

(स) यदि यह बात सत्य है तो उस शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है और पुलिस ने खनी को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—

(अ) थाना टहला में गतवर्ष एक हत्या की रिपोर्ट दी गई थी।

(ब) यह सही है कि एक स्त्री का शव मिला था और मामले का पुलिस द्वारा अनुसन्धान किया जा रहा है।

(स) अनुसन्धान कार्य की प्रगति अथवा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के प्रकार का प्रकट करना वर्तमान स्थिति में लोक–हित में नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कॉन्फिडेन्शियल होती है ?

श्री भवानी सहाय—क्या यही अजबगढ़ के तलहटी में हुआ खून है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—जी हां।

श्री भैंरु सिंह—मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि क्या पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट भी कॉन्फिडेन्शियल होती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—कभी२ कॉन्फिडेन्शियल होती है। उसका एडवर्टाइज्मेण्ट नहीं किया जाता है।

श्री भैंरू सिंह—क्या इस हाउस म बताना भी एडवर्टाइज्मेन्ट करना है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—इस हाउस में बताने से भी एडर्टाइज्मेन्ट हो सकता है क्योंकि यहां बतलाई बातें अखबार में जाती ही हैं।

श्री कानसिंह—तो क्या यह रिपोर्ट यों ही रहेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि इस प्रकार की सूचना बाहर जाने से अपराधियों को पकड़ने में कठिनाई पैदा हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह बतलाना लोक हित में नहीं है।

श्री भवानीसिंह—क्या यह सही है कि कोई आदमी पकड़ा गया था और उसको जमानत पर छोड़ दिया गया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०४

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या यातायात मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

बूंदी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में राजस्थान सरकार की आधी से अधिक केपिटल लगी हुई है और प्रोफिट से यह कम्पनी चल रही है ; ऐसी अवस्था में सरकार इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रही है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—राजस्थान में मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । अतः इस प्रश्न के निर्णय होने पर तथा उसके कार्यरूप में परिणत किये जाने पर इस संस्था के सम्बन्ध में भी उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री भैरूंसिंह—राष्ट्रीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—यह बड़ी गम्भीरता से दो माह से विचार किया जा रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह गैर गम्भीरता से कितने दिनों से विचार किया जा रहा है?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—जब से राष्ट्रीयकरण की दुनिया में चर्चा हुई तब ही से विचार किया जा रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दो महीने से तो इस राष्ट्रीयकरण पर जिम्मेदारी से विचार किया जा रहा है और इससे पहिले गैर जिम्मेदारी से विचार करने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि मैंने यह कहा था कि दो महीने से इस पर गम्भीरता से विचार किया जारहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसको गम्भीरता मान लिया जाय तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि दो महीने से पहिले इस प्रश्न पर क्यों गैर गम्भीरता से विचार किया जा रहा था ?

श्री भोलानाथ—"गैर गम्भीरता" कोई शब्द ही नहीं है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—इस कम्पनी में सरकार की कितनी रकम लगी हुई है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--आधी से अधिक ।

श्री रामदयाल उपाध्याय--मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितनी पर्सेन्ट इसमें रकम लगी हुई है ?

एक सदस्य--इस कम्पनी की कितनी आमदनी है और उस हिसाब से कितनी पर्सेन्ट रकम सरकार की इस कम्पनी में लगी हुई है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--गवर्नमेन्ट से इस कम्पनी का कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री भैरूंसिंह (१६)--क्या राजस्थान में बसेज के राष्ट्रीयकरण की योजना के अन्तर्गत कुछ बसेज खरीदी गई हैं ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--खरीदी गई हैं ।

श्री भैरूंसिंह--राष्ट्रीयकरण के पहले ही उन बसेज का खरीदा जाना गम्भीर था या गैर-गम्भीर ?

श्री मानसिंह--जो बसेज खरीदी गई थीं तो उनको रूट्स पर क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री भोलानाथ--राष्ट्रीयकरण की बाकायदा स्कीम है और वह सरकार के विचाराधीन है । कोर्पोरेशन के अन्तर्गत ही ये बसेज चलाई जाती हैं और राष्ट्रीकरण वही समझा जाता है । यदि सरकार खुद बसेज चलायें तो भारत सरकार इजाजत नहीं देती । कोर्पोरेशन बिल आपके समक्ष पेश किया जाने वाला है ।

श्री दिलीपसिंह (विपक्षी)--जब विचाराधीन था तो बसें क्यों खरीदी गईं ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--सरकार जब किसी बात की तैयारी करती है तो ऑर्डर्स पहले ले लेती है ।

श्री तनसिंह--मोटरें कब खरीदी गईं ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--एक साल से अधिक समय हो गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब ५५ प्रतिशत सरकार की कम्पनी में पूंजी लगी हुई है तो उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--राष्ट्रीयकरण के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिये । ३० बसें जो सरकार ने ली हैं उनसे पूरा काम नहीं चलता । अधिक की आवश्यकता है और इसके लिए केपिटल की भी आवश्यकता है । अतः मैंने पहले इसीलिये कहा था कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मौजूदा कन्सर्न लाभदायक है या नहीं ?

श्री जसवन्तसिंह--ये बसें कितनी कीमत में खरीदी गई थीं ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कानसिंह--कितनी बसें खरीदी गई थीं ?

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)--बसेज का डिप्रिसियेशन हो रहा है ; इसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मन्त्री)--मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न से इसका क्या सम्बन्ध है।

श्री कानसिंह--बसें कितनी खरीदी गई थीं ?

श्री भोलानाथ (यातायात मन्त्री)--मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

श्री संतोषसिंह--कम्पनी में पचास पर्सेन्ट से अधिक सरकार की पूंजी है ; तो उस कम्पनी का मेनेजमेन्ट किसके हाथ में है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मन्त्री)--मैनेजमेन्ट तो कम्पनी के हाथ में है, किन्तु गवर्नमेन्ट के डाईरेक्टर्स हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेजोरिटी गवर्नमेण्ट के डाईरेक्टर्स की है या कम्पनी के डाईरेक्टर्स की ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--यह प्रश्न तो इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेण्ट से पूछा जाना चाहिये।

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या इस कम्पनी ने सरकार पर कोई दावा कर रखा है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--प्राइवेट कन्सर्न के बारे में यह सवाल उचित नहीं मालूम होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब सरकार का उस कम्पनी में आधे से अधिक हिस्सा है तो क्या सरकार उस पर देख-रेख रखना उचित नहीं समझती ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)--जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतना वह देखती ही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--डाईरेक्टर्स की मेजोरिटी है या नहीं ; क्या वे अपना फर्ज नहीं देखते ?

श्री **अध्यक्ष**—This is not the concern of the present Minister. This is the concern of the Industries and Commerce Minister—Next.

प्रश्न संख्या २०५

श्री **छीतरमल शर्मा**—क्या सार्वजनिक निमार्ण मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड की विद्युत—वितरण की अव्यवस्था के उपरान्त भी सरकार इसको अपने आधीन लेकर उचित प्रबन्ध करने में उदासीन क्यों है ?

श्री **भोलानाथ**—अर्थाभाव के कारण ।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या अर्थाभाव के कारण सरकार को उदासीन होना जरूरी है ?

श्री **भोलानाथ**-अर्थाभाव इतनी बड़ी उदासीनता है कि अपने आप उदासीन रहना पड़ता है।

श्री **हिम्मतसिंह**—क्या उदासीनता और ज्यादा तो बढ़ती नहीं जावेगी ।

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर ! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०६

श्री **सरदारसिंह**—क्या शिक्षा मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(१) डिस्ट्रिक्ट टोंक में किन किन ग्रामों में सरकारी मिडिल स्कूल हैं और उनका बजट क्या क्या है ?

(२) मिडिल स्कूल खोलने के लिए ग्राम की कम से कम क्या आबादी व छात्रों की क्या संख्या होनी चाहिये ?

(३) क्या यह सच है कि ठिकाने उनियारे के ग्राम नगर व बनेठा में दो दो स्कूल चल रही हैं ?

(४) अगर हां, तो इन ग्रामों की आबादी क्या है ? ये हर दो स्कूल किसकी तरफ से और कब से चल रहे हैं और इनकी छात्र संख्या क्या क्या है और कहां तक इन स्कूलों में शिक्षा दी जाती है ?

(५) अगर ठिकाने के इन बनेठा व नगर के ग्रामों में सरकारी स्कूल हैं तो इसका बजट क्या क्या है ?

Page No.13

श्री **नाथूराम मिर्धा**--(१) टोंक डिस्ट्रिक्ट में १० मिडिल स्कूल हैं। अलीगढ़, बनेठा, झिलाय, दतवास,पीपलू, दूनी, राजमहल, नासिरदा, पचेवर व लाम्बा हरिसिंह, इन स्कूलों का इकट्ठा बजट रु० ६५५८६) है ।

(२) मिडिल स्कूल खोले जाने के लिये कोई खास नियम निर्धारित नहीं हैं । इसका सम्बन्ध आसपास की प्राईमरी स्कूलों की छात्र संख्या से है। १० छात्रों से कम की कोई क्लास नहीं खोली जाती ।

(३) ठिकाना उनियारा में ग्राम बनेठा व नगर में दो-दो स्कूलें चल रही हैं।

(४) इन दोनों प्रत्येक गांव की आबादी चार हजार से अधिक है । यह दोनों स्कूलें जनता के लिये गवर्नमेण्ट द्वारा खोले गये थे । यहां ठिकाने के स्कूल पहले से थे, लेकिन वहां की जनता ने यह प्रमाण देकर कि ठिकाने के स्कूल केवल नाम मात्र के हैं और वहां पर अयोग्य एवं अपर्याप्त स्टॉफ है तथा ठिकाने ने केवल अपने नाम के लिये दो-दो, तीन -तीन अध्यापक रख कर मिडिल स्कूल का नाम चला रखा है, सरकारी स्कूल खुलवाये । जहां तक मालुम हुआ है शिक्षा विभाग ने इसी आधार पर अपने सरकारी प्राईमरी स्कूल खोले हैं । मौजूदा ठिकाने के मिडिल स्कूलों में जो नॉन क्वालिफाइड स्टॉफ है वह मिडिल स्कूल में रखे जाने योग्य नहीं है ।

(अ) मिडिल स्कूल बनेठा में छात्र संख्या ५७, तथा कक्षा ६ तक स्कूल है। जौलाई में छात्र संख्या १०० थी जो ठिकाने की कशमकश से घटती जा रही है।

(आ) प्राइमरी स्कूल नगर छात्र संख्या ७०, कक्षा ५ तक का स्कूल है।

(५) स्कूल-वार अलग अलग बजट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के पूरे स्कूलों का बजट प्राइमरी व मिडिल स्कूलों का अलग अलग इकट्ठा बजट है ।

श्री **जसवन्तसिंह**--क्या सरकार को यह पता है कि सरकारी ऐसी कई स्कूलें हैं जहां के अध्यापक अयोग्य हैं ।

श्री **नाथूराम मिर्धा**--यह बिल्कुल गलत है ।

श्री **सरदारसिंह**--मैं ऐसे भी उदाहरण दे सकता हूं जहां चालीस लड़के हैं किन्तु एक भी अध्यापक नहीं ?

श्री **नाथूराम मिर्धा**--यह तो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।

श्री **सरदारसिंह**--क्या उनियारा में गर्ल्स स्कूल है ?

श्री **नाथूराम मिर्धा**--यह प्रश्न ऊपर के प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

Page No.14

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—क्या सरकार यह मानती है कि ठिकाने के स्कूलों में जहां लड़के ज्यादा हैं वहां अध्यापक अयोग्य हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा—इसमें बहुत कम सही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के लिये यह दुरुस्त नहीं होगा कि वह ठिकानों को कहदे कि ऐसी स्कूलें न चलावें।

श्री नाथूराम मिर्धा—ठिकानों को लिखा था; किन्तु समय समय पर मिलने पर यह बात जाहिर हुई।

श्री रामदयाल उपाध्याय—टोंक जिले में जो कन्या पाठशाला है वहां की अध्यापिकायें परदा रखती हैं और पढ़ी लिखी भी नहीं हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा—यह अलग सवाल है, इसका नोटिस चाहिये।

श्री सरदारसिंह—मैं यह सेन्सस रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित कर सकता हूं कि उणियारा की आबादी पेंतालीस हजार है।

श्री अध्यक्ष—आर्डर! आर्डर!

प्रश्न संख्या २०७

श्री एच. के. व्यास—Will the Chief Minister be pleased to answer:—

What steps has the Government taken to honour the assurance, the leader of the House and Chief Minister gave on the floor of the House on 22-10-1952 about reconsidering the question of demands and victimisation of the Nurses and Compounders?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—There has been no victimisation. Disciplinary action for violating the Government Servants Conduct Rules was, however, taken against some of the Nurses and Compounders who have not appealed to Government and their appeals have been forwarded to the Rajasthan Public Service Commission for advice under the Rules.

श्री एच. के. व्यास—Sir, my question has not been answered. My question is what steps has the Government taken to honour the assurance given by the Leader of the House and the Chief Minister on the floor of the House on 22-10-52 about *reconsidering* the question. This is the specific question.

श्री जयनारायण व्यास—The question revolves round about 'victimisation' and demands also. There was no victimisation. The demands had already been considered and the then Leader of the House had already answered the question,

Page No.15

श्री एच. के. व्यास—No. Let me repeat my question. As assurance was given on the floor of the House by the Leader of theHouse for reconsidering the demands, I raised the question as to what steps have been taken for that reconsideration. I want to know whether the Government have given any reconsideration to the matter and what conclusion is its?

श्री टीकाराम पालीवाल—Government had given its full and sympathetic consideration to the demands of the Nurses and those demands were conceded to partially, demands which were proper and others were rejected. No question for reconsideration now arises.

श्री एच. के. व्यास—When did the Government consider these demands ?

श्री टीकाराम पालीवाल—The demands have already been considered.

श्री एच. के. व्यास—I am asking a question about the assurance which was given on the Floor of the House. Did the Government honour that assurance.

श्री टीकाराम पालीवाल—After the demands were considered it was not possible to meet all of them.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या २०८

श्री मुक्तिलाल मोदी —क्या मुख्य मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

किन कारणों से शाहपुरा से निजामत हटा कर कोटपुतली रक्खी गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—सब-डिविजन का हैडक्वाटर शाहपुरा से कोटपुतली इसलिये ले जाया गया कि वहां पर शासन के उपयुक्त भवन, न्यायी बन्दीगृह और निवास के लिये मकानों का अभाव था जब कि कोटपुतली में ऐसे भवन पर्याप्त रूप से उपलब्ध है।

श्री मानसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शाहपुरा ज्यादा सेन्ट्रल प्लेस है या कोटपुतली ?

श्री जयनारायण व्यास—न तो शाहपुरा सेण्ट्रल प्लेस है और न कोटपुतली सेण्ट्रल प्लेस है। सेण्ट्रल प्लेस तो ऐसी जगह है जहां कोई मकान नहीं। सरकारी दफ्तर अधिकतर वैसी जगह रखे जाते हैं जहां दफ्तर रहने की सुविधा के मकान, कैदियों के रखने की सुविधा आदि हों।

श्री मानसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहपुरा से कोटपुतली सब-डिविजन का हैडक्वाटर इसलिये ले जाया गया कि कोटपुतली कॉन्स्टीटयुएन्सी में चुनाव होने वाले थे ।

श्री जयनारायण व्यास—यह बिल्कुल गलत बात है। राजप्रमुख के भाषण के सिलसले में मैंने यह चर्चा कर दी थी कि इस निजामत के बारे में विचार हुआ था १९५१ में ; जिस समय किसी भी कॉन्स्टीटयुएन्सी के चुनाव का सवाल ही नहीं था। मिस्टर डे ने एक रिपोर्ट पेश की थी। जून १९५१ में १८ अफसरों ने जिसमें कमिश्नर, कलेक्टर, इन्जीनियर, जेल वाले सब शरीक थे। यह तय किया कि यह स्थान निजामत का हैडक्वाटर रखने के लिए ठीक नहीं है। सितम्बर १९५१ में केबिनेट ने तय किया कि यह दफ्तर यहां से हटाकर कोटपुतली रखा जाय ; किन्तु उन दिनों चुनाव आ गये थे। चुनाव के दिनों में स्थान नहीं बदला गया। फरवरी १९५२ में यह ऑर्डर निकला कि शाहपुरा से कोटपुतली निजामत बदल दी जाय ; सब-डिविजन बदल दिया जाय। चुनावों के कारण उन दिनों में नहीं बदला जा सका। यह भी मालूम हुआ है कि शाहपुरा में जुडिशियल लोक-अप नहीं वरन् पुलिस लोक-अप है जिसमें १६-१७ या अधिक कैदी नहीं रखे जा सकते। ६×१० की जो जेल ६० वर्ग फीट की चौड़ी है ऐसी जगह इतने कैदी रखना उचित नहीं समझा जा सकता। हम इसे दया का काम नहीं समझते। किसी की कॉन्स्टीटयुएन्सी थी, ऐसा कहना हाउस की ईमानदारी और सरकार की ईमानदारी दोनों में अविश्वास पैदा करने वाली चीज है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कम से कम सरकार यह तो मानती है कि सेप्टेम्बर १९५१ से फरवरी १९५२ तक तो क्लियरली इलेक्शन की दृष्टि से इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इलेक्शन कमीशन की यह आज्ञा थी कि उन दिनों में कोई दफ्तर नहीं बदला जाय ; यहां तक कि कोई ट्रान्सफर भी नहीं हो सकता था।

श्री जसवन्तसिंह—(बोलने के लिए खड़े हुए)...............

श्री कपिलदेव—अगर कमीशन ने बन्द कर दिया तो क्या सरकार फिर इस पर विचार कर सकेगी।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।

श्री कपिलदेव— डे की रिपोर्ट में क्या यह लिखा था कि शाहपुरा से कोटपुतली हटा दिया जाय।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अवश्य था।

श्री जसवन्तसिंह—जैसा कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने जवाब देते हुए.......

Page No.17

श्री **हरिकृष्ण व्यास**--क्या मुख्य मंत्रीजी वह रिपोर्ट हाउस की टेबिल पर रखने के लिए तैयार हैं ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**--खास तौर से शाहपुरा से संबंधित हिस्सा जो है वह रखने के लिए तैयार हूं।

श्री **जसवन्तसिंह**--यह जो अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यह हिपोक्रेटिकल सवाल है तो यह हिपोथेटिकल सवाल है या उसका मतलब 'हाइपोथेटिकल' से है।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**--मैंने 'हिपोक्रेटिकल' नहीं कहा था । 'हाइ-पोथेटिकल' कहा था।

श्री **मुक्तिलाल**--यह रिपोर्ट जब तैयार हो रही थी तो उन्होंने कॉन्स्टीट्यूएन्सी के कुछ लोगों को बुलाया था । उन्होंने यह कहा था कि हम पूरे मकान एस. डी. ओ. आदि के देने के लिए तैयार हैं तो साहब ने यह मन्जूर किया था कि "मकान देने के लिए यदि आप तैयार हैं तो वहां निजामत रखेंगे । उसके लिए गवर्नमेन्ट ने क्या कार्रवाई की ।

श्री **जयनारायण व्यास**--ऐसी कोई चीज रेकार्ड में नहीं है।

श्री **मुक्तिलाल**--क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केबिनेट का डिसिजन होने से पहले चीफ मिनिस्टर पालीवाल साहब के आॅर्डर्स हैं कि जब तक राजस्थान में और तब्दीलियां हों तब तक कोई तब्दीली नहीं की जाय ।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**--किसी चीफ मिनस्टिर के ऐसे आॅर्डर्स नहीं हैं कि तब्दीली नहीं करें ।

श्री **मानसिंह (जमवा रामगढ)**:--क्या वजह है कि निजामत का हेडक्वाटर शाहपुरे से कोटपुतली हटाया गया तथा और कई जगहों के बारे में भी रिपोर्ट में था उनको क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**--माननीय सदस्य को ध्यान नहीं है कि और भी जगह हटाया गया है ।

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ)**:--क्या राजस्थान सरकार को मालूम है कि जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट की यह रिपोर्ट थी कि शाहपुरा में जो जेल का मकान है वह बिल्कुल ठीक है ।

श्री **माननीय अध्यक्ष**--आर्डर,आर्डर ।

श्री **मुक्तिलाल**--मंत्री महोदय क्या यह बतलायेंगे कि कलेक्टर और आई. जी . पी. ने यह रिपोर्ट दी है कि पहले जो मकान था वह बिल्कुल ठीक था और वहां इन्तजाम होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए गवर्नमेन्ट को लिख दिया ; तो क्या गवर्नमेण्ट को अपने अफसरों ने यह नहीं लिखा है कि जेल का मकान खराब नहीं है ? यदि गवर्नमेण्ट को लिखा तो उस पर गवर्नमेन्ट क्या कर रही है ?

Page No.18

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—माननीय सदस्य भ्रम में बात कर रहे हैं ।

श्री **कानसिंह**—जेल कमेटी ने ऐसा आदेश दिया था तो फिर क्यों किया गया ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—यह गलत आरोप है । मैं समझता हूं, माननीय सदस्य जरा ईमानदारी से काम लें ।

श्री हरिकृष्ण **व्यास**—माननीय सदस्य ने जो यह कहा तो क्या यह हाउस के सदस्यों का अपमान नहीं ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**:—जो बात गलत है उसको गलत ही कहा जावेगा । माननीय सदस्य के सही प्रश्न को गलत और गलत को सही नहीं कहा जा सकता है ।

श्री **हिम्मतसिंह**:—कहीं आप भी अपनी गलती स्वीकार करते हैं ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**:—जब गलती हुई थी तो स्वीकार की ही थी । एक माननीय सदस्य ने पूछा कि २,००० के बजाय २०० क्यों कर दिया है; तो उसको मैंने स्वीकार किया था ।

श्री **कानसिंह**:—यह गलत है तो सरकार जांच कराने के लिये तैयार है क्या ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**:—जो गलत चीज सरकार जानती है तो उसकी जांच नहीं कराती है ।

श्री **माननीय अध्यक्ष**:—ऑर्डर, ऑर्डर !

प्रश्न संख्या २०६

श्री **भवानी सहाय**—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) ग्राम बावनवास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर में हाल ही में दिन के तीन बजे कोई डाका पड़ा है ?

(ख) यदि यह सूचना सत्य है तो यह बतलाने का कष्ट करें कि डाकुओं ने कितना धन लूटा है ?

(ग) अब इन डाकुओं को पकड़ने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री **टीकाराम पालीवाल (गृह मंत्री)**:—

(क) यह सही है कि ता० १-१०-५२ को दिन में करीब ३ बजे डाका पड़ा । इसका मुकदमा नं० ५५ ता० १-१०-५२ जुर्म जेर दफा ३६५।३६७ ता. हि. थाना पुलिस थानागाजी में दर्ज हुआ ।

(ख) इसमें १२,६५७ रु० १२ आने का माल लूटा गया ।

(ग) इस मुकदमे में डाकुओं का पता लग चुका है, और इनमें से एक गिरफ्तार भी हो चुका है । बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिनको प्रकट करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा ।

श्री **हिम्मतसिंह**—इस डाके में कोई कत्ल तो नहीं हुआ ?

श्री **टीकाराम पालीवाल** (उप-मुख्य मंत्री)—जी नहीं ।

श्री **भवानी सहाय**—यह जो डाके पड़े तो क्या उस पुलिस के थाने में जीप आदि का साधन नहीं है जिससे पुलिस वाले उसका इन्तजाम कर सकें ?

श्री **टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)**—राजस्थान बनने से पहले कुछ स्टेट्स में भिन्न भिन्न प्रकार की पुलिस की सवारियों का इन्तजाम था । अलवर में, ऐसा मालूम होता है कि ऊंट, जीप आदि का कोई प्रबन्ध नहीं था और ऐसे और भी कई जगहों पर पूरा प्रबन्ध नहीं था । अभी तक तो जो प्रबन्ध पहले से था उसी के अनुसार प्रबन्ध चलता आ रहा था । अब सारा का सारा ठीक किया जा रहा है और आवश्यकतानुसार सवारियां दी जा रही हैं ।

श्री **कानसिंह**—जो डाकू पकड़ा गया है उस डाकू से दूसरे डाकुओं के नाम मालूम हुए ?

श्री **टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)**—इस बारे में और कुछ बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा । I am sorry I cannot oblige by disclosing the name.

प्रश्न संख्या २१०

श्री **भवानी सहाय शर्मा**—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे —

(क) ग्राम कालेड, तहसील बसुवा, जिला जयपुर में आठ महीने के अन्दर कोई खून हुआ है ?

(ख) यदि यह सत्य है तो उस व्यक्ति का नाम और वल्दियत क्या है ?

(ग) इस शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ?

(घ) अब तक पुलिस ने खूनी का पता लगाने में कहां तक कामयाबी हासिल कर ली है ।

श्री **टीकाराम पालीवाल (गृह मंत्री)**—

(क) हां, केवल एक ।

(ख) मकतूल का नाम श्री जगदीशप्रशाद, पुत्र श्री ज्वालाप्रसाद ब्राह्मण, निवासी सूबेर, राजगढ, अलवर ।

(ग) श्वास निरोध (Asphyxia) ; संभवत: डूबने के कारण।

(घ) पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में अदमपता की कर दी है।

प्रश्न संख्या २११

श्री **छीतरलाल शर्मा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

(क) बूंदी जिले में कोटा बूंदी डामर रोड से डाबी वाया नयाना और बूंदी से बीजोल्यां वाया गुढा के ट्रेक्टर रोड्स को पक्का रोड सरकार इस वर्ष बनाने की योजना रखती है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**—(क) सन १९५२-५३ के बजट में इसके लिए कोई द्रव्य नहीं रखा गया। आयन्दा २ साल में इसको लाने का विचार किया जा रहा है।

(ख) अर्थाभाव के कारण।

प्रश्न संख्या २१२

श्री **श्यामलाल**—क्या पी. डब्ल्यू डी. मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

१. गंगापुर से लालसोट तक २८ मील के रास्ते में कितनी सडक अभी तक पक्की बनी हुई नहीं है ?

२. सरकार इस सडक को कब तक पक्की बना रही है ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**—१. गंगापुर लालसोट मार्ग के अभी ४ मील कच्चे हैं। ये मील ६, ७, ८, ९ हैं।

२. अगले वर्ष इन मीलों के पक्के हो जाने की आशा है। तखमीना बन चुका है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की स्वीकृति आते ही कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री **श्यामलाल**—उस टार रोड में कई नाले वगैरह हैं, उन पर भी पुल वगैरह नहीं बने हैं, उनको कब तक बनाया जायगा ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मन्त्री)**—नालों पर कॉजवे वगैरह सब बनेंगे। जो कुछ भी कार्यवाही होती है वह सब की जायगी।

Page No.21

श्री श्यामलाल--क्या यह तमाम अगले साल खत्म हो जायगा ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)--शुरू होने के बाद का सवाल है ।

प्रश्न संख्या २१३

श्री भैरूं सिंह--डि० नं० १६--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे--

अ. राजपूताना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत हाईस्कूल एवं कॉलेज के सन् १९४२ से १९५३ तक किस किस वर्ष में कितने कितने विद्यार्थियों का Rustication हुआ है ?

ब. क्या यह सही है कि इनमें अधिकतर विद्यार्थियों का Rustication नैतिक पतन के कारण से हुआ है ? तो क्या सरकार इस बुराई को रोकने के लिए चरित्र निर्माण संबंधी शिक्षा दिये जाने का कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)--१. राजपूताना विश्वविद्यालय सन् १९४७ ई० में अस्तित्व में आया और इसकी प्रथम परीक्षा सन् १९४८ ई० में हुई । अतः (इस संबंध में) जानकारी सन् १९४८ से उपलब्ध होती है, सन १९४२ से नहीं ।

अध्ययन शालाओं से बहिष्कृत (Rusticated) एवं किसी भी विश्व विद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से रोके गये विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित है--

१९४८	३५
१९४९	४३
१९५०	२३
१९५१	४०
१९५२	६०

२. विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करने और दुर्व्यवहार करने अथवा राजनीति में भाग लेने के कारण वहिष्कृत किये जाते हैं तथा यह कहना कठिन है कि सब वहिष्कृतियां नैतिक पतन के कारण ही हुई हैं ? सरकार इस बुराई को रोकने के उपायों पर विचार करेगी ।

श्री भैरूं सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने विद्यार्थी नैतिक पतन के कारण रस्टिकेट हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा--इसका अलग रेकार्ड नहीं रखा जाता है । अलग अलग कारणों से विद्यार्थियों का रस्टिकेशन हुआ है, जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया । नैतिक पतन से भी कुछ हुए हैं मगर सरकार इसको रोकने के लिए प्रयत्न कर रही है ।

श्री कानसिंह--क्या सरकार के पास जो सालाना रिपोर्ट आती है उसमें अलग अलग आंकड़े नहीं दिये जाते ?

Page No.22

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २१४

श्री मुकिलाल—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

आर. ए. एस. अफसरों के होते हुए भी नॉन आर. ए. एस. रिटायर्ड व डिस्चार्ज्ड अफसरों को नौकरी पर रखा जा रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—चूंकि ट्रेन्ड आर. ए. एस. अफसर पर्याप्त संख्या में उस समय उपलब्ध न थे अतः ऐसे अफसरों के स्थान पर अन्य अफसरों की नियुक्ति करना आवश्यक था । ज्यों ज्यों ट्रेनिंग प्राप्त किये हुए आर. ए. एस. अफसर उपलब्ध हो रहे हैं त्यों त्यों गैर आर. ए. एस. अफसरों के बजाय उन्हें नियुक्त किया जा रहा है ।

श्री मानसिंह—क्या इससे यह समझा जावे कि आर. ए. एस. अफसर से नॉन आर. ए. एस. ज्यादा काबिल हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—किन्हीं किन्हीं विषयों में हो सकते हैं ।

श्री कपिल देव—इसका क्या कारण है कि जहां आर. ए. एस. ऑफिसर होने चाहियें वहां नॉन आर. ए. एस. हैं ?

श्री खेतसिंह—क्या उनको शिक्षा दी जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—हां ।

श्री कानसिंह—क्या आर. ए. एस. के अधिकारी सरप्लस में होते हुए भी नॉन आर. ए. एस. अधिकारियों को रखा जा रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—आर. ए. एस. ऑफिसर सरप्लस में नहीं हैं । अतः यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

एक सदस्य—कम से कम कितने ऑफिसर्स सरप्लस में रखे जा रहे हैं और नॉन आर. ए. एस. को उनकी जगह लाया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—आर. ए. एस. ऑफिसर सरप्लस में नहीं है; इसलिए यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री मानसिंह—कितने आर. ए. एस. ऑफिसर सिलेक्ट हो चुके हैं और सिलेक्टेड आर. ए. एस. ओफिसरों के होते हुए भी नॉन आर. ए. एस. ऑफिसरों को रखा जा रहा है ।

श्री जयनारायण व्यास—कोई आर. ए. एस. ऑफिसर सरप्लस में नहीं है ।

Page No.23

प्रश्न संख्या २१५

श्री भैरूसिंह (वि० संख्या १६)—Will the Minister for Finance kindly state :

1. Is the Minister for Finance aware that the Government at the time of introducing the last Budget for 1952-53 had contemplated to increase the yield from the then existing taxation as also by raising new taxes ?

2. Will the Minister for Finance kindly lay before this House a detailed statement as to what old taxes have been increased and what fresh taxes levied ?

श्री जयनारायण व्यास (अर्थ मंत्री)—1. The Member presumably refers to para 30 of the Finance Minister's speech presenting the Budget for 1952-53 of the Government of Rajasthan in the Assembly.

2. Various measures are still under the consideration of Government. Two important measures pertaining to new taxation are the Agricultural Income-tax Act and the Sales Tax. The Agricultural Income tax Bill is already before the House, and the imposition of sales tax is under the active consideration of the Government..

3. Yes. We shall have further discussions about taxation when the Budget is presented.

4. It is not proper to discuss Budget problems at this premature stage.

श्री एच. के. व्यास—There are no "3" and "4" in the question supplied to us.

श्री जसवन्तसिंह—The Cheif Minister was pleased to state that Sales Tax is under consideration. Is it a fact that a Sales Tax Commissioner has already been appointed ?

श्री जयनारायण व्यास—Yes.

श्री जसवन्तसिंह—What is he doing ?

श्री जयनारायण व्यास—He is considering the pros and cons and details of the question.

श्री जसवन्तसिंह—What question ?

श्री जयनारायण व्यास—Imposition of sales tax is the question under discussion.

श्री एच. के. व्यास—And supposing the conclusion is that sales tax should not be imposed in Rajasthan, what will be the position with regard to the Sales Tax Commissioner.

श्री जयनारायण व्यास—That conclusion cannot be arrived at because the Government had already considered the preliminaries and it has come to the conclusion that sales tax is inevitable.

श्री जसवन्तसिंह—Can sales tax be levied before it is brought to the Assembly ?

श्री जयनारायण व्यास—Every tax must be brought before the Assembly before it is imposed.

श्री जसवन्तसिंह—Has any other officer been employed in this connection ?

श्री टीकाराम पालीवाल—गवर्नमेन्ट ने यह पॉलिसी तय कर ली है कि कुछ समय बाद कस्टम को गिव अप (give up.) करना ही है । इसलिए सेल्स टेक्स इम्पोज करना ही होगा । इसकी जानकारी के लिए कितना स्टॉफ होना चाहिये, पहले से ही सेल्स टेक्स ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाए ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या ऐसी एपोइन्टमेन्ट एसेम्बली की मंजूरी के बगैर की जा सकती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हां ।

श्री जसवन्तसिंह—जब तक नये महकमे की मंजूरी एसेम्बली न दे तब तक ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री टीकाराम पालीवाल—एसेम्बली के सामने पूरी पिक्चर रखनी होगी, कि इसमें कितना खर्च लगेगा, कितनी आमदनी होगी, कितना स्टॉफ चाहियेगा; इसलिए ऑफिसर की नियुक्ति की जा कर ही इस बात का पता लगाया जा सकता है । इसके बगैर सारी स्कीम एसेम्बली में नहीं रखी जा सकती ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या गये वर्ष में सरकार के सामने ऐसी योजना थी ?

श्री जयनारायण व्यास—जहां तक सेल्स टेक्स ऑफिसर का सवाल है उसकी नियुक्ति के लिये बजट में प्रोविजन रखा गया था ।

श्री एच. के. व्यास—क्या कस्टम के ऑफिसर..........

श्री कानसिंह—क्या एग्रिल्कचर इनकम टेक्स ऑफिसर की नियुक्ति के लिए भी सरकार का कोई ध्यान है ?

श्री जयनारायण व्यास—हां ।

प्रश्न संख्या २१६

श्री भैरूं सिंह (१६)—क्या गृह मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(क) राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात् कितने व्यक्ति अपहरण किये गये ?

(ख) कितने व्यक्ति पुलिस के प्रयत्न से वापिस आये ?

(ग) कितने व्यक्ति अपने प्रयत्न से उठाने वालों को रुपया वगैरह दे कर वापिस आये ?

(घ) इनमें से कितने व्यक्ति मार दिये गये ?

(ङ) कितने व्यक्ति अभी तक वापिस नहीं आ सके हैं और इनमें सरकारी मुलाजिम कितने हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—राजस्थान के निर्माण काल से अब तक ९६ व्यक्ति अपहरण किये गये ।

(२) उनमें से २८ व्यक्ति पुलिस द्वारा मुक्त हुए ।

(३) ५७ व्यक्ति स्वयं के प्रयत्नों द्वारा मुक्ति का मूल्य देकर अथवा बिना मूल्य के मुक्त हुए ।

(४) १ व्यक्ति मृत्यु का शिकार हुआ ।

(५) १० व्यक्ति जिनमें ३ राज्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं अभी निर्बन्धन नहीं हुए ।

श्री मानसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन राज्य कर्मचारियों को छुड़ाने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वह कार्यवाही गुप्त रखी जावेगी ; जब तक उनको छुड़ा न लिया जाए ।

श्री भैरूं सिंह—क्या उन राज्य-कर्मचारियों के घर वालों का कुछ प्रबन्ध किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उनको वेतन दिया जा रहा है ।

श्री भैरूं सिंह—उसके अलावा भी कुछ दिया जा रहा है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं ।

एक सदस्य—कौन कौन से डिपार्टमेन्ट के ओफिसरों को डाकू ले कर चले गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—एक मेडिकल विभाग के अधिकारी को, एक पुलिस विभाग के अधिकारी को और एक ज्युडिशियल विभाग के अधिकारी को डाकू ले गये ।

एक सदस्य—पुलिस के अधिकारी को कौन से डिस्ट्रिक्ट से ले गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जैसलमेर से ।

एक सदस्य—क्या यह सच है कि उसकी नाक में नथ डाल कर उसको नचाया भी गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है । माननीय सदस्य के पास हो तो वे बता सकते हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि वे उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, यदि सरकार उनको कुछ मुआवजा दे । क्या सरकार उनको मुआवजा देकर छुड़ाने के लिए तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं । सरकार ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना नहीं चाहती ।

श्री मानसिंह—क्या कोई एम. एल. ए. भी उसमें शामिल है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट;

प्रश्न संख्या २१७

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(क) राजस्थान में आई. पी. एस. ऑफिसर के सिलेक्शन की "बी" लिस्ट अभी तक क्यों नहीं प्रकाशित की गई है ?

(ख) क्या राजस्थान के आई. पी. एस. ऑफिसर्स को इन ग्रेडस के अनुसार तनख्वाह दी जाती है; यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) यह सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जब इस पर विचार हो जायगा तो उसके बाद यह प्रश्न हल किया जावेगा ।

श्री कानसिंह—बाहर से इन्डियन पुलिस ऑफिसर आये हुए हैं; उनके लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री कानसिंह—पहिले अधिवेशन में यह सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इस पर बहुत जल्दी सरकार विचार करेगी । मगर अभी तक भी वह मामला सरकार के विचाराधीन है । क्या सरकार यह बतलाएगी कि कब तक इस पर सरकार विचार कर लेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—इस अधिवेशन के समाप्त होने से पहिले, पहले ।

Page No.27

श्री मानसिंह—जब राजस्थान के पुलिस ऑफिसरों को आई. पी. एस. में सिलेक्ट किया जा रहा है तो फिर भी राजस्थान में बाहर से ऑफिसर बलाये जा रहे हैं ; ऐसा क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास—जिनको राजस्थान सरकार मंजूर कर चुकी है वे ही लिये जा रहे हैं और वे राजस्थान के आई. पी. एस. हैं ।

प्रश्न संख्या २१८

श्री श्यामलाल—क्या पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे —

गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर में नल व बिजली कब तक लग जावेंगे ?

श्री भोलानाथ—गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर, में फिलहाल बिजली और नल लगाने की कोई योजना नहीं है ।

एक सदस्य—कब तक ?

श्री भोलानाथ—फिलहाल ।

श्री अध्यक्ष—The list of questions is a very long one. The Hon'ble Members had tabled to this day a number of questions. In future the office will regulate all these questions to a future date. So answers to these questions will be laid on the Table of the House.

श्री जसवन्तसिंह—Is it about questions which are allowed to be asked but which cannot be answered ? Are they laid on the Table of House ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री राजा मानसिंह—On a point of order, Sir, I gave notice of a questio.. (Interrupted).

श्री अध्यक्ष—That will come.

श्री राजा मानसिंह—No, Sir. It has not been include. I gave notice of a question relating to the promulgation of the Jagir Resumption Act. That question has not been included. I want an answer to that question.

श्री अध्यक्ष (पूछताछ के पश्चात)—That will come tomorrow.

श्री राजा मानसिंह—In tomorrow's list ? Yes.

श्री अध्यक्ष—That is in tomorrow's list.

Page No.28

(प्रश्न संख्या २१६ से २५५ तक सदन की मेज पर रखे गये—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष—मुझे सदन को यह, सूचित करना है कि मुझे श्रीमन् राजप्रमुख से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुवा है :—

"दिनांक ६ फरवरी, १९५३ को सदन में मेरे द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिये सभा के सदस्यों द्वारा की गई धन्यवाद की अभिव्यक्ति को मैंने अत्यन्त संतोष के साथ ग्रहण किया है।"

(विराम)

समितियों का निर्माण

सभापति-तालिका

I have to inform the House that under sub-rule (1) of rule 8 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly I nominate :—

1. Rawal Shri Sangram Singh,
2. Rawal Dr. Shri Mangal Singh,
3. Shri Himmat Singh (Division No. 61), and
4. Chawdhary Shri Ram Chandra.

on the panel of Chairman

(विराम)

याचिका-समिति

I have to announce further that under sub-rule (1) of Rule 195 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in th Rajasthan Legislative Assembly, the following members besides the Deputy Speaker have been nominated to constitute the Committee on Petitions :—

1. Dr. Shri Mangal Singh (from the panel of Chairman).
2. Shri Jawan Singh.
3. Shri Ganpat Singh.
4. Shri Shah Alimuddin.

(विराम)

सदन-समिति

Further I have to inform the House that under Rule 190 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, I nominate the following on the House Committee to consider and advice upon

[श्री अध्यक्ष]
matters connected with the comfort and conveniences of members of the Assembly :—

1. Deputy Speaker as Chairman,
2. Pt. Chandra kant Rao, Member,
3. Shri Damodar Lal Vyas, Member,
4. Shri Roshan Lal, Member and
5. Shri Kanwar Lal Jaliya, Member.

विशेषाधिकार-समिति

I have further to inform Members that in pursuance of sub-rule (1) of rule 53 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, I appoint the following members to be members of the Committee of Privileges :—

1. Shri Gopi Lal Yadav.
2. Shri Laxman Singh of Nava.
3. Shri Bhairon Singh (Division No. 12).
4. Shri Bhairon Singh (Division No.13).
5. Shri Ved Pal Tyagi.
6. Chaudhary Shri Ram Chandra.
7. Shri Bhagwan Singh Tarangi.
8. Shri Mathura Das Mathur.
9. Shri Shri Bhan Singh.
10. Shri Gulab Chand Kasliwal.

Shri Gopi Lal Yadava shall be the Chairman of the Committee.

स्थगन प्रस्ताव

Now Lagislative Business. Today is the day for private Members business. Shri H. K. Vyas.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)—Sir I moved an adjournment..........

श्री जसवन्तसिंह—What has happened to the two Committees the Committees, Estimates and the other Committee which the Chief Minister had promised to set up.

श्री अध्यक्ष—They were to be elected by the House,

श्री जसवन्तसिंह—When is the motion coming?

श्री अध्यक्ष—I shall fix a date if the House desires.

श्री जसवन्तसिंह—It is for Chief Minister, Sir, to fix up a date.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—I am ready, Sir, Any day would be convenient

श्री अध्यक्ष—I will do it tomorrow.

श्री जयनारायण व्यास—Appointment of Committee, Sir ?

श्री अध्यक्ष—No Committee. I will fix up a date tomorrow.

(विराम)

I have received a motion of adjournment by Shri Man Singh of Mahar on the point that "the Assembly do now adjourn to discuss the Police high-handedess in obstructing and wrongfully confining a few M. L. As. and innocent villagers of Udaipur Division from going to see the Hon'ble Revenue Minister on Saturday, the 21st February, 1953".

So before giving a ruling on this, I would like to know the state of affair from the Treausury Benches.

श्री टीकाराम पालीवाल-Mr. Speaker, Sir., on the 21st February, a number of persons were going to see the Revenue Minister, above 40-50 of them......

श्री हिम्मतसिंह—आप हिन्दी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—जी। करीब ४०-५० व्यक्ति सेक्रेटेरियेट की ओर रेवेन्यु मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे। पुलिस को ऐसा खयाल हुआ कि इतने लोग इकट्ठे होकर जायं तो सम्भवतः वहां व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

श्री जसवन्तसिंह—क्या उनके पास शस्त्र वगैरह थे या वे निःशस्त्र थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल-पहले आप मुझे सुन लीजिये, फिर आप बोलिये। हां, तो इसलिये उनको थोड़ी देर के लिये रोका था और बाद में उन्हें रेवेन्यु मिनिस्टर ने बुला लिया। कन्फाइनमेन्ट करने की बात बिल्कुल गलत है। इसके बाद वे लोग रेवेन्यू मिनिस्टर से उस दिन मिल लिये थे। कल शाम को मुझसे मिले हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले हैं; पर उनमें से किसी एक ने भी इस बाबत कोई शिकायत नहीं की। अगर कोई शिकायत की बात होती तो जरूर कहते। इसलिये यह कोई मेटर ऑफ अर्जेन्सी का नहीं है; वह न उस दिन था और न आज है। उस दिन नहीं था तो आज ता कतई नहीं है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

It is not a matter of urgent public importance. There is no urgency about it. Nobody has got any complaint against Government, ख़ासतौर से. जो कन्सर्न्ड लोग हैं उनको कोई शिकायत नहीं है। दूसरे सज्जन जो इस प्रश्न को रखना चाहते हैं वे इस हाउस के समय को फालतू नष्ट करने के लिये इस प्रस्ताव को रखना चाहते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—मैंने एक छोटा सा सवाल उप-मुख्य मन्त्री से पूछा था कि पुलिस को क्या दरकार हुई कि जब ग्रामीण लोग एक एपोइन्टमेन्ट पर मिनिस्टर साहब से मिलने जाते हैं तो उनको क्यों रोका जाता है ? उनके पास शस्त्र नहीं थे। तलवार, बंदूक पिस्तोल नहीं थे जिससे कि कोई खतरा हो। गांवों के निःशस्त्र भोले भाले आदमी एक एपोइन्टमेन्ट पर जावें और घंटों तक उनको धूप में रोका गया, उनके साथ एक दो एम. एल. ए. भी थे। उनका यह अपमान है। आपका यह फरमाना कि उनको कोई शिकायत नहीं है तो इस हाउस की एक कमेटी बिठा दी जाय। बहुत से डेपुटेशनिस्ट यहां हाउस में मौजूद हैं; सब से पूछ-ताछ की जाय। अगर सत्य निकालना है तो कमेटी अपोइन्ट की जाय।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो काम रोको प्रस्ताव रखा है वह बहुत अहमियत रखने वाला है।

श्री अध्यक्ष—आपको फेक्च्युअल बेसिस पर कुछ कहना है क्या ?

श्री मानसिंह—मैं फेक्च्युअल बेसिस पर ही अर्ज करूंगा। यह कहना सर्वथा गलत है कि रोंग-फुल कन्फाइमेन्ट नहीं हुआ। कुछ लोग शान्ति से जा रहे थे। उनको एक जगह रोका गया और उनके चारों तरफ पुलिस का कोरडन कर दिया गया। जब तक थानेदार साहब डेढ दो घंटों के बाद इन्क्वायरी करके नहीं आये तब तक उनको आगे नहीं जाने दिया गया। फिर आप कैसे कहते हैं कि रोंगफुल कन्फाइन्मेन्ट नहीं था। इस सदन के कुछ सदस्य वहां पर मौजूद थे। वे आपको बतलावेंगे कि लोगों को कितनी तकलीफ हुई। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे साथियों को सेक्रेटेरियट में किसी मिनिस्टर साहब से अपोइन्टमेन्ट होते हुए भी मिलने के लिय नहीं जाने दिया जाय। इसलिये मैंने जो एडजॉनमेन्ट मोशन रखा है बहुत ही अरजेन्ट पब्लिक इपोरटेन्स का है। ऐसा कार्य तो पुराने समय के राजाओं के राज्य में भी नहीं हुआ करता था।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त को शायद कन्फाइनमेन्ट की डेफिनिशन नहीं मालूम है। यह सही निवेदन किया गया है कि उनको सेक्रेटेरियट की ओर जाने से रोका था। लेकिन और किसी भी तरफ उन्हें जाने की स्वतन्त्रता थी अतः तब तक इल्लीगल कन्फाइन्मेन्ट नहीं कहा जा सकता। वे अगल बगल कहीं भी जा सकते थे। केवल सेक्रेटेरियट की तरफ जाने से रोका था और उसका कारण था। शायद माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से खुदकाश्त के प्रश्न पर पब्लिक मीटिंग्ज में और दूसरी जगह भी उत्तेजात्मक भाषण दिये गये थे। इसमें माननीय सदस्यों का कहां तक हाथ था, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन इन भाषणों के परिणामस्वरूप बहुत उत्तेजनात्मक वातावरण बन गया था। ऐसी सूरत में जब पुलिस को मालूम हुआ कि सेक्रेटेरियट की तरफ

[श्री टीकाराम पालीवाल]

बहुत से लोग जा रहे हैं, उनको पता नहीं था कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से उनका अपोइन्टमेन्ट है, तो पुलिस ने उनको रोक दिया और जब इस बात का उनको पता चल गया कि अपोइन्मेन्ट से जा रहे हैं तो उनको जाने दिया। मुझे खेद है कि इस सदन के कुछ सदस्य भी उस झुन्ड में थे और उनको रुकना पड़ा। कई लोग तो स्वेच्छा से रुके और कई लोग चले भी गये। जिनको पहिचान लिया गया था उनको जाने दिया गया था। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई अहमियत है नहीं। कल भी मुझ से वे लोग मिले थे और उनके साथ कुछ माननीय सदस्य भी थे। इस सदन के उपाध्यक्ष महोदय भी उनके साथ थे और भी कई लोगों को मैं यहां देख रहा हूं। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार रहा हो। उन्होंने जरा शिकायत नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल ऐसा नहीं है कि जिसे सदन के सामने लाया जाय।

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मामला अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोरटेन्स का नहीं है और ट्रीवियल है। यदि इस सदन के किसी माननीय सदस्य को सदन की बैठक में जाने से या किसी सिलेक्ट कमेटी की बैठक में जाने से रोका जाता है तो मैं इस पर विचार कर सकता था। लेकिन इस एडजोर्नमेन्ट मोशन पर अपनी कन्सेन्ट नहीं देना चाहता।

अ—राजकीय सदस्य कार्य

राजस्थान (कृषक संरक्षक) (संशोधन) अध्यादेश विधेयक

श्री एच. के. व्यास—Sir' I bog to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance 1949. (No. IX of 1949).

श्री अध्यक्ष–The question is that leave to introduce a Bill further to amend "The Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance 1949 (No. 9 of 1949)" bc accorded

(अस्वीकृत)

श्री एच. के. व्यास—The Ayes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—You want a division?

श्री एच. के. व्यास—It is customary to have a division

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—Well I may inform the House that it is the will of the House to say anything but it is a parliamentary practice not to oppose the introduction of the Bill at this stage.

Page No.33

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Government have nothing to say. This side of the House does not oppose its introduction.

एक सदस्य (विरोधीदल)–The "Noes" were heard from that side Sir.

एक सदस्य (राज-पक्ष)—This Government do not want to oppose the Bill. Some members might oppose.

श्री अध्यक्ष—I may put the question again.

श्री हिम्मतसिंह—You have already heard Noes from that side too.

श्री अध्यक्ष—I want a clarification on the point whether it is the will of the House to give its verdict over the rejection of the Bill at this stage. If the House want, it can reject it now or can adopt the Bill at the introduction stage.

(विराम)

The question is that leave be granted to introduce a Bill further to amend "The Rajasthan (Protection of Tenants) Ordinance, 1949 (No. IX of 1949)."

(स्वीकृत)

The effect is there. Leave is granted.

श्री एच. के. व्यास—Sir I introduce the Bill.

अनेक ध्वनियें—Copies have not been supplied to us.

श्री एच. के. व्यास—Copies will be supplied to the Hon'ble Members.

संकल्प

(अ) राजस्थान का सैटलमेन्ट मेन्युअल तैयार करना

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना दूसरा निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के विचारार्थ और सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है:—
"This House is of the opinion that steps be taken by the Rajasthan Government to appoint a Committee of five persons consisting of one Officer to be nominated by the Government, the Chairman, Board of Revenue, Rajasthan and three Members of the Rajasthan Legislative Assembly to draw out a Settlement Manual for Rajasthan".

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अमूमन इस सदन में मैंने कई बार सुना है, मेरे से ताल्लुक रखते हुए और मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते हुए कि केओस और अव्यवस्था के आधार पर कार्यवाही रहती है, मेरी या मेरी पार्टी की। आज मैं ट्रेजरी बैंचेज को यहां प्रेजेन्ट करना चाहता हूं एक ऐसा प्रस्ताव कि जिसका पूरा का पूरा ताल्लुक व्यवस्था से है, जिसका पूरा का पूरा ताल्लुक इन्तजाम से है और जिसका पूरा का पूरा ताल्लुक है ठीक ढंग से, तरीके से काम काज संचालन। मैं नहीं कह सकता कि नतीजा क्या होगा? लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मौजूदा अव्यवस्था जो चल रही है इस महकमे में या इस काम में उसमें कोई तरक्की नहीं हो। कोई तौर नहीं है उसके समर्थन में खड़े होकर कहने की। मेरे माननीय मित्र इस प्रकार के अहमियत वाले प्रस्ताव का विरोध न करें।

माननीय अध्यक्ष, यह बहुत ही ताज्जुब की चीज है कि राजस्थान के निर्माण को चार वर्ष हो गये और आज से चार वर्ष पहिले भी ६०–७० फी सदी जमीन अनसेटल्ड थी और आज भी तीन-चार दिन पहले ही, जब इस प्रश्न का उत्तर मिला उसके मुताबिक ४२ फी सदी जमीन ऐसी है जहां या तो सर्वे ही नहीं हुआ है और जहां सर्वे हो गया है तो वहां रेन्ट रेट रिपोर्ट तैयार नहीं है, इस राजस्थान में सैटलमेन्ट मेन्युअल न हो, बन्दोबस्त का काम किस तरह से हो उसके बारे में अधिकारियों के ठीक ठीक आदेश न होना हमारे लिये कितनी सोच विचार की बात है और इस विषय में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं; ऐसा मैं समझता हूं। इस प्रकार सैटलमेन्ट मेन्युअल के न होने का नतीजा क्या होता है उसका पूरा पूरा चित्रण यहां करने लगूं तो काफी घंटे इस सदन में लग जावेंगे। लेकिन कम से कम जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अभाव में जो कुछ हो रहा है उसकी कुछ मिसालें मैं सदन के सामने पेश करना चाहूंगा।

शुरुआत ली जा सकती है सैटलमेन्ट रेकर्ड्स के ओपरेशन्स से। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान में, राजस्थान के सैटलमेन्ट के अधिकारियों ने, हालांकि उनको एक ही विभाग में रहते हुए, अलग अलग सर्क्युलर्स शाया हो चुके हैं और आज भी वे अलग अलग सर्क्युलर्स मौजूद हैं। सैटलमेन्ट कमिश्नर द्वारा एक सर्क्युलर निकलता है किन्तु एडीशनल सैटलमेण्ट कमिश्नर, जो जोधपुर में रहते हैं, उनका सर्क्युलर, दूसरा ही होता है। कहीं कायदे में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जो रेकर्ड्स के वक्त हिदायतें दर्ज की जाती हैं, रेकर्ड्स ओफ रेन्ट्स की जो एन्ट्रीज की जाती हैं उनकी नकलें नहीं दिखाना या न देना। कुछ कुछ हलकों के अन्दर पर्चे खतोनी के नाम पर वे कॉपियां दी जाती हैं और कुछ कुछ हल्कों में कॉपियां दी ही नहीं जाती हैं और नतीजा यह होता है कि सारा का सारा रेकर्ड बन गया। पहले सीनियर रेवेन्यु इन्सपेक्टर ने जाकर जांच कर ली और फिर असिस्टेन्ट सैटलमेन्ट ओफिसर जाकर जांच कर लेता है और इस प्रकार वह रेकर्ड फाइनल हो जाता है; किन्तु सम्बन्धित मनुष्यों को यह पता तक नहीं होता कि जो एन्ट्री हुई है वह उसके हक में हुई है या उसके खिलाफ हुई है। सेंकड़ों मिसालें ऐसी हैं जहां सैटलमेन्ट का स्टाफ जाता है और उन अनभिज्ञ लोगों को कहता है कि तुम्हारे नाम का खेत दर्ज किया गया है। वास्तव में वह दर्ज किया जाता है या नहीं; यह उन लोगों को तो मालूम नहीं होता। इसका नतीजा यह होता है कि छः माह बाद, साल भर बाद,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

डेढ़ साल बाद, दो साल बाद और कभी कभी तीन-तीन साल बाद उनको पता चलता है और फिर सोचते हैं कि आखिर यह हो कैसे गया? यह इन्द्राज किस प्रकार हो गया, जो नहीं होना चाहिये था और वह इन्द्राज होना चाहिये था जो कि नहीं हुआ। इतना ही नहीं रेकार्ड के बनाने के सिलसिले में सैटलमेन्ट महकमे को कोई हिदायतें नहीं होने से, मैं आपको बताऊं कि क्या हालत हो रही है? इस जयपुर डिविजन के अन्दर ही सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं जहां जमीन की खतौनी का पर्चा एक आदमी को मिला है तो कूए का पर्चा दूसरे आदमी को। जमीन का पर्चा खातेदार को और कूए का पर्चा दूसरे आदमी को मिलने से उसका नतीजा आगे चल कर क्या होने वाला है हम और आप बर्दाश्त कर सकते हैं किन्तु खेत का पानी बन्द नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा हुआ है और उनका कारण साफ सुथरी सैटलमेन्ट विभाग द्वारा हिदायतें नहीं देने से है। यह इतनी गैर वाजिब चीज है कि इससे लगातार झगड़ों की गुन्जाइश हो गई है और आज एक नहीं, सैकड़ों ऐसी मिसालें इस जयपुर डिविजन में हुई हैं। इसके विपरीत दूसरे क्षेत्रों में कूए और जमीन के साथ साथ पर्चे दिये जा रहे हैं। इसके अलावा इस हद तक की चीजें हो रही हैं कि जो रेकार्ड बन चुका है, एक आदमी के नाम पर कहीं खेत दर्ज हो चुका है, तीन चार साल बाद पर्चे बांटने के लिए लोग जाते हैं तो पजेशन डिस्टर्बेड हो जाता है और जो खेत जिसके नाम पर दर्ज था वह दूसरे के हाथ में चला जाता है। इससे साफ जाहिर है कि सैटलमेन्ट के अधिकारियों ने रेकार्ड को चेन्ज किया है और यह कहा जाता है कि अब तो पजेशन के आधार पर ही फैसला करना पड़ेगा। कानून यह कहता है कि जिसके नाम पर जमीन दर्ज है उससे पांच साल तक ज़मीन नहीं जा सकती है। सेटलमेन्ट कमिश्नर का यह सरक्यूलर है कि जिस जमीन पर जिसका पजेशन हो उसी आधार पर रेकार्ड दुरुस्त किये जायं। यह सरक्यूलर रेकार्ड में मौजूद है और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उस सर्क्यूलर को सदन की टेबल पर भी रखने के लिए तैयार हूं! शुरू से लेकर अखीर तक किसी को नहीं मालूम है कि किस तरह से काम होना चाहिये और जिस आधार पर, जैसा कि मैं समझता हूं, जो काम हो रहा है उससे भ्रष्टाचार को बल मिलता है।

एक नहीं मुझे अनेकों केसेज की सूचना मिली है। गांवों में जाकर अमीन आदि लोग कहते हैं कि तुम्हारे गांव की पैमाइश में तीन साल का अर्सा लगेगा और तीन साल तक तुमको चार चेनमैनों की तन्ख्वाह देनी पड़ेगी। गांव वाले कहते हैं कि इतना तो हम नहीं दे सकते हैं। तो वे कहते हैं कि फिर कॉन्ट्राक्ट क्यों नहीं कर लिया जाय? डेढ़ हजार, दो हजार और तीन हजार में ठेके भी लिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय की सूचना के लिए यह भी बता दूं कि एक केस में उनको ऐसी शिकायत भी की गई थी। मंजूरी हुई और कलेक्टर ने हुक्म निकाला और ७५० रुपया गैर तरीके से वसूल भी कर लिया गया। मैं आपको उस गांव का नाम भी बता देना चाहता हूं। उस गांव का नाम है सलावास। अगर मन्त्री महोदय इन्क्वायरी करना चाहें तो कर लें। अधिक जगहों पर भ्रष्टाचार होता है, अच्छी तरह से इन्तजाम नहीं हो सकता है और इसका कारण है राजस्थान में सैटलमेन्ट मेन्यूअल का नहीं होना।

दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है रेन्ट रेट रिपोर्ट के बारे में। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने प्रश्नों का उत्तर देते हुये कहा था कि रेन्ट रेट रिपोर्ट को पब्लिश कराने की आवश्यकता

Page No.36

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नहीं, इस सदन की टेबिल पर रखने की आवश्यकता नहीं। मुझे यह देखकर और सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि शायद राजस्थान सारे हिन्दुस्तान में नई लकीर कायम करने जा रहा है। हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट की मिसाल ले लीजिये ; यू. पी. ले लीजिये, बम्बई ले लीजिये, पंजाब ले लीजिये और आपके पड़ोसी अजमेर-मेरवाड़ा को ले लीजिये। हमारे डिप्टी स्पीकर जब अजमेर मेरवाड़ा में थे तो उस वक्त रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। राजस्थान के अन्दर एक भी रेन्ट रेट रिपोर्ट तैयार नहीं है। किस बिना पर लाखों आदमियों से सालों साल लगान वसूल किया जाता है, जब कि कायदे के मुताबिक रेन्ट रेट रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है। यह देखा जाना चाहिए था कि कायदे के मुताबिक लगान वसूल करते हैं या गैर तरीके पर; जब कि रेन्ट रेट रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती है। अगर आप राजस्थान के पिछले २० साल, पन्द्रह साल, १२ साल या १३ साल के रेकार्ड को देखेंगे तो मालूम होगा कि बहुत सा रेकार्ड ऐसा है जिनमें १० साल की कीमत का एवरेज लिया गया है या ४. ५. ६ साल की कीमत का एवरेज लिया गया है। कानून में लिखा है कि १० साल की एवरेज पर लागू होगा और अब बीस साल की एवरेज पर लागू होगा। किन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने कुछ केसेज में पांच-छः साल की एवरेज पर लागू होगा ; ऐसी मंजूरी दी है, ऐसा रेकार्ड और रिपोर्ट मौजूद है।

और केवल एक ही विभाग में एक ही तरह की गल्ती हो, यह बात नहीं। क्रोप एक्सपेरिमेन्ट सालों-साल बन्दोबस्त करके किसानों पर रेन्ट रेट कायम की जाती है। यह बात इस बात पर मुनस्सर है कि एक्सपेरिमेन्ट का प्रोड्यूस क्या माना जाय। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं और साबित कर सकता हूं कि पिछले ६ सालों के अन्दर किसी एक भी जिले में, किसी एक भी हिस्से में राजस्थान सरकार के सैटलमेन्ट विभाग ने ठीक तरह से क्रोप एक्सपेरिमेन्ट नहीं किया और यदि किया है तो एक या दो खेत छांट कर किया है; वह भी अधूरा अधकचरा है। दूसरी दूसरी जगहों में वैज्ञानिक तौर पर Random Scale Method के तरीके से अच्छे किस्म के खेत की मिसाल लेकर एक्सपेरिमेन्ट किया जाता है और इस तरह पांच-दस साल के पूरे एक्सपेरिमेन्ट पर एवरेज माना जाता है। यहां पर इस प्रकार का एक्सपेरिमेन्ट नहीं किया गया। इसकी एक Glaring जो मिसाल है, वह आपके सामने रखता हूं। सोजत तहसील में अभी कुछ महीने पहले रेन्ट रेट रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रेन्ट रेट रिपोर्ट में फी बीघा एवरेज प्रोड्यूस गेहूं ६ मन लिया गया। कोई एक्सपेरिमेन्ट नहीं किया गया ; लेकिन इसी के डेढ़ साल पश्चात् इससे भी ज्यादा सरसब्ज इलाका है भीनमाल-जसवन्तपुरा का। वहां विभागीय एक्सपेरिमेन्ट किया गया, जहां का एवरेज चार पांच मन निकला ; जब कि सोजत तहसील में माननीय सैटलमेन्ट अफसर ने ६ मन का एवरेज निकाल दिया। हमारे पास आंकड़े नहीं, हमारे पास इतला नहीं है इसलिये सही क्या चीज है इसका अन्दाजा कैसे लगा सकते हैं ; ऐसा मेरे माननीय मंत्री कहते हैं।

मैं बता सकता हूं कि भारत सरकार की जो एग्रीकलचर स्टेटिस्टिक्स पब्लिश की जाती हैं उसमें सन १९२४ तक के दस साल का एवरेज है। उसमें एक भाग पर गेहूं ६३६ पौंड प्रोड्यूस एवरेज

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

माना गया। उसके बाद दस साल में कम होते होते ५९६ पौंड एक एकड़ का प्रोडक्शन सारे हिन्दुस्तान का माना गया है जिसमें पंजाब, यू. पी. और हमारा गंगानगर का इलाका भी है। इससे सारे हिन्दुस्तान का एवरेज करीब ५७०–६०० पौंड प्रति एकड़ करीब निकला। सारे हिन्दुस्तान का एवरेज एक भाग में तीन मन लगा है, लेकिन हमारे यहां के सैटिलमेन्ट विभाग ने जो एक्सपेरिमेन्ट किया उसके अनुसार पंजाब का हिस्सा ज्यादा सरसब्ज नहीं। उनके हिसाब से तो ज्यादा सरसब्ज हिस्सा हमारे राजस्थान का है; सारे हिन्दुस्तान से दुगुना एवरेज हमारे सोजत तहसील का माना गया है। यह हमारे लिये गंभीरता से विचार करने की बात है। ठीक हो सकता है कि आपकी नजरों में यह बड़ी गल्ती न हो लेकिन यह लाखों किसानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है; यह मैं समझता हूं। अगर एवरेज गलत मान लिया गया तो उन किसानों को दुगुने रेन्ट रेट आयेंगे; जिसका नतीजा यह होगा कि किसानों को दुगुना–तिगुना लगान देना पड़ेगा, जो उनके लिए बड़ा भारी बोझ होगा। माननीय अध्यक्ष, यह इस प्रकार की मिसाल है जिससे साफ साबित हो जाता है कि सैटिलमेन्ट मेन्युअल के अभाव में कितनी गड़बड़ होती है। लेकिन राजस्थान सरकार के किसानों की पीठ पीछे बोझ लादा जा रहा है। किस प्रकार की एबसर्ड चीज हमारे सामने आती है। इसकी एक दो मिसालें मैं दूंगा। पिछले सेशन में एक कायदा पास किया गया था। उस कायदे के मुताबिक यह तय हुआ था कि लगान छठे बांटे से ज्यादा वसूल नहीं किया जाय। इसके बाद बाली–देसूरी के लिए रेन्ट रिपोर्ट शाया होती है; एक बटा चार के आधार पर। राजस्थान सरकार के सामने वह विचाराधीन है; बल्कि पुनर्विचाराधीन है, जब कि राजस्थान सरकार यह तय कर देती है कि १ बटा ६ हिस्सा ग्रोस प्रोड्यूस पर लगान लिया जाय; फिर भी सैटिल–मेन्ट आफिसर एक बटा चार के हिसाब से रेन्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगर ऐसी खामियां हो सकती हैं तो हम क्यों न समझें कि यह बहुत आवश्यक है कि इसके बारे में तुरन्त कदम उठाया जाय। मारवाड़ के इलाके के कई मित्र यहां हैं जिनको वहां का अनुभव है। मेरा खयाल नहीं कि सरकार इन बातों से अनभिज्ञ है। मारवाड़ में मेड़ता का इलाका, जहां की जमीन मटियाली चिकनी है, अच्छी जमीन गिनी जाती है। अभी साल भर पहले मेड़ता के अन्दर रेन्ट रिपोर्ट तैयार हुई। उसमें एक तिहाई हिस्से के आधार पर वह तैयार हुई है। इसके बाद जो कीमतें बढ़ी या घटीं हैं उनका किसी ने ख्याल नहीं किया और कर भी नहीं सकते थे। Abnormally high rates सरकार ने शाया कर दिये। जिन कीमतों के आधार पर मेड़ता की रेन्ट रिपोर्ट तैयार की गई उन कीमतों का आधार क्या था; यह मालूम नहीं हो सका। अभी कुछ दिन पहले जोधपुर रेन्ट रिपोर्ट शाया की गई। वहां के विभाग ने किस किस्म की जमीन उसमें ली। इस प्रकार के सर्क्युलर बांटे, छठे बांटे का हिसाब लगा कर निकाला। उन्होंने लगान का गणित लगाया। इस विभाग की अजीब गणित है कि कहीं तो जहां अच्छी जमीन है उसके लिए एक बटा के हिसाब से हिसाब लगाया तो २ रु० १४ आना रेन्ट निकला और उससे नीची किस्म की जमीन का हिसाब लगाया और उसका छठे बांटे के हिसाब से लगान लगाया तो उसकी रेन्ट रेट ५ रु० १४ आना निकली। यह कौनसा गणित है? इससे साफ जाहिर होता है कि जो रेन्ट रेट कायम की जाती है सरासर मनगढ़न्त होती है। माननीय मंत्री यदि जांच करेंगे तो मैं यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा पहले रेन्ट रेट कायम की जाती है और बाद में उसका गणित होता है। एक बार तो मैंने खुद ने देखा है कि जब रेटस तैयार हो गये उसके

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

'बाद गणित किया गया और गणित ऊंचा नीचा हो गया। यह में जोधपुर के सैटिलमेन्ट की बात कह रहा हूं जो ११ महीने पहले हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के इन्तजाम हमारे सामने हुए हैं। लगान जब हम मुकर्रर कर रहे हैं तो सब जगह एक प्रकार का नियम होना चाहिये। सारा का सारा जोधपुर और बीकानेर डिविजन का इलाका है, जहां बेरे से सिचाई होती है, जहां की पिलाई गिनी जाती है, जहां उसकी पिलाई के हिसाब से रेन्ट रेट निकाली जाती है, जहां बारानी इलाके से कुछ ऊंची किस्म की रेन्ट रेट निकलती हैं।

एक इलाका जयपुर डिविजन में है, फुलेरा तहसील। वहां की जमीन अच्छी किस्म की मानी जाती है। फुलेरा तहसील के ५०–६० गांवों में दूसरे ढंग से रेट तय की गई। यह कौनसा तरीका है, कौन सी व्यवस्था है इस विभाग की जो एक ही किस्म की जमीन पर, जो एक ही महकमे के मातहत काम हो, एक इलाके में एक ढंग से और दूसरे इलाके में दूसरे ढंग से रेट कायम किये गये। इस प्रकार की सैकड़ों मिसालें हमारे सामने आयेंगी अगर इसकी तफसील की जायगी। मैं सदन का ज्यादा समय इस संबन्ध में लेना नहीं चाहता। अगर एक दो दिन भी इन बातों का वर्णन करूं तो भी समय में वह पूरा नहीं होगा। मेरा खयाल है कि चाहे इसमें कैसी भी चीजें हों; कम से कम एक बात अवश्य है कि राजस्थान का जो महकमा बन्दोबस्त है उसका बन्दोवस्त ठीक न होने की वजह से बदइन्तजामी हो रही है।

इसके अलावा सबसे ज्यादा खतरे और खराबी की बात जो हो रही है वह दफ्तरों में बैठे बैठे मनगढ़न्त तरीके से रेन्ट रेट रिपोर्ट बनाना और वह रिपोर्ट सरकार की मन्जूरी के लिए दी जा रही है। एक के बाद एक, २ रु० १४ आ. से शुरू होकर ५ रु. १२ आ. जोधपुर तहसील में हो जाते हैं, सोजत से आगे गये तो ६ रु. १४ आ. पाली और देसूरी में हो जाते हैं। जयपुर की फुलेरा और सांभर तहसील में ८ रु. ८ आना पहुंच गये हैं; उसी जमीन का जिसके किस्म की जमीन का जिक्र ऊपर किया गया। यह सब जमीन करीब करीब एक स्टॉक की है, और अगर शुरू में जो रेन्ट रिपोर्ट हुई थी तो उस समय अच्छी नहीं थी किन्तु आज वह जमीन मेड़ता से अच्छे किस्म की हो गई है। मेड़ता में रेट २ रु. १४ आ. होती है और यहां ८ रु. ८ आ. होती है; तो फिर उनकी इमानदारी को क्या कहा जाय। मैं तो कम से कम उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा; ऐसे ही छोड़ देना ज्यादा ठीक समझूंगा। यह साफ चीज रही है कि मनगढ़न्त तरीके से होने की वजह से आज एक एक तहसील में जहां की रेन्ट रिपोर्ट निकली है वहां नये नये बोझ किसानों पर लग रहे हैं। इसलिये जल्दी से जल्दी इसके बारे में एक कमेटी बैठाकर कार्यवाही नहीं की गई तो हम दोषी होंगे, सरकार दोषी होगी और राजस्थान में कानून बनाने वाले १६० जो हम बैठे हैं वे दोषी गिने जायंगे। हम अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से यहां बैठे बैठे मौज करते हैं और हमारे किसानों के गले पर छुरी चलाने के लिए इजाजत दे रहे हैं। इतना खतरनाक जो नजारा हमारे सामने आ रहा है वह इस प्रकार से क्यों होता है? विभागीय तौर पर जो कार्यवाही की गई है उसमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। जिस तरीके से वहां काम चल रहा है, पिछले ५ साल में सेटलमेंट का काम जो हो रहा है उसके अनुभव से क्या खामियां हमने उसमें पाई हैं? इन सब बातों का खयाल कर, जहां मुलाजिमों का सवाल आया तो कमीशन मुकर्रर किया गया, इलेक्शन कमेटी मुकर्रर

Page No.39

[हरिकृष्ण व्यास]

की गई या कर्ज की कमेटी मुकर्रर की गई ? इस प्रकार से इन्क्वायरी कमेटियां मुकर्रर की गई ; लेकिन राजस्थान के महकमा बन्दोबस्त के लिए नहीं की गई है। तो मेरा यह कहना है कि बन्दोबस्त के महकमे का मेन्युअल तैयार करने के प्रश्न पर इस प्रकार की एक कमेटी तुरन्त मुकर्रर की जानी चाहिए। यह सुझाव मैंने राजस्थान सरकार को दिया है । मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय, इस रचनात्मक, सहयोगात्मक और व्यवस्था लाने वाले प्रस्ताव को मन्जूर करेंगे ; नहीं तो उनको, हमारे जैसे अराजकता पैदा करने वालों में शुमार किया जायगा ।

श्री ईश्वरीसिंह—इस मोशन पर मुझे भी कुछ कहना है..........

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ऑर्डर ।

(विराम)

I have received a motion of amendment to this Resolution by Kr. Sri Tej Singh. This was received on the 22nd at 5.00 P.M. I read it out so that if the mover of the Resolution has to say anything about it, he may say so, The amendment says: "In the last line........(Pause)". Because it was received late and the time was very short, so the office could not circulate it. So within such a short time the Members will take the trouble of following it very closely. The amendment is :—

"In the last line, after the words 'assembly' and before the words "to draw out" insert the following words :—

"to examine and settle the Khudkasht problem of Bhomias prior".

The Resolution will thus be :—

"This House is of the opinion that steps be taken by the Rajasthan Government to appoint a Committee of five persons consisting of one officer to be nominated by the Government, the Chairman, Board of Revenue, Rajasthan and three members of the Rajasthan Legislative Assembly to examine and settle the Khudkasht problem of Bhomias prior to draw out a Settlement Manual for Rajasthan."

श्री हरिदत्त—I think it changes the spirit of the Resoluation.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before the amendment is moved, Sir, will, the notice period apply?

I have the right to object, because two days' notice has not been given.

श्री हरिदत्त—I submit to say that this amendment will change the whole spirit of the Resolution.

Page No.40

श्री अध्यक्ष—It rather negatives.

श्री हरिदत्त—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I object to the amendment, because two days notice has not been given.

The relevant rule is Rule 163, which reads "If notice of an amendment has not been given two clear days before the day on which the Resolution is moved, any member may object to the movement of the amendment and such objection shall prevail unless the Speaker in his discretion allows the amendment to be moved.

I do not think any interference is necessary on my part, and the objection prevails.

श्री हरिदत्त—माननीय अध्यक्ष, यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज सदन के सामने उपस्थित हुआ है। यह तो सभी को मालूम है कि महकमा बन्दोबस्त के काम का हम से काफी संबंध है, जिस पर कि हम सभी आश्रित हैं। 'महकमा बन्दोबस्त शब्द इस बात का द्योतक है कि उसके कार्य के लिये कुछ रूल्स अवश्य होने चाहिए। यदि ऐसा कायदा मौजूद नहीं है कि जिस पर महकमा बन्दोबस्त अपने काम को करे तो मेरे खयाल में यह तमाम काम जो कि एक बड़ी अहमियत रखता है, बहुत से काश्तकारों को, बहुत से मालिकान आराजी को इतना दिक्कत देने वाला और इतना उनके साथ बेइन्साफी करने वाला हो जायगा कि आयन्दा उसका सुधार २० साल के उपरान्त भी नहीं हो सकेगा। मैं इस सदन को यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि इस प्रस्ताव के संबंध में हम सब का ही यह एक कर्तव्य हो जाना चाहिए था कि इस पर हम जरूर गंभीरतापूर्वक विचार कर सकें। ऐसी बातों पर जिसको कि हम इम्पार्टेंट समझ कर स्टरिंग स्पीचेज दे देते हैं; उस पर तो हम कुछ प्रेम करते हुए, कुछ आकर्षण लेते हुए यहां अपने को उपस्थित रखते हैं; लेकिन इस प्रस्ताव को, जिस पर कि हमारी लाइफ एन्ड डेथ का क्वेश्चन आधारित है, कुछ नीरस समझकर उससे विमुख हो जाते हैं। खैर। लेकिन मैं इसका समर्थन इस वास्ते कर रहा हूं कि दरअसल रेवेन्यू का काम जानने वाले के लिए यह आवश्यक है कि जब बन्दोबस्त किसी जगह किया जाता है तो उस पर पहले ही यहां सैटलमेंट मेनुअल मन्जूर कर लिया जाता है गवर्नमेंट से। हमारे राजस्थान में बहुत सी जगह पहले से ही बन्दोबस्त हो चुका है। और जिस जगह यह बन्दोबस्त हो चुका है वहां के काश्तकार मिल कर कुछ आरजी तौर पर अपनी जमीन की तरक्की करने के लिए अग्रसर हुए हैं इस बंदोबस्त की कार्यवाही में ऑफिसरों का यह रुख हो जाता है कि किस तरह से हम अपनी रेवेन्यू को बढ़ावें और वे मनमाने रेट्स, बहुत ज्यादा रेन्ट मुकर्रर कर देते हैं। बहुत ज्यादा रेन्ट से काश्तकार निहायत कमजोर हो जाते हैं। यह ठीक है कि गवर्नमेंट की आमदनी जरूर इससे बढ़ जाती है लेकिन काश्तकारों की माली हालत कमजोर हो जाती है और उनकी माली हालत कमजोर होने से सारा का सारा वहां का इलाका कमजोर हो जाता है।

इसके अलावा सैटलमेंट के समय जमीन की किस्में, उसकी मिलकियत व पैदावार व दूसरी बहुत सी ऐसी जरूरी बातें तय करनी होती हैं जिनका तय करना बहुत जरूरी होता है और वे बातें तय

[श्री हरिदत्त]
होकर हमारे रेकर्ड्स ऑफ राइट में लिखी जाती हैं । वह रेकर्ड, रेकर्ड में रहता है । यह रेकर्ड्स ऑफ राइट एक बहुत ही परमानेन्ट रेकर्ड है जिसको आवश्यकता होने पर देखा जा सकता है और जब तक दुबारा सैटलमेंट होकर उसमें कोई तब्दीलियां न की जाएं तब तक के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेकर्ड कहलाता हैं । मैं अब आपका अधिक समय न लेकर यही कहूंगा कि जो रेकार्ड्स ऑफ राइट्स बनाते हैं उसमें जमीन की सभी किस्में तकसीम की जाती हैं, जिसमें वाजबुल-रिवाज आम के अनुसार सब बातें लिख कर रेकर्ड तैयार किया जाता है ; इन सब की जानकारी के लिए एक मेन्युअल की हमें बहुत ही आवश्यकता है और मुझे इस रिजोल्यूशन को पढ़ने पर आश्चर्य हुआ कि हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश में सैटलमेंट मेन्युअल नहीं जिसका कि सैटलमेंट होने से पहले बनना निहायत जरूरी था । इस प्रकार की मेन्युअल सब जगह, जैसे यू. पी., पंजाब आदि हमारे पड़ोसी प्रदेशों में मिलेगी । किस किस जगह की जमीन कैसी है, क्या क्या रेट्स उन जमीनों के लिए लगाने चाहियें ; इन सब बातों की जानकारी के लिए हमारे यहां सैटलमेंट मेन्युअल का होना अत्यन्त आवश्यक है ।

इस पर मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास ने काफी प्रकाश डाला है और मैं इस पर ज्यादा न कह कर इसका समर्थन करता हूं कि हमारे यहां पर इस प्रकार की सैटलमेंट मेन्युअल होनी चाहिये और सदन से प्रार्थना करूंगा कि हमारा यह सदन इसके लिए सरकार को रिकमन्ड करे कि इस प्रकार की मेन्युअल तैयार करने के लिए एक कमेटी जल्दी से जल्दी बिठाए ।

श्री ईश्वरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, ये शब्द हर एक के मुंह से निकल रहे हैं कि सैटलमेंट हो रहा है मगर मैं यह कहूंगा कि जो ऐसा कहते हैं सोच कर नहीं कहते कि सैटलमेन्ट हो रहा है । वे बतावें कि सैटलमेन्ट किस आधार पर हो रहा है। हर एक आदमी के मुंह से निकलता है कि काश्तकार मंहगाई से माला माल होगया है। यह बात कोई नहीं देखते कि जब से मंहगाई चालू हुई तबसे पहले काश्तकार को कितना लाभ था और वह किस तरह से काश्त करता था उसका क्या खर्चा था और अब कितना खर्चा हो रहा है । पहले मंहगाई नहीं थी। तब जो आदमी काश्त करता था तो १५) रुपये में उसको बैल मिल जाता था, १५) रुपयों में हाली मिल जाता था और १५) रुपये दूसरे खर्च होते थे । इस तरह से वह कम से कम ४५) रुपयों में सब खर्च चला सकता था । अभी आज ५००) रुपयों बगैर तो बैल नहीं आता और ५००) रु० बगैर हल की जोड़ी नहीं मिलती । इन सब चीजों को सामने रख कर सैटलमेन्ट जल्दी हो जावे तो ठीक है । सैटलमेन्ट होकर कोई चीज मिले तो ! जिस वक्त सीकर में सैटलमेन्ट हुआ, ठिकाने का हुआ उस वक्त सैटलमेन्ट ऑफिसर ने यह गलती की कि काश्त कोई करता है और वह जमीन किसी के नाम लिख दी गई। इसी प्रकार गुजरे साल में सैकड़ों हरिजनों के खेत बेदखल कर लिये गये क्योंकि सैटलमेन्ट ऑफिसर से मिल कर बेइन्साफी से लोगों ने अपने नाम लिखवा लिये। जब हरिजन जाते हैं तो कहते हैं कि दावे करो। दावा कैसे करें? घर पर तो खाने को बाजरी नहीं । यदि सरकार इन बातों को ध्यान में रख कर सैटलमेन्ट करे तो ठीक है और नहीं तो फिर वही पुराना ढर्रा तो चलता ही रहेगा । जयपुर के आस पास की जमीन तो ऐसी है कि यदि किसी को २०-२५ बीघा मिल जाये तो भी वह अपने कुटुम्ब को निभा सकता है । मगर हमारे उधर यदि १५० बीघा जमीन हो तो भी मुश्किल से पूरा पड़ता है क्योंकि

Page No.42

[श्री ईश्वरीसिंह]

यह सब बातें जमीन की किस्म व वर्षा पर होती हैं। यदि इस प्रकार जमीन की किस्म को देख कर सेटलमेन्ट नहीं हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। इसलिये सेटलमेन्ट ऑफिसर को हिदायत की जानी चाहिये कि जमीन जिस किस्म की है उसी के अनुसार सेटलमेन्ट करे और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह बड़े नुकसान की चीज होगी और देख कर करेगा तो बहुत फायदे की चीज होगी।

श्री कानसिंह—ओन ए पोईन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या माननीय सदस्य सेटलमेन्ट मेन्युअल पर बोल रहे हैं या सेटलमेन्ट पर बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—ये किस पर बोल रहे हैं यह आप ज्यादा जानते हैं।

श्री कानसिंह—आया माननीय सदस्य सेटलमेन्ट पर बोल सकते हैं या नहीं, इस पर मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इस पर कोई रूलिंग की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा जानते हैं कि ये किस पर बोल रहे हैं।

श्री कानसिंह—सेटलमेन्ट पर बोल रहे हैं।

श्री ईश्वरीसिंह—मेरे सामने जो सेटलमेन्ट की चीज आई उस पर बोल रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं कोई अलग चीज नहीं है। हर आदमी यह कहता है कि आज काश्तकारों के पास ज्यादा धन हो गया है। ये कोई सेटलमेन्ट से अलग की चीज है क्या। कोई भी यह देख सकता है कि मंहगाई से काश्तकार को कितना फायदा हुआ है और दूसरे लोगों को कितना फायदा हुआ . . . . . .

(श्री अध्यक्ष ने घंटी बजा कर समय समाप्ती की सूचना दी)

श्री ईश्वरीसिंह—मैं आपका ज्यादा समय न लेकर यही कहूंगा कि सेटलमेन्ट अच्छी तरह से होगा तो अच्छी बात है।

श्री मुक्तिलाल—सेटलमेंट के बारे में श्री एच. के. व्यास ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। सेटलमेंट पहले अमीन तथा एल. आर. ओ. जाते हैं और पहले पैमाइश करते हैं। उस वक्त भी वे काश्तकारों को बगैर पूछे उनके खेत लिख लेते हैं। उनके साथ कुछ पटेल होते हैं और पटवारी व गिरदावर होते हैं। वे लोग अपने मनमाने तरीकों पर खेतों को लिख ले जाते हैं और काश्तकारों को या दूसरे लोगों को जो वहां काश्त करते हैं यह भी नहीं पूछते कि यह किसका खेत है और इसमें कितने काश्तकार हैं। एल. आर. ओ. पैमायश के वक्त ले जाता है और पैमायश के बाद तो चक तलाशी होती है। उस वक्त एक खेत में या एक कुए में जितने आदमी काश्त करते हैं उनके अंगूठे नहीं लगाये जाते व दस्तखत नहीं होते। एक काश्तकार का गुत्था लगा दिया जाता है और दूसरे उस खेत में जितने भी काश्तकार काश्त करते हैं उनके नाम नहीं लिखे जाते। बाद में जब पर्चा आता है तब लोगों को पता लगता है।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]
उस काश्तकार को पहले यह मालुम नहीं पड़ता है। और खेतों का भी यही हाल है। जिसके नाम
खेत हैं उस काश्तकार को न पूछ कर पटेल या पटवारी को पूछ लिया जाता है और जिसका नाम पटेल
पटवारी बताते हैं, उसके नाम पर्चा कर दिया जाता है । इसके बाद सर्कल रेट बनाई जाती है । वे न
तो काश्तकार को बताई जाती हैं और न गांव में पब्लिश कराई जाती हैं, और अपने आप सर्कल रेट बना
कर १० साल पहले जो लगान ठिकाना या खालसाई गांवों में लेते थे उसी के आधार पर सर्कल रेट बना
दी जाती है । यह नहीं देखा जाता कि सर्कल रेट आज क्या मानते हैं । आज से १० साल पहले
आधा या तीसरे बांटे से जो लगान लिया जाता था उसी हिसाब से आज ८, १० साल बाद भी उसी हिसाब
से लगान लगा कर परचे बांट दिये जाते हैं। फिर जब सैटिलमेंट कमिश्नर आते हैं और काश्तकार
उन्हें यह बातें बताते हैं तो उनको कहा जाता है कि उस वक्त यह रेटस थीं, अब तो बहुत मंहगा भाव हो
गया है । पर उन को यह मालुम नहीं कि भगवान की कृपा से आज कूओं का पानी सूख चुका है ।
आज किसानों को काश्त करने में पहले से कितना ही ज्यादा अभी खर्चा पड़ता है ; अत: उसी हिसाब से
लगान लगाना चाहिये । पर लगान की रेटस इस भाव से मुकर्रर न करके आज से १० साल के पहले
के हिसाब से मुकर्रर की जा रही है । जमुआ रामगढ, रामगढ़, चाकसू, बैराठ तहसील, जयपुर, पाटन
आदि सर्कल्स में १० रुपया फी बीघा की रेट से परचे बनाये गये, कहीं साढे बारह रुपये फी बीघा और कहीं
१६) रुपये और कहीं साढे तेरह रुपये फी बीघा के हिसाब से परचे बनाये गये हैं । जब सैटिलमेंट कमिश्नर
साहब जमीन की जांच करने के लिए वहां जाते हैं और उनसे गांव के लोग कहते हैं कि आज से १० वर्ष
पहले जो आधे बांटे से और तीसरे बांटे से लगान लिया जाता था उसी हिसाब से आज रेटस मुकर्रर करके
पर्चे तकसीम किये जा रहे हैं, तो वे जवाब देते हैं कि जो बन गये सो बन गये, अब उनकी कोई सुनवाई नहीं
हो सकती । साल भर से मैं और दूसरे किसान इस बात के लिये चिल्ला रहे हैं, मिनिस्टरों के दरवाजों
पर जाते हैं परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है । दूसरे प्रान्तों में काश्तकार ही अपने खेतों के मालिक
होते हैं। उत्तर प्रदेश, सी. पी. आदि में ऐसा है कि काश्तकार ही अपने खेत का मालिक कहा जायगा, उसकी
जमीन उससे कोई नहीं छीन सकता ; परन्तु यहां हमारे राजस्थान में सैटिलमेंट ऑफिसर व अबारी
और अमीन लोग मन चाहे तरीकों पर काश्तकारों से जमीन छीन कर दूसरे को दे देते हैं और उस काश्त-
कार को उसकी अपनी जमीन पर कोई हक नहीं रहता ।

यह इस तरह का सैटलमेंट का तरीका बिल्कुल गलत है और सैटिलमेंट ऑफिसर से मिलने
से मालूम हुआ है कि वे लोग कहते हैं कि हमारे यहां सैटिलमेंट के कानून पूरे नहीं बने हुए हैं । इसलिए
मेरे दूसरे महानुभाव ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि सैटिलमेंट मेन्युअल बनाया जाय, मैं इसका समर्थन करता
हूं ।

श्री लालसिंह शक्तावत (उपाध्यक्ष)—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित
है इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह विवादास्पद नहीं है । मेरा ख्याल है कि इसके सम्बन्ध में
गवर्नमेन्ट की तरफ से यह कभी नहीं कहा जायगा कि सेटिलमेंट मैन्युअल नहीं बनाया जावे । मुमकिन
है गवर्नमेंट इसके बारे में यह कहे कि जो कमेटी बने वह और तरह की हो । इसके बारे में मेरा यही कहना

[श्री लालसिंह शक्तावत]

है कि गवर्नमेंट जैसा भी उचित समझे (वैसी कमेटी बना कर) वैसी व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी सेटिलमेंट मेन्यूअल बनाये। सेटिलमेंट मेन्यूअल की आवश्यकता, मेरे ख्याल से जो सेटिलमेंट से सम्बन्ध रखने वाले ऑफिसर्स हैं, वे भी महसूस करते हैं।

मैंने देखा है कि जो लेण्ड रेकर्ड्स तैयार होते हैं उनके लिए यह परम आवश्यक होता है कि कौन कौन कागजात बनाये जावें, और उनकी तस्दीक किस प्रकार हो। हमारे राजस्थान में बड़े पैमाने पर सेटिलमेंट की कार्यवाही हो रही है, कहीं तस्दीक कागजात, कहीं सर्कल फोर्मेशन और कहीं शरह, लगान आदि भिन्न भिन्न स्टेजेज में, इसकी कार्यवाही बड़े पैमाने पर चल रही है। और जहां देश की इतनी विभिन्न दशाएं हों, वहां तो सेटिलमेंट मेन्युअल का जल्द से जल्द बनाना परमावश्यक है, इसके लिए जल्दी ही व्यवस्था होनी चाहिये। यह नहीं होने से सेटिलमेंट कमिश्नर यह नहीं देखते कि किस्म जमीन जो तजवीज की गई है वह वहां के स्थानीय स्थिति को देखते हुए उचित है या नहीं। और जगह जगह की सेटिलमेंट मेन्यूअल में यह लिखा है, यह प्रोवाइड है कि सेटिलमेंट कमिश्नर खुद मौके पर जाकर देखे कि फलां तहसील या परगने में कौन कौन सी किस्म जमीन होनी चाहिये और साथ में वह वहां की किस्म जमीन का विश्लेशण कर ज्यादा से ज्यादा व्याख्या कर लेता है कि यह मेन (खास) किस्म जमीन होगी, यह उपकिस्म जमीन होगी और यह इस तरह काम होगा।

इसके नहीं होने से यहां बड़ी गड़बड़ी हो रही है। चूंकि मेरा सेटिलमेंट से बहुत वर्षों से सम्बन्ध रहा है, तरह तरह की शिकायतें मेरे पास आती रहती हैं और मैं महसूस करता हूं कि सेटलमेंट का स्टेन्डर्ड पहले था उससे गिर गया है। पहले छोटी छोटी इकाइयां थीं और उनके अलग अलग पूरे रूल्स थे और ऑफिसर्स भी अनुभवी थे। परन्तु हमारे यहां यह व्यवस्था नहीं है। मुझे बडा ताज्जुब हुआ जब मैंने यह देखा कि सेटिलमेंट कमिश्नर ने एक सेटिलमेंट ऑफिसर को, जिसने कभी मौके पर जाकर जांच नहीं की उसको सेटिलमेंट ऑफिसर के पद के लिए काबिल समझा और उसे सेटिलमेंट ऑफिसर का काम सौंप दिया।

लगान नहीं बढाया जावे, इसके लिए कांग्रेस की तरफ से आंदोलन हुआ था और अंग्रेज सरकार ने रिविजन ऑफ सेटलमेंट बन्द कर दिया था। जब मैं सेटिलमेंट के लिए अजमेर-मेरवाडा में बुलाया गया था तो उसकी वजह यह थी कि सेटिलमेंट ऑफिसर अनुभवी बहुत कम रह गये हैं।

पर हमारे यहां पर, मैं यह प्रसंगवश ही कह रहा हूं, जो सेटिलमेंट कमिश्नर हैं उन्होंने ओरीजिनल (Original) कहीं पर सेटलमेंट नहीं किया और यहां कई वर्षों तक यह काम चलाते रहे। उन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद कोई हिदायत कि किस तरह किस्म जमीन की जावे, किस तरह सर्कल बनाये जावें, आदि जारी नहीं की है। यहां पहली ही दफा सेटलमेंट हो रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में जहां पहली ही दफा सेटलमेंट हो रहा हो वहां बगैर सेटलमेंट मेन्यूअल के काम चलाया गया, इससे बड़ी गडबड़ी हुई है। जहां लगान के १०० बंधने थे वहां ६० बंधे हैं और जहां ६० होने चाहिये थे वहां १०० बंधे हैं। भावों वगैरह में डिस्टर्बेंसेज (Disturbances) हुए उसका मेन कारण यही था और उसकी उचित व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए यदि एक मेन्यूअल बन जाय तो उससे कम जानकारी वाले अफसर

Page No.45

[श्री लालसिंह शक्तावत]

भी लाभ उठा सकते हैं और बहुत सा कार्य व्यवस्थित कर सकते हैं। इसीलिए प्रसंगवश मैंने कुछ बातें कह दी हैं। मेरा निवेदन यह है और मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट कभी यह नहीं कहेगी कि सैटलमेंट मेन्युअल नहीं हो। कमेटी कैसी बने कैसी न बने; यह गवर्नमेंट का सवाल है। जैसा भी उचित हो, कमेटी बनावें। उनकी सुविधानुसार कमेटी बने और जल्दी से जल्दी मेन्युअल बनाने की व्यवस्था की जाय।

श्री बलवीर—अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन है और खास तौर से यह किसानों से ताल्लुक रखता है। इसलिये यह और भी महत्वपूर्ण है। यदि इस मेन्युअल को नहीं बनाया गया तो सरकारी मशीनरी इसी तरह से बदमाशी और बेईमानी करती रहेगी और किसानों को कुचलती रहेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसानों को इसी तरह से कुचला गया, किसानों की मांगों को ठुकराया गया और सैटलमेन्ट मेन्युअल बनाने के रिजोल्युशन को गिराया गया तो जिन किसानों के बल बूते पर राजस्थान सरकार जिन्दा है, आज कायम है, उन किसानों के हक-हककों पर कुठाराघात किया गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार चार दिन भी चलने वाली नहीं है (करतल ध्वनी)। एक एक डिस्ट्रिक्ट और एक एक तहसील में आज बड़े भद्दे तरीके से सैटलमेन्ट का काम किया जा रहा है। एक सैटलमेन्ट अफसर एक तरह की रिपोर्ट करता है तो दूसरा दूसरे तरीके की रिपोर्ट करता है। जो सरकार किसानों की हिमायत करने का दावा करती है, वही अगर किसानों के हकों की खिलाफत करती है तो वह सरकार ब्रिटिश जमाने की आक्रान्ता सरकार से ज्यादा बुरी है (करतलध्वनि) इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस रिजोल्युशन को पास करे और किसानों को, आगे आने वाले जमाने में उन पर जो आपत्ति आने वाली है उससे बचावे। यही कहता हुवा, श्री एच. के. व्यास के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ, मैं यही कहूंगा कि इसे पास किया जाय।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, जिस प्रस्ताव पर यहां पर काफी चर्चा हुई मैं समझता हूं कि प्रस्ताव की मंशा खास तौर से यह है कि सैटलमेन्ट मेन्युअल होनी चाहिये और उसको तैयार करने के बारे में एक कमेटी कायम करने के लिये प्रस्ताव किया गया है। अधिकांश सदस्य जो यहाँ बोले, मैं समझता हूं कि उन्होंने मेन्युअल से ज्यादा कुल मिला कर दूसरी बातें जो उनको कहनी थी वे कहीं और जिनके बारे में शायद वे स्वयं जानते हैं कि बहुत सी चीजों पर विचार चल रहा है यहां कहना उन्होंने आवश्यक समझा और माननीय एच. के. व्यास ने कहा कि यह व्यवस्था की दृष्टि से रचनात्मक सुझाव उन्होंने प्रस्ताव द्वारा दिया है। जहां तक सैटलमेन्ट मेन्युअल का प्रश्न है, वहां तक मैं इन्कार नहीं करता कि वह आवश्यक नहीं है। लेकिन कमेटी के द्वारा और फिर वह कमेटी इस सदन द्वारा ओफिशियल और नॉन ओफिशियल मेम्बरों की बनाने की जो उनकी मंशा है उसका ख्याल रखते हुए यह बहुत उपयुक्त नहीं होगा। सैटलमेन्ट का कार्य काफी टेक्निकल कार्य है और उसके जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इसकी पूरी छान बीन करने के बाद इस कानून का होना और उस पर चलना ज्यादा उपयुक्त होगा, बजाय इसके कि हम दूसरे उतार चढाव व बहस में पड़ें। इसमें बताया गया है कि चेयरमेन रेवन्यु बोर्ड हो और सरकार का कोई दूसरा अधिकारी हो; सैटलमेन्ट कमिश्नर और कुछ गैर सरकारी सदस्यों की कमेटी बने। मैं सदन की जानकारी के लिये यह अर्ज करूंगा कि इस प्रश्न पर सरकार ने पहली बार, आज यहां पर प्रश्न उठाया गया है और जोर जोर से बातें

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कहीं गई हैं इसलिये ध्यान दिया हो. ऐसी बात नहीं है। सरकार ने इससे बहुत पहले इसका महत्व समझा है। अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरह की कुछ जगह मेन्युअलस थीं और कुछ जगह नहीं भी थीं, उन्हीं के अनुसार काम करना पड़ा है और अब एक ही तरीके की मेन्युअल बनेगी। सारे राजस्थान के लिये एक रेवेन्यु बिल जल्दी ही पेश होने वाला है। उस बिल के निचे सैटलमेन्ट मेन्युअल सारे राजस्थान के लिये लागू होगी। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि सैटलमेन्ट मेन्युअल तैयार किया जा चुका है और उसको फाइनल शेप तभी दी जा सकती है जब कि रेवेन्यु एक्ट बनने वाला है वह पास हो जाय। उसके पास होने के बाद उसके साथ ही यह मेन्युअल भी सभी जगह लागू हो जायगी। लेकिन अभी अलग अलग जगहों पर भिन्न परिस्थितियां चल रही हैं; उन्हीं को ख्याल में रखते हुए, क्योंकि सैटलमेन्ट रोज चलता है, उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। रेकर्ड ऑफ राइट्स के लिये किसानों को जानकारी नहीं होती है और उनको ज्यादा दिक्कत होती है। इन चीजों के बारे में मेरे बहुत से लायक दोस्त जानते हैं कि समय समय पर हिदायतें जारी की गई हैं और अधिकारियों को यह सूचना दी गई थी कि जो सैटलमेन्ट रेकर्ड्स तैयार किये जायं उनकी किसानों को जानकारी हो और उन्होंने जो कुछ तैयार किया है उस पर किसान ऐतराज कर सकते हैं। पहले के बहुत से ऐतराज हैं, उनके लिये पर्याप्त कार्यवाही की गई हैं। उनमें सुधार भी किये गये हैं। यहां पर इस बारे में बहुत जोर से कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों के बारे में जांच की जा रही है, पर अन्तिम रूप से इसका निर्णय अभी नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से कुछ बातें ऐसी सामने लाई गई हैं। सैटलमेन्ट के बारे में जो कुछ करना चाहिये वह सरकार कर रही है। किसानों को तकलीफ पहुंचा रही है, ऐसा सोचना गलत चीज होगी। एक मित्र खड़े होकर यहां कुछ ओर से कहना चाहते थे पर जोश में यह कह गये कि न मालूम सरकार रहेगी या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी ......

श्री जसवन्तसिंह—वे आप ही की पार्टी के हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सही ढंग से कहा जाना चाहिये। तथ्य कम हो और कड़े शब्दों में कहा जाय तो इससे लाभ नहीं होता।

एक सदस्य—किधर से बातें हुई, जिसकी तरफ आपका इशारा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं तो सबसे ज्यादा जोर से जो बातें हुई उनके लिये कहता हूं। कुछ सज्जनों ने, क्या कमी रही और क्या कमी नहीं रही और क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता या इस बारे में कहा और यह भी कहा कि मेरे पास वे कई बार आये और सुनवाई नहीं हुई। इसके बारे में मैं अर्ज करदूं कि शायद यह शिकायत तो बहुत कम ही रहती है कि मैं सुनता नहीं हूं; पर सुनने के बाद सहमत होऊं या नहीं यह नहीं कह सकता। तो अफसोस है कि हर बात से सहमत नहीं भी हो पाऊंगा और इस पर कोई यह कहे कि सुनवाई नहीं हुई या हुई तो जिस स्थान पर मैं हूं वहां पर ये दोनों मौके आ सकते हैं और इससे प्रसन्न और अप्रसन्न होकर कोई कहा-सुनी करे तो इसके लिये जितना भी कोई भला बुरा कहे उसको सुनने व सहने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। क्योंकि एक तरफ से एक आदमी

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]
कहता है कि उसे शिकायत है और शिकायत को सुनते ही रफा कर दूं, यह तो सम्भव नहीं है। उसका दूसरा रुख भी मुझे जानना जरूरी है और इसके बाद ही मैं उस शिकायत के बारे में कुछ कर सकने की स्थिति में हो सकता हूं।

हां, सैटलमेन्ट के बारे में स्वाभाविक है कि कई दृष्टिकोण आ सकते हैं और इसमें पूरी तरह से छानबीन करने के बाद निश्चय किया जा सकता है और मैं इस बारे में इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो यह मेन्युअल तैयार किया गया है वह जानकार और विशेषज्ञों द्वारा ही तैयार किया गया है। पर सरकार को इस सदन के माननीय सदस्यों से भी, जो इस विषय के जानकार या विशेषज्ञ हैं, उनके अनुभवों का लाभ उठाने में भी झिझक नहीं होने वाली है।

लेकिन केवल चर्चा और बहस उस पर हो; केवल इस नियत से कोई मेन्युअल कमेटी हो और उसके अन्दर, विशेषज्ञ बैठें और वे अपनी राय रक्खें और दूसरे दूसरी राय रक्खें और इस तरह से चर्चा का विषय बना कर इसमें पड़ें; यह इस प्रस्ताव का उद्देश्य, जैसा कि लगता है, अगर है तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। सेटलमेन्ट मेन्युअल जल्दी से जल्दी तैयार हो; यह अगर मंशा होती तो मैं इससे सहमत होता। पर इस मामले को बहस और चर्चा में डालने के लिये कमेटी वाली इस बात से सहमत नहीं हूं। इसलिये संक्षेप में यह कह दूं कि सैटलमेन्ट मेन्युअल बनना चाहिये, और वह बन भी गया है, इससे सहमत हूं और जिन विशेषज्ञों के नाम लिये गये हैं उन्होंने मिल कर ही बनाया है। यह भी आपको बता दूं कि इस सैटलमेन्ट मेन्युअल को अकेला सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ही नहीं तैयार करता है। यह और भी दूसरे दूसरे ऑफिसेज में जाता है और उनकी रायें आती हैं तथा विशेषज्ञों के पास जाता है और उनकी भी राय इसमें होती है। अकेला सेटलमेन्ट का डिपार्टमेन्ट इसे पास नहीं करता है। इसके अन्दर जहां तक विशेषज्ञों की राय का सुझाव है वह सब विशेषज्ञों की राय इसमें आ गई है। केवल यह भावना कि चूंकि यह सरकार की तरफ से आया है, इस सदन के माननीय सदस्यों को इसमें बहस और चर्चा का अवसर दिये जाने की बात कह कर इसे लम्बा करने के अपने उद्देश्य से यह प्रस्ताव रक्खा है तो इससे साफ प्रकट है कि जो सम्मति मिलने की बात कही जाती है वह भी नहीं मिलनेवाली है।

और दूसरी बात है कि कानून बनाने के बाद, राजकीय व्यवस्था की दृष्टि से भी सरकार के विचार करने का जो निश्चित सिद्धान्त है उसके आधार पर उस कानून को कार्यान्वित कराना सरकार का ही कार्य हुआ करता है और यह मेन्युअल इत्यादि सरकार के विभागों को सूचनाओं के तौर पर देने की चीजें हैं। सरकार के एग्जिक्युटिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो अंग है उसका यह काम है।

तो इस तरह अगर इस संशोधन में सदन की इस कमेटी का हिस्सा नहीं होता तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता। पर इस स्थिति में जैसा कि यह प्रस्ताव आया है मैं दुख के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में मजबूर हूं।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, काफी बहस इस प्रस्ताव पर हुई है और मेरे माननीय मित्रों ने सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को मन्जूर करने में असमर्थता भी बताई है या यों कहिये कि विरोध भी किया है।

मैं ज्यादा समय तो लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे खुद के ही समय में कमी होगी अन्त में जाकर। लेकिन दो बातें मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं—

जहां तक मैं माननीय मन्त्री जी को समझ पाया हूं, सैटलमेन्ट मेन्युअल बनाया जाना चाहिये; इससे उन्हें एतराज नहीं है और सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाया जाना चाहिये, कुछ तैयार भी हो गया है, उस हद तक उन्हें ऐतराज नहीं। डर उनको लगता है तो केवल सदन के मेम्बरों का। और सारे के सारे अपने बयान में उन्होंने जो मुख्य बात कही वह यही कि सदन के मेम्बरों को इसमें ऐसोसियेट करने के अलावा, उनकी उसमें कुछ नुक्ताचीनी हो, नोंक झोंक हो ; इसके अलावा बाकी सब कुछ करने को वे तैयार हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की जान ही दर असल वही है और वह इसलिए कि अगर सैटलमेन्ट के काम पर वाकई इतना ध्यान दिया गया है, और एक सैटलमेन्ट मेन्युअल भी तैयार हो चुका है पर उस पर भी हाल यह अगर है कि आज जगह जगह अव्यवस्था साफ दिखाई दे रही है, इस महकमे में ; तो यह प्रश्न केवल ओझल ही कर दें ऐसा नहीं है। यह प्रश्न है हमारे कानूनों को ठीक तरह से अमल में लिया जा रहा है या नहीं, इसकी देखभाल करने का। और जो देखभाल करने का काम है वह काम नहीं किया जा रहा है ; बल्कि कानून के विपरित सरकारी विभाग कुछ अपने ही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये सदन के मेम्बरों को एसोसिएट करने में मन्त्री जी को ऐतराज मालूम होता है। टीनेन्सी कायदे बनेंगे, यह ठीक है ; पर इसको बनाने में एक साल लग जावेगा और इस दरमियान में ४२ फी सदी अनसैटल्ड जो केसेज हैं वे घटते-घटते १० या १२ फी सदी रह जावेंगे। इसके बाद सैटलमेन्ट मेन्युअल बनेगा। जब तैयार होगा बन कर तो शायद तीन सौ, चार सौ पेज की किताब सरकारी प्रेस से छप कर शाया होगी और मन्त्री जी कहेंगे कि हमने मेन्युअल तैयार कर दिया।

तो अगर इनकी यही मंशा है कि सैटलमेन्ट का काम खतम होने के बाद सैटलमेन्ट मेन्युअल तैयार करना है तो बात दूसरी है ; पर अगर आज अमल में लाना है तो टीनेन्सी कानून के बनने से पहले ही कुछ नियम बनाने होंगे। आपके पुराने टीनेन्सी लॉज में १० साल के इन्द्राज का कायदा है। पर कल यह बिल पेश होगा। अब क्या अमल में लाया जावेगा? राजस्थान के सटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा १० साल या बीस साल अगर इसमें से ६ साल, फैमीन के काट कर रख दिये तो इसके पिछले ६ साल हैं तो उन्हें जोड़ कर १० साल तो करिये। अगर सैटलमेन्ट मेन्युअल बन जाने के बाद और इतना ध्यान देन के बाद भी इतनी मोटी मोटी खामियां इसमें हैं तो इन खामियों को दूर करने की मंशा होनी चाहिये। आज जो इस सदन में माननीय सदस्य हैं इस तरफ और उस तरफ भी, वे एक तो सम्बन्धित प्रश्न से और जो दर असल में हकीकत है, सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति हैं, और इस मामले के अधिकारी भी हैं और इसलिये मैंने कहा कि दोनों को मिला कर बनी हुई कमेटियां काम करें ; केवल सरकार के अधिकारी इस प्रश्न का सही हल नहीं कर सकते। मुझे तो ताज्जुब है कि क्यों इस प्रस्ताव का विरोध

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किया जा रहा है और मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव का विरोध करने का तात्पर्य यह है कि आप कितने भी आश्वासन दें, तसल्ली की बातें कहें, पर हकीकत यह है कि यह बना-बनाया कानून नहीं लागू होने वाला है। राजस्थान में जमीनों का सेटलमेन्ट हो जाने के बाद मेन्युअल बनने वाला है और अगर यही मंशा है तो फिर दूसरी बात है। पर मेरी मान्यता है कि बहुमत इस पक्ष में नहीं है। अपनी तरफ बैठने वाले सदन के सदस्यों को आप अपने पार्टी व्हिप से रिलीज करदें, तो मैं चेलेंज देकर कहता हूं कि मेरा प्रस्ताव इस सदन में पास होगा और निश्चय ही पास होगा ; महज उनको पार्टी व्हिप के अनुशासन से रिलीज करदें। छोड दें उनको अपनी इन्डिपेन्डेंट राय प्रकट करने को और फिर देखें बहुमत किस तरफ आता है। वे अपने अपने इलाकों के अनुभवी लोग हैं। वे जानते हैं इन मामलों से और रोज मर्रा के उनके जीवन में इन चीजों से वास्ता पड़ता है। वे देखते हैं इस प्रदेश के किसान–वर्ग की हालत को और इसीलियें वे सब चाहते हैं कि इस किस्म का प्रस्ताव पास होना चाहिये। इसी भावना को, पार्टी व्हिप के अनुशासन को तोड कर भी, वे कभी प्रकट भी कर जाते हैं। यह मेरी बात का पक्का सबूत है कि पार्टी व्हिप के नाम पर उनका गला घोंट घोंट कर इस प्रस्ताव को वापिस करा दें, यह दूसरी बात है; पर बहुमत मेरे साथ है। कम से कम आप इस मामले में पार्टी व्हिप को तोड दें तो मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि एक मत से नहीं तो बहुमत से तो अवश्य यह प्रस्ताव पास हो जायगा। और आप इसे बहुमत से पास करेंगें यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

श्री अध्यक्ष—So now I put the question. I read out the Resolution:—

"This House is of the opinion that steps be taken by the Rajasthan Government to appoint a Committee of three persons, one officer to be nominated by Government, Chairman, Board of Revenue, Rajasthan, and three members of the Rajasthan Assembly to draw out a Settlement Manual for Rajasthan."

(विराम)

The question is that the Resolution be accepted.

(Motion fails).

श्री जसवन्तसिंह—I claim that the Ayes have it.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—Noes have it. What is your judgment, Sir?

श्री जसवन्तसिंह—Sir, the Ayes have it. The Ayes were louder. We claim Division.

(विभाजन घंटी बजी, प्रश्न पुनः रखा गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—The resolution is dropped.

(विराम)

आ--अलवर के किसानों पर लाठी चार्ज सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष—Shri H. K. Vyas to move his next Resolution.

एक सदस्य (कांग्रेस)—On a point of order, Sir, has the resolution that is being moved, has been sent..............................

(ध्वनियें—"सुना नहीं")

श्री अध्यक्ष—This was put by way of a question and some information was sought. What is the point of order.

श्री एच. के. व्यास—No. There is no point of order. There is a point of confusion.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—No. There is a point of order. The question to which this Resolution refers is already the subject matter of judicial enquiry and the case is sub-judice.

श्री एच. के. व्यास—I submit, Sir, that a judicial enquiry was not ordered by the Hon'ble Home Minister. Within these three days a judicial enquiry has been ordered. He can inform the House and then alone we can consider.

श्री टीकाराम पालीवाल—The matter is before a criminal court.

श्री एच. के. व्यास—Then I submit that it is a method to evade the issue because a case against certain persons who had been lathi-charged has been launched. I am not concerned with the conduct of these persons. I am simply concerned with the incident that took place on a particular day in Alwar pertaining to a Lathi charge. I want to know whether the Lathi charge is sub-judice in any court and that whether Government have ordered any Court or requested any court to decide upon the correctness or otherwise of the lathi charge. I submit that there is no such incident and therefore the whole matter is not sub-judice and thus the Resolution is admissible.

श्री टीकाराम पालीवाल—This is exactly the point of order. As my learned friend says the point is whether the Lathi-Charge was justifiable or not. This is the very subject before the Court, the criminal court and those who were lathi charged are being tried in a ciminal court. So long as that question is before the Criminal Court there is no limit to which the question can be divested from discussion on the present Resolution. The question is whether those who went there did so without any wrongful excuse, whether they transgressed their limits, the rights to ente into a particular *building*, rights to demonstrate or take part in procession,

Page No.51

[श्री टीकाराम पालीवाल]
whether the authority who ordered lathi charge were justified, whether those who, in such circumstances, lathi charged them and pushed them out of the building, all these things are interconnected and it is impossible to divest a certain issue from the rest of the matter which is before a Criminal Court and is sub-judice.

श्री एच. के. व्यास—Sir, I claim protection on the basis of a precedent on a matter previously raised in this House. During the last session the House adopted a Resolution to order a judicial enquiry into the firing in Jodhpur. Certain persons in Jodhpur also have been involved in certain similar incidents and they are being tried. Unfortunately or fortunately, I am also one of them. That Resolution was admitted and adopted. I am not aware that that precedent is a subject of anxiety on the part of some Minister opposing a discussion on this Resolution which can be passed on the basis of the precedent. I submit, Sir, that the Resolution is admissible, and that I should be permitted to move it.

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Speaker, Sir, I think th Hon'ble Member remembers that at that time also a point was raised. So it does not lead to prove that there is no ruling on the point or that even if the point was raised it does not affect the present question. The question is whether the House seeks to discuss a matter which is already before the Court. It is a question of the properiety or otherwise of discussing such a matter.

श्री अध्यक्ष—Is the Advocate-General here?

(पूछ ताछ पर पता चला कि वे सदन में नहीं हैं)

श्री टीकाराम पालीवाल—So the House awaits your ruling. Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रथम प्रश्न तो यह है कि सदन की पिछली बैठक में ऐसा ही एक रिजोल्यूशन पेश किया गया था। यदि उस वक्त भी ऐसा कोई प्रश्न होता जिस पर कि आपत्ति की जाती तो रूलिंग की आवश्यकता होती और उसके आधार पर माननीय सदस्य प्रोटेक्शन ले सकते थे। किन्तु वह रूलिंग तो थी ही नहीं। इस विषय में मामला जब कि एक न्यायलय के विचाराधीन है और उन आदमियों के खिलाफ जिन पर कि लाठी चार्ज हुआ और उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो उसमें क्या डिफेन्स लिया जाने वाला है वह विवादास्पद विषय है और इस रिजोल्युशन को स्वीकार करते समय ऐसी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है कि अमुक सीमा तक इसका डिस्कशन सीमित रहेगा और अमुक सीमा तक वह नहीं आ सकेगा। ऐसी सूरत में चाहे जितनी सतर्कता से बहस करें वह अदालत को प्रभावित किये बिना नहीं रहेगा। अतः रूल्स ओफ बिजनिस के नियम १५६ के उपभाग "डी" के अनुसार मैं इसको रूल आउट करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष]

Next

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I want to raise another point of order.

श्री टीकाराम पालीवाल—The motion has been ruled out. I do not think any point of order can be raised now.

श्री अध्यक्ष—Regarding this very matter.

श्री एच. के. व्यास—Regarding the stage at which a Resolution could be disallowed. Rules have been quoted................

श्री अध्यक्ष—You have every right to draw my attention to relevant Rules.

श्री एच. के व्यास—I want your ruling, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल—A ruling has been given.

श्री अध्यक्ष—I do not think further discussions should be permitted on this point. Next.

राजस्थान के राज-कर्मचारियों के एकीकरण के सम्बन्ध में एक समिति की नियुक्ति

श्री एच. के. व्यास—Then I move my Resolution No. 3 which runs as follows:—

"This House is of the opinion that steps be taken by the Rajasthan Government to appoint a Committee of enquiry composed of three persons, one High Court Judge, one representative to be nominated by the Government and one Member of the Rajasthan Legislative Assembly to be chosen by the Government Employees, to re-examine the whole question of integration of services done by the Government to find out if any irregularity, favouritism, nepotism has taken place."

श्री अध्यक्ष—Because this is your last Resolution, you keep the time in view for other members also.

श्री एच. के. व्यास—Yes, Sir.

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, ऐसा मालूम होता है कि सरकार के उस तरफ बैठने वाले माननीय मित्रों को मेरे प्रस्ताव नं० ३ में ज्यादा दिलचस्पी थी और इसलिये प्रस्ताव नं० २ का चलते चलते गला-घोंट दिया और सीधे प्रस्ताव नम्बर ३ पर बोलने का मुझे मौका दे दिया । खैर। लेकिन वह भी कोई इतना अच्छा विषय होने वाला नहीं है जहां तक मन्त्री महोदय का ताल्लुक है, और मैं इसलिए कहता हूं कि राजस्थान राज्य में यह एक बहुत गम्भीर विषय बन गया है । इसके पहले

[श्री एच. के. व्यास]

कि मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहूं एक बात साफ कर देना चाहता हूं; इसलिये साफ कर देना चाहता हूं कि बहस के दौरान में उस एक बात के पीछे, उसको एक कारण बना कर, असलियत के बोझे में ढकेलने की कोशिश न की जाय। मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूं उसका सम्बन्ध राजस्थान के काम करने वाले सैकड़ों-हजारों मुलाजिमों से है। मैं जानता हूं कि सरकार के कानून के मातहत उन मुलाजिमों को किसी भी राजनैतिक पार्टी में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, मैं यह भी जानता हूं कि जिन मुलाजिमों पर या जिनके हक में अन्याय हुआ है और जिनका कि मैं यहां जिक्र करूंगा उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनका मेरे विचारों से मेल नहीं खाता, शायद उनके विचार मेरे से विपरीत हों; फिर भी अन्याय अगर कहीं हुआ है, तो जिस व्यक्ति के प्रति अन्याय हुआ है उसके विचार क्या हैं, इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता। विचारों की स्वतन्त्रता है और इस नाते पहले इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ कहूं। मैं यह साफ कर देना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव में जिन बातों का जिक्र है उनका न तो मुझसे व्यक्तिगत, राजनैतिक या किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध हो सकता है और न किसी दूसरे सदस्यों से हो सकता है और न ही होना चाहिये। यह मन्त्रियों के लिए भी लागू होता है कि वे भी इस असलियत को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें, बातों को पर्दे में डाल कर उसको पीछे छिपाने की कोशिश न करें। मैंने यही उचित समझा है कि मैं आपको यह पहली बात साफ कह दूं।

दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि पिछले कई दिनों से हमारे इस नये राज्य में इन्टीग्रेशन का जो प्रश्न है वह न सिर्फ बातचीत और चर्चा का प्रश्न है; किन्तु सैकड़ों आदमियों के दिल मसोसने का प्रश्न है, कई कई आदमियों के लिए भविष्य का प्रश्न है और हमें इस बात को भूल नहीं जाना चाहिये। पिछली बार जब सदन की कार्यवाही यहां हो रही थी तो सर्विसेज का एक नागरिक, जिसका ताल्लुक सेक्रेटेरियेट से था, सेक्रेटेरियेट में जो फैसला हुआ, जो अन्याय-पूर्ण फैसला हुआ, उनको उस फैसले का इतना शोक (shock) लगा कि हार्ट फेल होकर वे इस दुनियां से चले गये। इतनी गम्भीर घटना का भी ताल्लुक इसी प्रश्न से है जिस प्रश्न का जिक्र अभी यहां हो रहा है और यह एक हकीकत है कि जिस दिन इस फैसले का ऐलान हुआ उस दिन या उसके दूसरे दिन वह अनफोर्चुनेट घटना घटी। तो फिर इसको हल कैसे किया जायेगा? मेरा यह कहना है, माननीय अध्यक्ष, कि इस इन्टीग्रेशन के मामले को तय करने में किसी एक व्यक्ति विशेष या कुछ विशेष व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है किन्तु प्रश्न है सिद्धान्तों का, कि किन सिद्धान्तों पर यह इन्टीग्रेशन किया गया? इन सिद्धान्तों का प्रश्न ही हमारे सामने है। मैं कहना चाहता हूं और ताईद के लिए चीजें भी पेश करूंगा कि शुरू शुरू में जो इन्टीग्रेशन किया गया वह किसी सिद्धान्त पर नहीं किया गया और वह मनमाने तरीकों पर किया गया; इसलिये जांच आवश्यक है। मैं सबसे पहले सचिवालय का जो इन्टीग्रेशन हुआ है उसके बारे में जो घटनाएं घटी हैं उनको बताना चाहूंगा।

जब से इन्टीग्रेशन का प्रश्न सामने आया तब से कई बार इस सचिवालय में काम करने वाले व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि सम्बन्धित मंत्रियों के पास गये और अंत में वे एडवाइजर के पास भी गए और वहां उन्हें इस बात की तसल्ली दी गई, बल्कि राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्म शाया किया जिसमें यह लिखा था कि लेंग्थ ऑफ सर्विस, सीनियोरिटी, कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट,

[श्री एच. के. व्यास]
नोटिंग करने की योग्यता, डिस्पोजल करने की योग्यता और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सम्बन्धित सेक्रेटरियों की ओपिनियन के अधिकार पर हम फैसला करेंगे।

यह आधार मुकर्रर होने के बाद यह हुआ कि सारा का सारा फैसला पर्सनल इन्टरव्यूज के आधार पर हुआ और पर्सनल इन्टरव्यूज करके फैसले किये गये।

इतना ही नहीं लेकिन जो उस समय एडवाइजर थे उन्होंने भी सरकार को लिख दिया कि इन्टर-व्यूज ऐसी चीज है जिसके आधार पर सचिवालय में काम करने वाले लोगों की काबलियत का फैसला नहीं किया जा सकता है। जब यह सुझाव सरकार के पास आया तो इसके आने के बाद कैबिनेट में फैसला करके एक सर्कूलर निकाला गया कि हम इन ६ चीजों के आधार पर फैसला करेंगे; लेकिन इसके बाद भी न जाने अचानक क्या होगया कि इन्टरव्यू हुए और इन्टरव्यू में किसी से एक सवाल किया गया, किसी से दो और किसी से तीन चार सवाल किये गये और इस प्रकार ५-५ मिनिट में ही मुलाजिमों का भविष्य तय कर दिया गया। एक दो मिनिट का भी पर्सनल इन्टरव्यू किया गया और इसी के आधार पर सारे के सारे फैसले किये गये।

मैंने जो सुना है और अखबारों में भी जो चीजें छपी हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुछ कुछ व्यक्तियों को तो एक-एक, दो-दो प्रश्न पूछे गये और किसी से हिन्दी का अंग्रेजी में तर्जुमा कराया गया। इस प्रकार की कार्यवाहियां की गई और इसके बाद फैसला कर दिया गया।

आज हकीकत यह है कि अगर यह फैक्ट्स हैं तो इनकी जानकारी की जानी चाहिये कि यह क्यों हुआ और इसकी जानकारी निष्पक्ष तरीके से हो सके इसका रास्ता होना चाहिये।

एक यही बात होती तो परिस्थिति इतनी गम्भीर नहीं होती। इसके बाद यह होता है कि कुछ रूल्स बनाये जाते हैं। कुछ पहले और कुछ बाद में और वे इस प्रकार से बनाये जाते हैं कि सात साल की सर्विस जिनकी नहीं है वे अमुक-अमुक श्रेणी के काम में सिलेक्शन में आने के लिए या उस पोस्ट मुकर्रर होने के लिए एलिजिबल नहीं हैं।

एक रूल बनाया; वह चाहे किसी आधार पर बना, पर उसका कोई कारण होना चाहिये। क्या सरकार के नोटिस में इस रूल को बनाते वक्त कोई जानकारी नहीं थी?

दूसरा सिलेक्शन होता है असिस्टेन्ट सेक्रेटरियों का। उनके लिये अमुक तारीख तक सेक्रेटेरियेट में अगर वे आ गये तो वे सज्जन योग्य होंगे, चुनाव में आने के लिये। एक तारीख मुकर्रर की जाती है इसके लिये; पर बाद में वह तारीख बदल दी जाती है, लेजिबिलिटी की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। और आप ताज्जुब करेंगे तारीख मुकर्रर की जाती है २० दिसम्बर। अब जरा गौर करने का प्रश्न है कि आखिर वह दिन कौनसा ऐसा ऑस्पिशियस डे (auspicious-day) था कि जिससे उसी को चुना गया सेक्रेटेरियेट में। अगर तारीख ही रक्खी जानी थी तो वह तारीख रक्खी जाती जब ईन्टीग्रेशन शुरू हुआ और अगर दिसम्बर का महीना ही ऑस्पिशियस समझा गया तो १ तारीख या ३१ या वीच क

Page No.55

[श्री एच. के. व्यास]

रास्ता निकालना था और १५ तारीख मुकर्रर हो जाती। पर यह बीस तारीख कहां से पैदा कर दी गई? कौनसा ऑस्पिशियस डे था यह ?

मेरा कहना है और इतने खुले आम एलिगेशन्स लगाये गये हैं सरकार पर कि दिसम्बर की २० तारीख जो उन सज्जन के लिए नियत की गई, जो असिस्टेन्ट सेक्रेटरी बन कर १६ दिसम्बर को आये और जो उस १६ दिसम्बर के दिन मुकर्रर किये गये। महज उनको एलिजिबल करने के लिये २० दिसम्बर की तारीख नियत कर दी गई। यह है इन्टीग्रेशन के नाम पर खिलवाड़।

अगर आप मनुष्य के भाग्य का, उसके भविष्य का निर्णय कर रहे हैं तो इन बातों से बाज आएं यह क्या कि इस प्रकार की चीजें हों। तारीख मुकर्रर करने में भी इन बातों का ख्याल रक्खा जावे कि अमुक व्यक्ति के आने के बाद मुकर्रर की जावे वह तारीख या पहले की ? इस प्रकार के बोना फाइड्स को चेलेन्ज करने वाले ग्रेव एलीगेशन्स लगाये गये हैं, जिनका जवाब सरकार के द्वारा दिया नहीं गया है; क्योंकि इसका जवाब दिया नहीं जा सकता, क्योंकि यह सब चीजें रेकॉर्ड में हैं।

तीसरी बात इस सिलसिले में और बताऊं और वह यह है कि मुझे यहां तक सूचना मिली कि जो सिलेक्शन किया गया वह लिस्ट एक बार नहीं तीन बार बदली गई। एक अधिकारी आये थे भारत सरकार द्वारा मुकर्रर किये हुए और उन्होंने फोर्स कम करने के सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में उन्होंने स्ट्रेन्थ मुकर्रर की कि इतने व्यक्ति रक्खे जावें काम करने के लिये। उसमें लीव रिजर्व का कोई हवाला नहीं। उन्होंने और भी सुझाव दिये थे, काम को आर्गेनाइज करने के लिये। वे अमल में नहीं लाये गये और किया यह गया कि एकदम ३३३ या ऐसी ही स्ट्रेंगथ मुकर्रर कर दी गई। उसी आधार पर सिलेक्शन किया गया और आज यह हाल है कि फिर उसमें लगातार रिविजन होते होते वह सूची ४०३ तक पहुंच गई। अगर यही करना था आपको तो सोचना चाहिये था कि आप इतने गम्भीर फैसले कर रहे हैं और इसमें भी बाद में चार–चार बार रिविजन हो गये और आज यह करते करते ४०३ की लिस्ट बन गई है। यदि ऐसी बात थी तो पहले ही रिविजन का ख्याल रखकर एक डेट मुकर्रर करके इन्टीग्रेशन करते। किन्तु हुआ यह कि जिन जिन व्यक्तियों के नाम एक लिस्ट में आये उसमें एक व्यक्ति का नाम होता है किन्तु कल दूसरी लिस्ट बनी तो उस लिस्ट में से उस व्यक्ति का नाम गायब है और उसकी जगह दूसरे ही व्यक्ति का नाम है। यह चीज हुई है। तीन तीन और चार चार बार लिस्टें बनी हैं। यह एलीगेशन तक लगाये गये हैं कि अगर एप्लीकेशन्स के प्रो फॉर्मा देखे जावें तो औ और भी कई गुल खिलेंगे कि हकीकत में किन किन केसेज में क्या क्या हुआ। अगर इस प्र इर्रेगुलेरिटीज हमारे सामने आई हैं तो यह भी गम्भीर विचार विषय बन जाती हैं।

और जो बात मैं कह रहा हूं वह बात किस एब्सर्ड हद तक फैसले को लेजा चुकी है इसकी दो तीन मिसालें और देना चाहूंगा

सचिवालय में कुछ लोगों को अपर डिविजन क्लर्क्स और लोअर डिविजन क्लर्क्स मुकर्रर किया गया है। कई लोगों को अपर डिविजन क्लर्क के पद से तोड़ कर लोअर क्लर्क मुकर्रर किया है और लोगों को सर्प्लस स्टाफ में डाला है। आप देखेंगे कि जितने लोग मुकर्रर किये गये हैं उनमें कितने ही नॉन

[श्री एच. के. व्यास]
मेट्रिक हैं और जिन लोगों को एलिजिबल नहीं माना गया उनमें हाइली एजुकेटेड लोग पावेंगे; एम. ए., बी.ए., एल.एल.बी. आदि। किस व्यक्ति के पक्ष में और किसके विरुद्ध फैसला हुआ। इसके सिलसिले में कहना नहीं चाहता। पर इतना अवश्य कहूंगा कि क्या राजस्थान सरकार का कायदा केन्द्रीय सरकार के कायदों से जुदा है ?

केन्द्रीय सरकार का अकाउन्टस आफिस यहां है। उन्होंने भी इन्टीग्रेशन किया है। पुराने मुलाजिमों को छांटा है और सारी दुनिया में माना हुआ सिद्धान्त है और माना जाना चाहिये कि कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री को एक क्वालिफिकेशन माना जाता है; पर वह यहां नहीं रक्खी गई। खैर। यह सिद्धान्त अगर आप मानते हो कि हम तो ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन के आधार पर छंटनी नहीं करेंगे, हम तो सीनियोरिटी ऑफ सर्विस के आधार पर करेंगे, तो ठीक है। पर इस मुताबिक भी आप देखेंगे तो पावेंगे कि सुपरिन्टेन्डेन्ट के सिलसिले में जो सीनियर मोस्ट हैं वह रिड्यूस हो गया है और कोई असिस्टेन्ट सेक्रेटरी भी अगर गिरा तो इतना गिरा कि एक सीढी तक ही नहीं असिस्टेन्ट सेक्रेटरी से सुपरिन्टेन्डेन्ट, सुपरिन्टेन्डेन्ट से अपर डिविजन क्लर्क और इससे भी गिरा तो लोवर डिविजन क्लर्क तक नौबत आ गई; और ऐसे भी कई केसेज हुए हैं, चाहे तो इन्हें हार्ड केसेज समझ लो या किसी भी प्रकार का केस समझलो। तो इस प्रकार से सारे इन्टीग्रेशन का काम हुआ।

और इसके बाद ?

लोगों ने पहले कहा था कि आप जल्दी से फैसला करें क्योंकि यहां अगर हमारी बारी नहीं आवेगी तो कम से कम जिस विभाग से आये हैं वहाँ तो पड़े रहेंगे। तब फैसला जल्दी नहीं किया गया। लोगों ने ट्रान्सफर्स मांगे अलग अलग विभागों के लिये, किन्तु उन्हें इसकी इजाजत दी नहीं गई। चन्द व्यक्तियों को छोड कर आज कहा जा रहा है कि तुम जाओ अलग अलग विभागों में और वहाँ जाकर, काबिल हो या नहीं इसका फिर से इम्तहान दो। ले लिए जाओगे अगर एलिजिबल हुए तो, नहीं तो घर का रास्ता खुला है। जिन लोगों ने कई सालों तक सरकार की नौकरी की है और शायद अब और किसी काम के वे रह भी नहीं गये हैं सिवाय सरकार की नौकरी में पड़े रहने के तो उन लोगों को आपने पहले जाने का मौका क्यों नहीं दिया अपने यूनिट्स में ?

अपनी अपनी जगह जहां वे जाना चाहते थे वहां जाने की पहले इजाजत क्यों नहीं दी ? वे अलग अलग विभागों में जाते और वहां अपनी जगह कायम कर लेना चाहते थे। किन्तु आपने उनको ऐसा नहीं करने दिया महज इसलिए कि आपने सेक्रेटेरियेट का इन्टीग्रेशन नहीं किया। इन्टीग्रेशन किया तब आखिर में किया और अब हम कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारी इतनी स्ट्रेंग्थ है, इसलिए आप चाहें जहां जायं। ६ महिने बाद विभागीय अफसर फैसला करेगा कि आप काबिल हैं या नहीं। अगर यही होना था अन्त में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर इन्सानियत के नाते आपको यह तो करना था कि जल्दी ही यह फैसला किया जाता। अगर जल्दी नहीं किया जा सकता था तो अब कम से कम उन लोगों को दूसरे २ विभागों में एब्सॉर्ब करने का इन्तजाम किया जाय, लेकिन यह नहीं किया जा रहा है, इसलिए आज मुझे यह प्रस्ताव लाना पड़ा है।

[श्री एच. के व्यास]

न सिर्फ सचिवालय के महक्मे के अन्दर ऐसा हुआ है, में यह कहता हूं कि जिस २ महक्मे में इन्टीग्रेशन हुआ है, उस २ महक्मे का यही हाल किया गया है। पिछली बार सदन में नर्सेज और कम्पाउन्डर्स के प्रश्न पर जो कुछ मैंने बात की उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इतना तो जोर देकर कहना चाहता हूं कि उनके जो ग्रेड मुकर्रर किये गये थे, आउट कर दिये गये। उनको अफसरों ने कहा कि वे ग्रेड दिला दिये जायंगे। उनको यह मिला, १८ महीने के बाद। २ ग्रेड में एक स्पेशल ग्रेड मुकर्रर किया था। न उस गजट में तथा न और कहीं लिखा है कि हमने स्पेशल ग्रेड मुकर्रर किये थे। डाईरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ ने उनको शायद कहा कि मेट्रिकुलेशन का सवाल केवल नये मुलाजिमों के लिए होगा। लेकिन बाद में सारे के सारे मुलाजिमों के लिए इस क्वालिफिकेशन की बार लगा दी जाती है। इस प्रकार उन मुलाजिमों की हालत क्या होती है, वह सदन के सदस्यों से छिपी नहीं है।

बिजली घर का इन्टीग्रेशन हुआ। इन्टीग्रेशन में १८-१८ साल के पुराने मुलाजिम जो थे उनका प्राविडेन्ट फन्ड कटता था, सरकार से छुट्टी आदि की बहुत सी सहूलियतें उनको दी जाती रही हैं किन्तु आज अचानक उनसे कहा जा रहा है कि इतने साल उन्होंने काम किया वह तो बेकार गया, क्योंकि राजस्थान सरकार ने तय किया है कि हमें यूनिफाइड पे स्केल्स १९५० से लाने हैं, इसलिए १९५० से उनकी सर्विस गिनी जायगी। यह कहां का इन्टीग्रेशन का सिद्धान्त है कि जिस आदमी को इतने साल सर्विस के हो गये, उनके लिये महज आपने फैसला किया है कि हम तुमको आज मुलाजिम हुए गिनेंगे। नतीजा यह हुआ कि २०-२२ साल के पुराने जो मुलाजिम हैं उनको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। आज काम करते २ जो मिस्त्री बुड्ढा हो गया, उसने अपने खून का पसीना बना २ कर सारे के सारे राजस्थान सरकार और पुराने जमाने की सरकारों के आला अफसरों का हुक्म बजाया, काम किया और अब उससे कहा जाता है कि जैसी नई भरती हो रही हो, शायद ४६ साल की उम्र में और २२ साल की नौकरी करने के बाद उसका सारा शरीर अशक्त हो गया है, और अब उससे मेडिकल सर्टिफिकेट डिमान्ड किया जा रहा है, जैसे नये आदमी भरती कर रहे हैं और उसके बराबर उसके शरीर की शक्ति हो! यह तो इसी तरह की चीज है कि आप फौज में एक आदमी को रखें, बोर्डर पर उसको भेजें, वह १० साल बोर्डर पर काम करे, गरमी की लू सहे, धोरों की जलती हुई बालू मिट्टी उसकी आखों में भरे, और उसकी आखें खराब हो जायें, और १० साल की लड़ाई करने के बाद अगर वह सरकार के पास आये और उससे सरकार यह कहे कि तुमको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना चाहिए। तो धूल में जो काम किया वह तो काम किया ही लेकिन आप उनसे कह रहे हैं कि हम तो नई भरती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की राजस्थान के बिजली घर में छंटनी हो रही है। छंटनी तो की जा रही है, लेकिन छंटनी के अलावा पुराने मुलाजिमों के साथ अन्याय किया जा रहा है। कई विभाग ऐसे हैं जिनमें २,३ बार इन्टीग्रेशन हुआ है, इन्टीग्रेशन ३-४ बार बदला है। कई बार तो मंत्री-मंडल बदलने के साथ इन्टीग्रेशन बदला है। सिद्धान्त बदलता है अगर इन्टीग्रेशन का तो वह बदले लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप उस पर गंभीरता से सोचें। ठंडे दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो आप अवश्य इस नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर मंत्री मंडल बदलने के साथ २ आपको इन्टीग्रेशन बदलने की आवश्यकता हुई तो फिर कम से कम दोनों से एक तो निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है; न दोनो को

[श्री एच. के. व्यास]

हो निष्पक्ष कहा जा सकता है । इस हकीकत के अन्दर आज यह सवाल लाया जा रहा है। ऐसी गंभीर बातें हुई हैं कि पुराने जमाने के मत्स्य में वहां के ट्रिब्यूनल के द्वारा फैसल की हुई जो सीन्योरिटी हुई थी वह इन्टरसी सीन्योरिटी बदली गई, उनके आपस की सीन्योरिटी बदल दी गई। जो असिस्टेन्ट सेक्रेटरी मुकर्रर हुए थे उनके लिए पहले तो यह तय हुआ था कि आपका सिलेक्शन हुआ और आप सुपरिन्टेन्डेन्ट की केडर में आजाते है, तो फिर उस सुपरिन्टेन्डेन्ट की केडर में आपकी जितने साल की सरविस है उसके मुताबिक सीन्योरिटी होगी, लेकिन खुश-किस्मती से वह सुपरिन्टेन्डेन्ट के मामले में तो यह बात बदल दी गई। यह तय हो गया कि असिस्टेन्ट सेक्रेटरी की अलग केटेगरी में सीन्योरिटी समझी जायगी। तो फिर बेचारे दूसरे अहलकारों ने क्या गुनाह किया है ? अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन के क्लर्कों में यह सिद्धान्त क्यों नहीं लागू किया जाय ? मैं पूछना चाहता हूं कि एक के लिए एक तरीका और दूसरे के लिए दूसरा । असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज़ के लिए एक बात और अपर डिवीजन के लोगों के लिए कोई तरीका नहीं ? इस प्रकार की चीज जो होती है तो साफ इसका यही मतलब है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि जांच किसी एग्जिक्युटिव ऑफिसर के हाथ में चलेगी नहीं; इस पर क्यों मैं जोर दे रहा हूं ? वह इसलिये कि राजस्थान सरकार ने अपने सचिवालय वालों पर खास महरबानी की। इन्टीग्रेशन किया तो मनमानी तरीके से। अलग उनके नियम बनाये, उनकी सुनवाई नहीं की और उनको धमकाया। उनका अपील का मौका.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सिर्फ २ मिनट और कहूंगा ।

उनका एक मौका और रहता है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अपील करने का । राज-स्थान सरकार ने उसके बारे में भी यह फैसला कर दिया कि तुमको पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अपील करने का मौका नहीं रहेगा। किस सिद्धान्त के आधार पर यह किया गया ? कैसे किया? यह तो वे ही जानें। मैं तो इस बात को भी मानता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास किसी की अपील रोकी नहीं जा सकती, और रोकने के बाद जिस केस पर पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से अगर सरकार डिसएग्री करे तो विधान के मातहत वह केस सदन के सामने पेश किया जाना चाहिये। वैसे अगर पूरा केस पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने से इन्कार किया है तो इन्टीग्रेशन का एक एक केस सदन के सामने लाना चाहिये। यह एक कानूनी, वैधानिक चीज है। लेकिन यह नहीं हुआ। इसलिए एग्जिक्युटिव आधार पर इसका फैसला नहीं किया जाय ।

सरकार के मन्त्री महोदयों, विशेषतया माननीय मुख्य मन्त्रीजी को यह कहूंगा, अन्त में, कि आप इसके बारे में निष्पक्ष जांच करवायें। यह सरकार के हित की चीज है। अगर उनकी सर्विस असन्तुष्ट रहती है तो यह उनके खुद के नुकसान की चीज है। और इसलिये एक हाई कोर्ट के जज, एक सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति और एक सदन का मेम्बर, जो उन मुलाजिमों की इच्छा को ख्याल में रख कर मनोनीत किया जायगा, इस प्रकार का ट्रिब्यूनल जो बने उसके सामने ये मामले रखे जावें।

[श्री एच. के. व्यास]

उसका फैसला जो हो वह आखरी फैसला हो। वह साथ ही साथ यह भी बताये कि इस प्रकार जो सैकड़ों आदमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ में यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं इस आशा से कि सदन इसको मन्जूर करेगा और इसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव का, जो मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास ने रखा है, समर्थन करता हूं। अधिक नहीं कह कर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक शब्द का उन्होंने जो जिक्र किया बदकिस्मती से अब वह खत्म हो गया है; और वह शब्द "मत्स्य" है। उसके अन्दर इन्टीग्रेशन हुआ। सबसे पहले केबीनेट और एक्सपर्ट आदमियों की सलाह से कुछ रूल्स बनाये गये कि इस तरह से सीन्योरिटी फिक्स की जाय। रूल्स बनने के बाद रूल्स पब्लिश कर दिये गये। इसके बाद तीन आदमियों की एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने फिर हरएक डिपार्टमेन्ट के आदमियों की उन रूल्स के अन्दर सीन्योरिटी फिक्स की। जब उनकी सीन्योरिटी फिक्स हो गई सबकी और वह पब्लिश कर दी गई तो उसके बाद उनको हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास अपील करने का मौका दिया गया और जिस किसी ने यह फील किया कि उसका गलत फिक्सेशन हुआ है तो उसको अपने उन कारणों के साथ कि उनका नम्बर फलां जगह पर आना चाहिये सिन्योरिटी के रूल्स के तहत अपील करने का मौका दिया। उन्होंने अपील की, सैकड़ों अपीलें हुई, हर डिपार्टमेन्ट से। चीफ जस्टिस ने उन तमाम अपीलों को सुना और सुन कर अपना फैसला दिया, और फैसला देने के बाद सारा इन्टीग्रेशन मय सिन्योरिटी के समाप्त हो गया। सब आदमियों ने चीफ जस्टिस के फैसलों को सुन लिया। किसी को कोई निराशा नहीं हुई। यहां भी इन्टीग्रेशन हुआ। इन्टीग्रेशन के कोई रूल्स नहीं बनाये गये और किसी तरह से किसी आदमी को कोई मौका नहीं दिया गया। कोई ऐसा ट्रिब्यूनल ३–४ आदमियों का नहीं बनाया गया और न उनको अपील करने का अवसर ही दिया गया। इस इन्टीग्रेशन के बहाने से जहां तक मुझे पता लगा है लोगों ने अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने दल के लोगों का ख्याल करके हेल्प की और नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, और किसी को कहां से कहां लाया गया। इस तरह की चीज इस इन्टीग्रेशन में हुई है। हर एक आदमी की इसके खिलाफ शिकायत है। आश्चर्य है कि एक तरीका, एक सिद्धान्त एक बार तय होगया उसके बाद ही बदल दिया गया। यह तमाम चीजें इस बेकायदा तरीके से हुई हैं कि जिनकी वजह से सर्विसेज में बड़ा असंतोष है। रूल्स का लोगों को पता नहीं। कम से कम महरबानी करके रूल्स पब्लिश किये जायं, उनको कहीं अपील करने का मौका दिया जाय, जिसका दिया जाना निहायत जरूरी है। अगर यह चीज अभी तक नहीं है तो एक कमेटी बना दी जाय जो इन तमाम चीजों को देखेगी और इससे जिस किसी को आगे पीछे कर दिया है और एक आदमी को नीचे से ऊपर लाया गया है, उनको देखेगी। इस तरह देखने से लोगों को सन्तोष हो जायगा, और जो इस वक्त गडबड़ी हो रही है उसके मिटने की आशा हो जायगी। इसलिये मैं अधिक नहीं कह कर इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दिलीपसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा अर्ज तो इस सम्बन्ध में नहीं करना चाहता। राजस्थान के इन्टीग्रेशन के बारे में काफी अच्छी तकरीर और बहस हो चुकी है; लेकिन फिर भी मैं

[श्री दिलीपसिंह]
फॉर्मर राजस्थान के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। फॉर्मर राजस्थान में जागीरी प्रथा के अन्त करने के पॉवर्स ले लिये गये थे। उनके बहुत से कामदार और फौजदार थे। उनको काम पर लगाने का सरकार ने वचन दिया था कि सरकार के अन्दर उनको नौकरियां दी जायंगी ; लेकिन वे अब तक मारे मारे फिर रहे हैं। किन्हीं को २ घन्टे का नोटिस, किन्हीं को २ दिन का नोटिस देकर निकाल दिया गया। बाकी और नौकरों के विषय में व्यास जी और यादव जी ने काफी बता दिया है। मैं सदन को इतना ही बताना चाहता हूं कि सैकड़ों आदमी, जो जागीरदारों के नौकर थे गवर्नमेन्ट ने प्रोमिस किया था कि उनको पेन्शन दी जायगी ग्रेच्युटी दी जायगी ; लेकिन उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह एक बहुत विचारणीय चीज है। इन शब्दों के साथ मैं व्यास जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री **खेतसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं यह बिल्कुल नहीं मानता कि इन्टीग्रेशन में बहुत धांधली चली हो ; किन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि कुछ धांधली जरूर हुई है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ऑफिसरों में डिससेटिस्फेक्शन होने की वजह से जैसा कि हम अपने दिन प्रति दिन के कार्य में देख रहे हैं कि सरकारी कार्य में कुछ धीमापन जरूर आया है। हम जब सेक्रेटेरियट में जाते हैं तो वहां के अहलकार जो काम करते हैं वे काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, जो (दिलचस्पी) लेनी चाहिये। उन के दिल कुछ मरे हुये हैं। वे समझते हैं कि जहां उनका नम्बर आना चाहिये था नहीं आया है। इसलिये अगर यही हालत रही तो दिन प्रति दिन काम में ज्यादा ढीलापन रहेगा। जैसा कि पहले चौधरी कुम्भारामजी ने कहा था कि सेक्रेटेरियट से कागज निकलना ऐसा है जैसा हिमालय पहाड़ों से होती हुई गंगा का पानी बंगाल की खाड़ी में पहुंचना। जिस प्रकार उस पानी के पहुंचने में काफी समय लगता है उसी तरह हमारे सेक्रेटेरियट से कागज का निकलना भी दुश्वार होता है। इसी प्रकार आर. ए. एस. व आर. पी. एस. के सिलेक्शन में भी धांधली हुई है। इससे भी आदमियों में डिससेटिस्फेक्शन है। कई आदमियों की काबलियत नजर नहीं आ सकती है। दो मिनट के इन्टरव्यू करके सिलेक्शन हुआ है। इससे यह हुआ कि कई आदमी जो बोलने में होशियार होते हैं वे लिखने में उतने तेज नहीं हो सकते और जो लिखने में तेज हो सकते हैं वे बोलने में तेज नहीं हो सकते। इस तरह से महज दो मिनिट के इन्टरव्यू से जो जानकारी हासिल की जाती है उसी पर उनकी सीन्योरिटी कायम की गई है। इससे कई आदमियों के ग्रीवान्सेज रह गये हैं। अभी तक इन्टीग्रेशन का सवाल पूरा तय नहीं हुआ है, अभी तक फाइनल लिस्ट आउट नहीं हुई है। अब भी ठीक करके ठीक तरीके से पुर्जे बैठा दिये जावें ताकि आपकी मोटर अच्छी तरह चल सके।

श्री **जयनारायण व्यास**—अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव में एक कमेटी की सिफारिश की है ; जिस कमेटी में एक हाई कोर्ट का जज, एक गवर्नमेन्ट का नुमायन्दा हो और एक राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली का मेम्बर हो, जो सरकारी नौकरों के जरिये से चुना जाय ; जो इन्टीग्रेशन सर्विसेज का हुआ है उसकी जांच करे और कोई अनियमिततायें हों, पक्षपात हुआ हो या कोई नौकरी चाकरी देने का पक्षपात हो उन चीजों की पूरी तरह से जांच करें। यह इन्टीग्रेशन का सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है और लोगों की भी इस सवाल के ऊपर दिलचस्पी पैदा की

[श्री जयनारायण व्यास]
की जा सकती है ; खास तौर से यह कह करके कि किसी का हार्ट फेल हो गया है या यह कह करके कि किसी को ऊपर से नीचे कर दिया है, किसी को शीर्षासन की तरह पांव ऊपर और सिर नीचे कर दिया है यह बातें बहुत आसानी से कही जा सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हम आज जिस रियासत में बैठे हुए हैं यह केवल एक रियासत नहीं थी। यहां भिन्न भिन्न रियासतें थी। उन भिन्न भिन्न रियासतों में जो सर्विसेज थीं ; वे भिन्न भिन्न प्रकार की थीं । एक रियासत जैसलमेर को ले लिजिये जिसके प्रतिनिधि एक मेरे मित्र मेरे सामने ही बैठे हैं। कुछ वर्ष पहले मैं जैसलमेर गयाथा क्यों कि वहां किसी राजनैतिक बन्दी का देहान्त हो गया था, पूछताछ करने गया था । वहां के जेलर साहब थे जिनको ६ रुपया मासिक मिलता था । जेलर के सिवाय दूसरे तहसीलदारों को कई जगह १५ से २० रुपया प्रति माह मिलता था किन्तु कई जगह के भंगियों को चालिस और पेंतालिस रुपया मिलता था (एक आवाज — "यह हरिजनों की इनसल्ट है") ऐसी हालत में जब हम एक रियासत की नीचे की सर्विसेज को लेते हैं तो उसी क्लास के सर्वेन्ट को किसी बडी रियासत में ज्यादा तनखा मिलती है तो आप जान सकते हैं कि कितनी कठिनाई होती है उनके इंटीग्रेशन में अगर हम कायदे कानून की तरफ देखें। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो दिया हुआ है उसको देखें तो रियासतों में इतनी विभिन्नतायें थीं ; अलग अलग सत्ता थी उनको एक साथ जोड़ने में दिक्कतें हुई हैं । किन्तु कितनी दिक्कतें हो सकती हैं उनका वे अनुभव कर सकते हैं जिनको एडमिनिस्टेशन का ज्ञान और अनुभव हो। इन विभिन्नताओं को एक करके हमने एक जगह बैठाने की कोशिश की है । यह कुदरती बात है कि यदि किसी तहसीलदार को, जिसे हम क्लर्क के लायक पाते हैं और उसको क्लर्क के स्थान पर बैठाते हैं तो उसको असन्तोष होगा ही । दूसरी बात, एक रियासत में जहां जुडिशियरी का विकास नहीं हो पाया था वहां के बड़े बड़े जुडिशियल अफसर को छोटा जुडिशियल अफसर की जगह काम करने को कहा जाय तो उसको नाराजगी अवश्य होगी । यह मैं मानता हूं कि इन चीजों को काफी तूल दिया जा सकता है, काफी बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित किया जा सकता है । तो इससे सर्विसेज को खुशी हो सकती है कि देखो हमारी तरफ से काफी अच्छी बातें कही गई हैं । लेकिन एक दिक्कत है एडमिनिस्ट्रेशन में । जो काम करते हैं वे ही इन दिक्कतों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं । लेकिन खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन को जो क्रिटिसाईज करने वाले हैं वे इसे क्रिटिसाईज करने की दृष्टि से ही समझ सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—आपने रूल्स पब्लिश क्यों नहीं करवाये ?

श्री जयनारायण व्यास--(अपना भाषण जारी रखते हुये) मैं जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं, सवाल करने के लिये नहीं । अगर माननीय सदस्य इन्टीग्रेशन की दिक्कतों को समझ सकते तो वे शायद इसे एप्रिशियेट करते; यह मैं, माननीय अध्यक्ष, आपकी मार्फत माननीय सदस्य को कहना पसन्द करूंगा। अभी इन्टीग्रेशन के बारे में यह कहा गया था कि इन्टीग्रेशन बार बार हुआ, तरह तरह से हुआ , इन्टीग्रेशन में बहुत गडबड़ी रही । मैं इस बात को मानता हूं कि जो लोग

[श्री एच. के. व्यास]

इन्टीग्रेशन करने वाले थे वे सब दृष्टिकोणों को, सब भावनाओं को, सबकी आवश्यक योग्यताओं को, किसी किसी में खास प्रकार की योग्यताओं को जिन्हें महत्व देना चाहिये ; वे इन सबका समन्वय एक साथ नहीं कर सके ; लेकिन साथ ही साथ में यह भी अर्ज करूंगा कि जिस समय इन्टीग्रेशन का काम शुरू हुआ था उस समय एक मिनिस्ट्री थी । इस मिनिस्ट्री के बाद में कांग्रेस मिनिस्ट्री आयी, फिर बाद में उसके बीच में दूसरी मिनिस्ट्री थी । उस समय स्टेट मिनिस्ट्री का आदेश था कि इन्टीग्रेशन का काम जल्दी ही समाप्त किया जाय । वह बीच की वेंकटाचार मिनिस्ट्री थी । यह कहा गया कि इन्टीग्रेशन का काम जल्दी करना चाहिये । अतः यह आवश्यक हो गया कि इन्टीग्रेशन का काम जल्दी किया जाय । तब से यह इन्टीग्रेशन का सिलसिला जारी हुआ । अभी तक इन्टीग्रेशन के बारे में जितने काम हुए हैं उनको देखने पर अगर मेरे लायक दोस्त खुश नहीं होंगे तो उनको सन्तोष तो जरूर होगा कि जितने समय में हमने इन्टीग्रेशन का काम किया उतने समय में जितनी विभिन्न समस्यायें हमारे सामने थीं उन विभिन्न समस्याओं के होते हुए भी जो काम किया गया वह यदि पूर्ण सन्तोष के लायक नहीं था तो प्रशंसा के लायक तो अवश्य हो सकता है ।

कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट, एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट, आर्कियोलोजी एन्ड म्युजियम, प्रिंटिंग-ए ड स्टेशनरी, लेबर डिपार्टमेन्ट आदि । इन डिपार्टमेन्टों का इन्टीग्रेशन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुआ । पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो इन्टीग्रेशन हुआ उससे तो आपको सन्तोष होना चाहिये । पी. एस. सी. न सरकार है न उस पर सरकार का प्रभाव है । उसके लिए भी हमें कहा गया है कि इसमें भी ज्यादती हो रही है और हुई है

किसी को इस बात का अधिकार है कि वह असहमत हो जावे और अपनी असहमति सब के सामने जाहिर करदे । इसके अलावा आर. ए. एस. के लिये अधिकारियों का सिलेक्शन जो हुआ था वह एक कमेटी द्वारा हुआ था । श्री राधाकृष्णन, एन. आर. चन्दोरकर, श्री जयकिरत सिंह (रेवेन्यु बोर्ड के चेयर मेन) उस कमेटी के सदस्य थे । उन्होंने आर. ए. एस. ऑफिसरों का इन्टीग्रेशन किया । जो आर. ए. एस. का इन्टीग्रेशन हुआ उसमें यह कहा जाता है कि लोगों को आम यह शिकायत रही है कि वे लोग लोकल कन्डिशन से वाकिफकार नहीं थे । यह माना कि वे लोग (श्री राधाकृष्णन, श्री चन्दोरकर और श्री जयकिरत सिंह) बाहर से आये हुये थे और लोकल कन्डिशन से वाकिफ नहीं थे । मैं नहीं कहता कि उन लोगों ने गलतियें या भूलें की या नहीं ; लेकिन काफी योग्य व्यक्ति थे, यह कह सकता हूं । हो सकता है कि वे बाहर के होने के कारण यहां की लोकल कन्डिशन से वाकिफ नहीं हों, इस कारण कुछ कमियां रही हों । मगर मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों की तरफ से आर. ए. एस में न लिये जाने के सम्बन्ध में इस बात की शिकायतें थीं कि उनका आर. ए. एस. में नम्बर नहीं आया है जो आना चाहिये था और जिन्होंने कहा हमारा हार्ड केस है, उनकी शिकायतों पर हमने हार्ड केसेज को लेकर दुबारा ध्यान दिया । फिर भी अब यह कहा जाता है कि सारा इन्टीग्रेशन दो सेकंड या दो मिनट के इन्टरव्यू से हुआ ; यह ठीक नहीं है और यह कहना मैं समझता हूं कि एकीकरण करने वालों की उस कमेटी के सदस्यों के साथ, जिन्होंने उस कमेटी में बैठ कर यह काम किया, ज्यादती होगी । एकीकरण करते समय शिक्षा, सीन्योरिटी ऑफ सर्विस, सर्विस रेकर्ड आदि कई फेक्टर्स थे, जिनको

[श्री जयनारायण व्यास]
ध्यान में रखते हुए एकीकरण किया गया और उन सब फेक्टरों के साथ साथ इन्टरव्यू का भी एक फेक्टर था । क्योंकि ऑफिसर की दूसरी काबलियत के साथ साथ पर्सोनिलिटी व बोलचाल का ढंग भी अच्छा होना चाहिये, जो कि अफसरों का होना चाहिये । इसलिये यह कहना कि इन्टीग्रेशन सिर्फ दो मिनट या दो सेकन्ड के इन्टरव्यू पर ही हुआ है, यह बात गलत है । इन्टीग्रेशन शिक्षा, लेन्थ ऑफ सर्विस आदि के सारे आधारों पर हुआ । हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियां हुई हों । हम गलतियां कर सकते हैं । गलती हुई तो हमने, हमारे नोटिस में आने पर, उन लोगों के केसेज को दूसरी बार हार्ड केसेज के रूप में लेकर, फिर विचार किया । हमने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिये व देखने के लिये कि कहां कहां गलतियें हुई और जहां कहीं गलतियें हुई उनको रफा करने के लिये हार्ड केसेज लिये । इसलिये दो मिनिट की बात जो हमारे यहां पर कही जा रही है, वह ठीक नहीं है ।

मैं आपको, किस प्रकार किस किस विभाग का इन्टीग्रेशन हुआ है यह बताना मुनासिब समझता हूं :—

(१) राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चीफ सेक्रेटरी, श्री चन्दोरकर तथा श्री जयकिरत सिंह थे ।

(२) राजस्थान पुलिस सर्विस :—

(१) चीफ सेक्रेटरी,
(२) श्री चन्दोरकर, एवं
(३) श्री एन मिश्रा, आई. जी. पी. ।

(३) राजस्थान जुडिशियल सर्विस :—

(१) चीफ जस्टिस,
(२) चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन, एवं
(३) हाई कोर्ट के जज ।

(४) एग्रीकल्चर विभाग :—

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार,
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी, चेयर मैन, पी. एस. सी.,
(३) श्री डा० टी. एस. सिबनिस, डाईरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ।

(५) आयुर्वेद विभाग :—

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी,
(३) श्री डी. एस. तिवारी, मेम्बर पी. एस. सी.

[श्री जयनारायण व्यास]

(६) इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल विभाग :—

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार।
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी, एवं।
(३) डा० मैनन, सदस्य सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल कमीशन।

क्योंकि यह टक्नीकल मामला था। इसलिये भी श्री मैनन को रखा गया।

(७) फॉरेस्ट विभाग :—

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार,
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी, एवं
(३) श्री त्रिवेदी, इन्सपेक्टर जनरल ऑफ फारेस्ट, भारत सरकार।

(८) इन्डस्ट्री और कामर्स :—

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार,
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी एवं
(३) श्री डी. एस. तिवारी।

(९) पी. डब्लू. डी. ईरिगेशन (असिस्टेन्ट इन्जीनियरों को छोड़ कर) :—

(१) श्री. सी. एस. वेंकटाचार,
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी एवं
(३) श्री सरदार मानसिंह, सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट, सी. डब्लू. आई. एन. सी.।

असिस्टेन्ट इन्जीनियरों का सलेक्शन पी. एस. सी. द्वारा हुआ।

(१०) पी. डब्लू. डी. बी. एंड. आर. (असिस्टेन्ट इन्जीनियरों को छोड़ कर) :—

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार,
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी एवं
(३) श्री वर्मन, जो सेन्ट्रल पी. डब्लू. डी. विभाग के आदमी हैं।

असिस्टेन्ट इन्जीनियरों का सिलेक्शन पी. एस. सी. द्वारा किया गया।

(११) जेलें :—

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार,
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी, एवं
(३) श्री डी. एस. तिवारी।

Page No.65

[श्री जयनारायण व्यास]

(१२) मेडिकल और पब्लिक हेल्थ (जूनियर पोस्टों को छोड कर):

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार,
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी,
(३) मेजर जनरल श्री भाटिया, एवं
(४) श्री कर्नल मिराजकर।

(१३) माइन्स और जीओलोजी:

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार,
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी, एवं
(३) श्री बी. रामाराव, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स।

(१४) पब्लिक रिलेशन्स डाइरेक्टॉरेट:

(१) श्री सी. एस. वेंकटाचार,
(२) श्री एस. सी. त्रिपाठी, एव
(३) श्री ड़ी. एस. तिवारी।

(१५) असिस्टेन्ट सैक्रेटरीज:

(१) श्री डी. एस. तिवारी, चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन, एव
(२) चीफ सैक्रेटरी, राजस्थान गवर्नमेन्ट।

(१६) इन्सपेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प्स:

(१) श्री डी. एस. तिवारी, एवं
(२) श्री जयकीरतसिंह।

(१७) इन्सपेक्टर ऑफ लोकल बाडीज:

(क) श्री डी. एस. तिवारी, एवं
श्री जयकीरतसिंह।

(ख) तहसीलदारों और मातहत शासकीय और रेवेन्यू सर्विसेज:
श्री डी. एस. तिवारी, एवं
श्री जयकीरतसिंह।

(ग) मातहत सर्विसेज (ऊपर बताये को छोड कर)
पुलिस इन्सपेक्टरों के लिये--
होम सेक्रेटरी, एवं
इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस।

[श्री जयनारायण व्यास]

२ दूसरी मातहत सर्विसेज :

सम्बन्धित हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट, एवं
जहां उपलब्ध हों वहां कोआॅप्ट किये गये डिप्टी हैड आॅफ डिपार्टमेन्ट ।

(घ) मिनिस्टरियल सर्विसेज:

१ सेक्रेटरियट:—
चीफ सेक्रेटरी और सम्बन्धित विभाग का सेक्रेटरी ।

२ डिपार्टमेन्ट:—
अकाउन्ट्स आफिसर की मदद के साथ हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ।

(च) क्लास ४ सर्विसेज:—
हैड ऑफ आफिसर्स के द्वारा सिलेक्शन किया गया और सम्बन्धित हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट ने उसे कन्फर्म किया ।

यह सब बातें मैंने थोडा सा समय लेकर सुनाई हैं । इससे आप लोगों को साफ जाहिर हो गया होगा कि सरकार ने किस तरह से फेवरिटिज्म और पक्षपात को रोकने और अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को सिलेक्ट करने की कोशिश की और अच्छे ऑफिसर न मिलने की हालत में बाहर से लाने की कोशिश की । यह सब कुछ होते हुए भी इसके बारे में कुछ शिकायतें रह जाती हैं तो हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हम से गलतियें नहीं रह सकतीं । हम इन्सानियत के ऊपर नहीं हैं । हममें कमियें रह सकती हैं । मगर ज्योंही कोई भी बात हमारी नजर में आई और हमारे ध्यान में लाई गयीं हमने उसी वक्त उस पर ध्यान दिया है । इसलिए यह कहना कि इन्टीग्रेशन दो मिनिट के इन्टरव्यू से हुआ, अतिशयोक्ति होगी ।

सिनियोरिटी के बारे में आम तौर पर शिकायत की जाती है कि इन्टरसी (Inter Se.) सिनियोरिटी कायम नहीं रखी गई । पहले तो रखी गई थी मगर आगे जाकर गड़बड़ कर दी गई । इसमें कोई शक नहीं कि कुछ उलटफेर की बात हमारे ध्यान में आई है । इसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि यह जो कुछ हुआ है वह किसी के साथ पक्षपात या फेवरिटिज्म करने के लिए किया गया है । मैंने ऐसा आपसे अर्ज किया कि इन्टीग्रेशन के समय कई फेक्टर्स ध्यान में रखे गये; जिनमें शिक्षा, सर्विस की लंबाई, पर्सनलिटी और दूसरी कई बातें थीं । उन सब बातों को ध्यान में रख कर सीनियोरिटी कायम की गई और इस कारण कई जगह सिनियोरिटी का डिस्टर्ब होना जरूरी था क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी करते करते अपने ऊपर के व्यक्ति से कोई व्यक्ति, शिक्षा आदि में जूनियर होते हुए भी, दूसरी कई बातों में ठीक होता है जिसकी एग्जिक्युटिव लाइन में जरूरत होती है । उस समय उसको उससे सीनियर बना दिया जाता है । यदि कोई फेवरिटिज्म की वजह से ऐसा किया गया हो और सरकार के ध्यान में लाया जाय तो उसको ठीक करना सरकार का काम है । अगर कोई ऐसी बात हमारे ध्यान में लाई जावेगी तो हम जरूर उसको खत्म करेंगे; यह मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

[श्री जयनारायण व्यास]

अभी सीनियोरिटी के बारे में बहुत से लोगों की तरफ से शिकायतें हुई थीं । इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक कमेटी, जिसका कि नाम राणावत कमेटी है क्योंकि उसमें जस्टिस राणावत हैं, बैठाई गई है। यह बात नहीं है कि श्री राणावत को एम्प्लॉईज की तरफ से चुना गया हो। श्री राणावत को सरकार ने चुना है और यह ख्याल करके चुना है कि वे न्यायाधीश हैं और न्याय करेंगे। इस कमेटी का नाम राणावत कमेटी है । इसमें सिर्फ एक राणावत ही हों यह बात नहीं है । इसमें दो व्यक्ति और भी शामिल हैं । राणावत कमेटी ने सीनियोरिटी के मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट, अपने प्रोपोजल्स सरकार के पास भेज भी दिये हैं । पी. डब्ल्यू. डी., बिल्डिंग एन्ड रोड्स, मेडिकल डिपार्टमेन्ट और इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल डिपार्टमेंट और पुलिस के आर. पी. एस. और आर. ए. एस. ऑफिसर्स की सीनियोरिटी रिवाइज करने के लिए राणावत कमेटी ने अपने प्रोपोजल्स सरकार के पास भेज दिये हैं और गवर्नमेन्ट इन सब पर विचार कर रही है । जो आर. ए. एस. ऑफिसर्स के बारे में कहा जाता है कि ध्यान नहीं दिया जाता । उनकी सीनियोरिटी के बाबत भी रिपोर्ट सरकार के पास गई है । और भी बहुत सी रिपोर्ट्स आ गई हैं, और आ जायंगी ।

तो यह कहना कि सीनियोरिटी में उलट फेर की गई है और सरकार आंखें बन्द करके बैठी है, गलत बात है । सीनियोरिटी में अगर एक भी गैर वाजिब तौर से ऊपर-नीचे हो गया है तो उस पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है । राणावत कमेटी इसीलिए बैठाई गई थी ।

मेरे एक लायक दोस्त ने बताया कि इन्टीग्रेशन मंत्री-मंडल बदलने के साथ साथ बदल जाता है। मैं तो यह कहूंगा कि इन्टिग्रेशन मंत्री-मंडल के साथ साथ नहीं बदलता, बल्कि एक ही मंत्री-मंडल में दो बार भी बदल सकता है । हमारे पास शिकायतें आती हैं तो उनको जांच करनी ही पड़ती है। हमारे पास शिकायतें आने पर अगर उन्हें हम नहीं सुनते हैं तो कहा जाता है कि सरकार शिकायतें सुनती नहीं है और जब शिकायतें सुन कर उसपर ध्यान दिया जाता है तो कहा जाता है कि सरकार देर कर रही है, गडबडी कर रही है, बदल रही है ।

हार्ड केसेज को सुन कर कुछ लोगों को लिया गया है । जिन लोगों को नहीं लिया गया है उनको असंतोष भी हो सकता है । इसके फेबल्स की एक पुरानी कहानी है उसी के माफिक कहा जाता है कि इन्टीग्रेशन में देर की जाती है । आप कहें कि कहीं गडबड़ी हो, सीनियोरिटी में फरक हो तो उसको भी ठीक करो। मिनिस्टर्स कुछ करते हैं तो कहा जाता है कि मिनिस्टर्स ने यह कर दिया । मैं कहता हूं कि मिनिस्टर्स भी करेंगे, केबिनेट भी करेगी, जहां कि जांच करना आवश्यक होगी। जहां कुछ गडबड़ी ध्यान में आयगी तो मिनिस्टर्स भी केबिनेट के नोटिस में लायेंगे कि यहां इस तरह की गडबड़ी है । तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, बहुत लंबे चौड़े राजस्थान की लंबी चौड़ी विभिन्नताओं के रहते हुए भी, तरह तरह से उन दिक्कतों से निकलने की राजस्थान सरकार ने कोशिशें की हैं । इसमें वक्त लगेगा ।

यह चीज इस तरह की नहीं है कि इधर से बिजली का बटन दबा दिया और उधर रोशनी हो गई । जनवादी फैसला करने का तरीका बताया जाता है, बहुत से लोग इकटठे हो गये और हल्ला मचा

[श्री जयनारायण व्यास]

कर कह दिया, "हां, ऐसा कर दो, वह आसानी से हो सकता है"। पर जिन चीजों को डिटेल्स में जा कर काम करना है वहां इस कथित जनवादी फैसले की तरह नहीं, शासनवादी फैसले की तरह ही काम हो सकता है।

हमारे साथी गोपीलालजी ने मत्स्य के बारे में कहा कि हमने रूल्स भी बना दिये थे, जांच के लिये तीन आदमी भी रखे थे और हाई कोर्ट के जज के सामने अपील रखने का भी प्रोविजन रखा था। मत्स्य के लिये जो रूल्स बने वे मत्स्य के लिये ठीक हो सकते हैं, पर वे सारे राजस्थान के लिये ठीक नहीं हो सकते क्योंकि मत्स्य में चार छोटी सी रियासतें थीं पर राजस्थान में चोटी की रियासतें और दूसरी छोटी मोटी सभी रियासतें हैं। जब राजस्थान का, एक विशाल क्षेत्र का इन्टेग्रेशन होगा तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख कर कसौटी बनानी पड़ेगी; ऊपर वालों का, नीचे वालों का सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी चीजें मैं समझता हूं मत्स्य के सामने कभी नहीं आई होंगी।

कोटा के बारे में भी हमारे मित्र ने पुराने राजस्थान के बारे में कहा कि वहां कामदार, फौजदार और दूसरे लोग अभी तक बेकार बैठे हैं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--कोटा के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। यदि मैं कहता तो और ज्यादा समय लगता। मेवाड़ के बारे में कहा गया था।

श्री जयनारायण व्यास--पुराने राजस्थान के बारे में कहा गया। मैं अहसानमन्द हूं कि हमारे लायक दोस्त ने ज्यादा टाइम नहीं लिया। मेवाड़ के बारे में कहा गया, यह ठीक है। जिन सर्विसेज को हमने लेने का तय किया था उन्हें या तो ले लिया या पेन्शन दे दी और ऑफ कर दिया। सीकर, खेतड़ी आदि के कर्मचारियों को लेना पडा, पर उनमें बहुत दिक्कतें आई। वहां पर पुलिस वालों को क्या मिलता था यहां पर क्या मिलता है, इनमें बड़ी असमानता थी। लोग इस चीज को ध्यान में लाते थे। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान सरकार ने किसी को पेन्शन देने या नौकरी देने का वादा किया है तो योग्यता के अनुसार उनको जिस तरह से फायदा मिलना चाहिये उस तरह से मिलेगा। यदि देरी हुई तो उसके लिये मैं माफी चाहता हूं क्योंकि लंबी-चौड़ी योजना की वजह से देरी हो सकती है। पर मामला विचाराधीन अधिक दिन तक नहीं रहेगा, पूरा किया जायगा।

श्री खेतसिंहजी ने कहा कि धांधलियां की जा रही हैं, डिस्सेटिसफेक्शन बढ़ रहा है। सेक्रेटेरियट के कागजात धीरे धीरे चलते हैं। मशीनरी का ऑवर हॉल होना चाहिये, क्रान्ति होनी चाहिये।

श्री खेतसिंह--मैंने यह नहीं कहा था कि ऑवर हाल होना चाहिये। मैंने यह कहा था कि जो पुर्जा ठीक नहीं है उसे निकाल देना चाहिये या ठीक रखना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास (जारी रखते हुए)--पब्लिक सरविस कमीशन में चीफ जस्टिस को रखा, बाहर से टेक्नीशियन बुलाये गये फिर भी धांधलेबाजी कैसे रह गई? फिर भी जहां गड़बड़ हुई है

[श्री जयनारायण व्यास]
और जो पुर्जा ठीक नहीं है उसे ठीक करेंगे । मैं उनको उनकी सलाह के लिये धन्यवाद देता हूं और देना भी चाहिये । मेडिकल टेस्ट के बारे में कॉम्युनिस्ट भाई हरिकृष्ण ने कुछ कहा । एक सिपाही की भावना को जागृत करने के लिये वह कहा गया । आपने कहा कि एक सिपाही को फौज में भेज दिया है, फिर उसे यह कहा जाय कि रिटायर हो जाओ । मैं उनको क्या बताऊं ? मिलिट्रीलॉ को वे नहीं जानते । सिपाही के लड़ने का वक्त होता है, नौकरी का वक्त होता है । यदि फिजिकली फिट नहीं है तो चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या और कोई अधिकारी हो उसको रिटायर होना चाहिये । नवजवानों के लिये जगह खाली करना चाहिये ताकि जो बेकारों की फौज पड़ी हुई है उनम से लोग रखे जा सकें ।

श्री जसवन्तसिंह—Except Ministers. They die in harness.

श्री जयनारायण व्यास–They die in harness. They may die in this House as well. मैं समझता हूं कि मेरे लायक दोस्त जो कॉम्युनिस्ट हैं इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से समझते होंगे क्योंकि रूस में, चीन में और अन्य स्थानों में जहां नौकरों में परिवर्तन किये गये हैं There too was some sort of investigation but that would not help my friend. मैं समझता हूं मेरे दोस्तों ने जो बातें कही हैं उनका मैं करीब करीब जवाब दे चुका हूं ।

श्री गोपीलाल यादव—दो बातें रह गई हैं जिन्हें मैं याद दिला देता हूं । एक तो यह कि क्या राणावत कमेटी के अधिकार सर्वाधिकार हैं और दूसरा यह कि हरेक महकमे के लिये जो तीन-तीन आदमियों की कमेटी बनाई गई थीं उनकी रिपोर्ट क्या बिल्कुल निर्णय से टेली करती हैं ? क्या उन रिपोर्टों को हाउस की मेज पर रखने को तैयार हैं क्योंकि शिकायत यह है कि यह पी. एस. सी. की मार्फत नहीं हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–(जारी) मेरा ऐसा ख्याल है कि मेरे लायक दोस्त इन्टर पोलिशन द्वारा राइट ऑफ रिप्लाई के लिए फ्रेश पोइन्ट रेज करने का अधिकार नहीं रखते । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह बता देना चाहता हूं कि राणावत कमेटी को, सीनियोरिटी के दायें-बायें जो मामले हैं, उनको दुरस्त करने का अधिकार दिया गया है । उसको टेक्निकली अपीलेट कमेटी कहना ठीक नहीं होगा । वह तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है । मैं कमेटी की रिपोर्ट को रखने के लिए तैयार हूं किन्तु फिर यह कहना कि उसके जो पुछल्ले हैं, जो सिक्रेट रिपोर्टस हैं, कौन आदमी कैसा है और कैसा नहीं आदि जो बातें उसमें हैं वे रखो; यह नहीं हो सकता । क्योंकि सर्विसेज में बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनको हाउस में रखा नहीं जा सकता है । वे मामले रखे जायं तो गलत होगा । इस विषय की डिमान्ड भी नहीं रखी जानी चाहिए थी ; खास तौर से उन मित्रों द्वारा जो शासन में रह चुके हैं । ये शासकीय मामले होते हैं और इस तरह से रखे भी नहीं जा सकते हैं । मेरे लायक मित्र द्वारा कहा गया है कि तीन आदमियों की कमेटी बनाई जाय जिससे सब काम ठीक हो जायगा ; मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से ठीक हो जायगा । यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस वान्चू को यह काम

[श्री जयनारायण व्यास]

सोंप दिया जाय । हम उनको ले तो सकते हैं किन्तु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आन्ध्र में जो चीज थी वह उसूलों को दुरुस्त करने की थी । यहां तो एक एक आदमी की सर्विसेज को देखने का काम है । यह काम कोई एक तरह का नहीं, बीसियों तरह का है । यह तो एक असंभव प्रस्ताव है जो हमारे जज के समय को भी खराब करता है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह इन्टीग्रेशन में असंतोष मिटाने वाला नहीं है चाहे चीफ जस्टिस, एम्प्लाईज की तरफ से एक मेम्बर और अन्य लोगों की तरफ से एक एक मेम्बर रखा जाय । हमें कहीं न कहीं तो ठहरना ही पड़ेगा । मुमकिन है इसको सर्विसेज का एक सेट पसन्द करे और दूसरा सेट पसन्द न करे । मिसाल के तौर पर २० दिसम्बर की तिथि को ही पसन्द नहीं किया गया। जून में होती है, अगस्त में होती तो क्यों नहीं जुलाई में होती? अतः मैं जवाब देने के लिए कोई बात नहीं मानता । एक न एक दिन तिथि मुकर्रर करनी ही पड़ेगी । लेकिन मैं यह मानता हूं कि १६ तारीख को कोई व्यक्ति क्वालीफाइड रह सकता था और २० तारीख को नहीं रह सकता होगा और उसको लाने के लिये ही ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है । जैसी एक कहावत है कि "किंग नेवर मेक्स ए मिस्टेक"। लेकिन मैं यह नहीं मानूंगा कि नई कहावत बनाई जा रही है कि "गवर्नमेन्ट आलवेज मेक्स मिस्टेक्स"। यदि इस हालत में २० तारीख हुई है तो मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं । अब यह हो सकता है कि १६ तारीख को भी दस पांच व्यक्ति हो सकते हैं और २० तारीख को नहीं हो सकते होंगे । मैं फेब्रुअरी में पैदा हुआ, ऐसे आदमी भी हो सकते हैं जो फेब्रुअरी में पैदा हुए हों । मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए तारीख निश्चित करना उचित नहीं है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये हाउस से निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है और इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए ।

(श्री टीकाराम पालीवाल बोलने को खड़े हुए)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it open to other members to speak? I have the right to reply. Is it open according to procedure?

श्री टीकाराम पलीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—There is nothing wrong in it.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—If the Leader of the House allows.

श्री जसवन्तसिंह—Not the leader of the House, but if the Chair permits.

श्री हरिकृष्ण व्यास—After he has given a reply no body should speak then.

श्री अध्यक्ष–You can hear him and also reply to his arguments, but briefly.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप मुख्य मंत्री)–अध्यक्ष महोदय, दो बातें आई हैं । २० तारीख के बारे में माननीय सदस्य ने बहुत बल दिया । यह तो निश्चित बात है और जैसा कि हाउस के नेता ने भी कहा था कि कोई न कोई तो तारीख निश्चित करनी ही पड़ती है । २० तारीख को कॉम्युनिस्ट नेता का कहीं जन्म दिन तो नहीं? मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह है इन्टीग्रेशन के बारे में। वैसे हाउस के नेता ने बता दिया था, फिर भी उसमें एक पॉइन्ट रह गया था जो मैं आपको कहना चाहूंगा ।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

आर. ए. एस. के बारे में अलग अलग कमेटियों के द्वारा सिलेक्शन हुआ, यह आपको मालूम है।

सेक्रेटेरियट के इन्टीग्रेशन के लिए भी कमेटी नियत हुई थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही सलेक्शन किया गया।

इसमें माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं अपर डिविजन क्लर्क, लोअर डिविजन क्लर्क आदि की। वह रेफरेंस ज्यादातर सेक्रेटरियट के लिये था। असिस्टेन्ट सेक्रेटरियों के बारे में तो बता दिया गया है। इसके बाद में दो-दो मिनिट के इन्टरव्यू की बात कही गई। सेक्रेटेरियट के अधिकतर एम्प्लॉयीज के बारे में ज्यादा कहा गया है। इसके बारे में माननीय सदस्यों के लिए यह जानने योग्य बात है कि वह दो मिनिट का इन्टरव्यू उनके खुद के कहने पर हुए थे। गवर्नमेन्ट का आदेश था जो कि पब्लिश किया गया है गजट में और वह यह था कि पहले उनका एक मिनिमम ऑफिशियल टेस्ट रिटन में लिया जाय; जो इसमें सफल हो जाय, उनको लिया जाय। पर इस पर ऑब्जेक्शन किया गया और कहा गया कि रिटन टेस्ट न लिया जावे; हमारा भी इन्टरव्यू किया जावे और हमारा पुराना सर्विस का रेकार्ड देख लिया जावे, हमारे इमीजियेट अधिकारियों की रिपोर्ट व उनकी राय देख ली जावे। उनकी इस प्रार्थना के फलस्वरूप सरकार ने एक कमेटी। जिस में चीफ सेक्रेटरी तथा सम्बन्धित विभाग के सेक्रेटरी नियत की ये सिलेक्शन इस इन्टरव्यू के अलावा सम्बन्धित कर्मचारी की लेन्थ ऑफ सर्विस, सीनियोरिटी, कॉन्फीडेन्शियल रेकार्ड, उनकी नोटिंग की योग्यता तथा विभागीय सेक्रेटरी की राय के अनुसार हुए हैं।

इन्टरव्यू हुए थे। एक दो मिनिट के हुए हैं ऐसी बात नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी तथा डिप्टी सेक्रेटरी, अध्यक्ष अधिकारियों के साथ जिस जिस सेक्शन में निरीक्षण करने जाते थे उन उन सेक्शन्स के लोगों को पहले कह दिया जाता था कि वे अपने बेस्ट से बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ देयर नोटिंग्स आदि रक्खें, जिसे वे अफसर पहले देखेंगे। वे उनके ऑफिसर्स की ओपिनियन्स देखते थे and in every case there has been a complete agreement between the Chief Secretary and the Secretary of the Department concerned. और इस तरह से वे सिलेक्शन्स हुए थे। अगर इसमें इन्टरव्यू हुआ है और यह पाप है तो यह उनकी रिक्वेस्ट पर ही हुए हैं। यह हुआ है इसमें।

श्री अध्यक्ष (श्री हरिकृष्ण व्यास को संकेत करते हुए) —Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं सिर्फ दो या तीन ही पोइन्ट्स के बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो उपमुख्य मंत्रीजी ने जो सवाल उठाया उसका सफाया कर देना चाहता हूं (हंसी)

(एक आवाज:—"सफाया" शब्द से आपका क्या मतलब है)

नहीं, नहीं। यह शब्द जानबूझ कर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कि मेरी, जहां तक इत्तला है उसके अनुसार उप-मुख्य मंत्रीजी ने जो फरमाया है वह ठीक नहीं है, इन्वशियस है। It does not correspond to facts. और मैं काफी अधिकृत तौर पर कह सकता हूं कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]
सेक्रेटेरियेट के एम्प्लाईज गये थे एडवाइजर के पास। राइटिंग में डॉक्युमेन्ट्स गवर्नमेन्ट के पास मौजूद हैं और खुद ने डिस्कस किया है और कहा है कि मैं एग्री करता हूं आपको कहने से कि इन्टरव्यू कोई बेसिस नहीं गिना जा सकता। यह मुझे उन एम्प्लॉयीज द्वारा विश्वास पूर्वक कहा गया है। यह हुई एक बात।

दूसरी बात . . . .

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—It is absolutely wrong. They asked for the interviews.

श्री एच. के. व्यास—We will have occasion to see for ourselves when you will place all the report etc. on the Table of the House. Then only we could know what is correct and what is not correct.

श्री टीकाराम पालीवाल—You are not..........

श्री अध्यक्ष—No, it is his right to reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is my right of reply. Anyway I do not mind interruption as long as it corresponds to facts.

तो मैं यह कह रहा था, माननीय अध्यक्ष जी, कि सरकार ने जो हुक्म शाया किया उसमें लेन्थ आफ सर्विस, क्वालिफिकेशन्स, नोटिंग एण्ड ड्राफ्टिंग, कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट, डिस्पोजल ऑफ वर्क एंड ओपिनियन ऑफ दी सेक्रेटरी एंड देयर सेक्रेटरी कन्सर्न्ड का जो तरीका अपनाया गया वह तरीका फेल किया गया है या नहीं? मेरा कहना है, वह किया गया।

जो तरीका सरकार ने मुकर्रर किया सरकार ने उसको फॉलो नहीं किया। इतना ही नहीं किन्तु जो इन्टरव्यू में बातें पूछी गईं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ७५ प्रतिशत केसेज ऐसे हैं जिनके ड्राफटिंग, नोटिंग्ज आदि नहीं देखे गये, नोटिंग्ज का स्पेसीमेन नहीं देखा गया, ७ ऐसे केसेज हैं जिनका इन्टरव्यू नहीं किया गया, ११ ऐसे हैं जिनका नाम न तो सिलेक्शन में है और न सरप्लस लिस्ट में है, ५ ऐसे केस हैं जिनके नाम ओरिजिनल लिस्ट में थे किन्तु बाद में उनके नाम लिस्ट से निकाल दिये गये। मैं यह कैसे मानलूं कि उपरोक्त सब तरीके फॉलो किये गये? उनके परचे निकाले गये जिसका उन्होंने खण्डन किया, सजेशन दिये आपके कहने पर। आज महज असलियत को ढंकने के लिए, हकीकत को छिपाने के लिए आप कह सकते हैं कि यह ठीक नहीं है लेकिन मैंने जो चीज कही है उनमें लेश मात्र भी एग्जजरेशन नहीं किया गया। मैं यह प्रूव करने के लिये तैयार हूं कि कुछ का इन्टरव्यू पांच मिनिट तक हुआ और कुछ का इन्टरव्यू एक दो मिनिट लास्ट (last) किया। एक इन्टरव्यू में तो सिर्फ यह पूछा गया कि फलां शब्द का हिन्दी में क्या ट्रान्सलेशन है, इसके सिवाय उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। यह हकीकत है। अगर सरकार चाहे तो जांच कर सकती है। अगर सरकार पता लगाये तो लगाये परन्तु मैं यह जो फेक्टस रख रहा हूं, खूब जिम्मेवारी को समझते हुए रख रहा हूं। इसमें बढ़ा चढ़ाकर कहने की आवश्यकता ही नहीं है।

[श्री हरीकृष्ण व्यास]

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि मेडिकल टेस्ट का जो जिक्र माननीय मन्त्रीजी ने किया उन्होंने वह मजाक में टालने की कोशिश की। लेकिन वह मजाक का विषय नहीं है। प्रश्न यह है कि आप मेडिकल टेस्ट करके चाहे जैसे हट्टे कट्टे व्यक्तियों को लेलें, यह कोई एतराज के लायक बात नहीं, किन्तु जो आदमी काम करते हैं और काम करते करते इतने हट्टे कट्टे नहीं रह पाये हैं कि वे नवजवान का मुकाबला कर सकें (एक आवाज—"पेन्शन दे दें") यह तो मैं भी कहता हूं कि रूल्स के अनुसार पेन्शन दे दी जाय। अगर उनको पेन्शन दी जाय तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं, लेकिन यह बात नहीं। जिन लोगों की सर्विस १८–२० साल की हो गई उनको महज इसलिये निकाल दिया गया कि वे नये भरती होने वालों के मुकाबले में हट्टे कट्टे कम थे। क्या मन्त्री महोदय ने उनकी सेवाओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया.........

श्री टीकाराम पालीवाल—They must have been temporary employees.

श्री हरिकृष्ण व्यास—People who have contributed to the Provident Fund, people who have got all the leave facilities, people who have been treated like other permanent persons, people who have put in 20 years service, you can say they must have been temporary. I say they are more than permanent.

(विराम)

इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि यह बात किसी भी सिद्धान्त से मेल खाने वाली नहीं है। After the end of such lengthy service. यदि वह व्यक्ति उसी प्रकार का मेडिकल टेस्ट दे जिस प्रकार एक नया भर्ती होने वाला व्यक्ति अपना मेडिकल टेस्ट देता है, तो ठीक नहीं।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरी बात, जो मैंने कही थी, जिस प्रकार माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दोनों ने मजाक के तौर पर उत्तर देते समय टाल दी कि वह २० तारीख शायद किसी की जन्म तिथि रही होगी। मेरे तो ध्यान में नहीं कि वह २० तारीख किसी की जन्म–तिथि रही होगी। आपके ध्यान में हो तो मुझे मालूम नहीं। मगर ये फिर भी सही फेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं और यह निवेदन करता हूं कि फेक्ट-फेक्ट ही रहेगी। यह तारीख कैसे फिक्स हुई इसके लिये मैं कुछ कहना चाहता हूं। जिनके लिये यह २० तारीख मुकर्रर हुई थी उनके इन्टरव्यू के लिये दूसरी तारीख मुकर्रर थी, मगर उसको बाद में चेन्ज किया गया और तारीख २० दिसम्बर रखी गई। यह तो हो नहीं सकता था कि कोई तारीख ही नहीं रखते। कोई न कोई तारीख तो उनको इन्टरव्यू के लिये रखनी ही पड़ती। यह सब लोग जानते हैं कि बगैर मुकर्रर किये तो उनका इन्टरव्यू कैसे किया जा सकता था। इसलिये उन्होंने यह २० दिसम्बर का दिन मुकर्रर किया।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—क्योंकि वह कोई न कोई थी।

श्री एच. के. व्यास—यह २० तारीख ही क्यों रखी गई ? इस बात को नोर्मल कोमन सेन्स वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह २० तारीख ही क्यों रखी गई । क्यों नहीं दूसरी तारीख मुकर्रर की गई ? पहली तारीख या महीने के अन्त की ३० तारीख रख सकते थे । मगर ऐसा नहीं किया गया और बीच में कूद कर यह २० दिसम्बर की तारीख उनके इन्टरव्यू के लिये रखी गई। यह बीच में कूद कर कैसे रखी गई ? मैं तो यह नहीं समझ सका कि यह कैसे २० तारीख मुकर्रर हुई ? मेरी समझ में यह बात नहीं आती । फिर कोई शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीकों से यह तारीख २०रखी गई हो तो वह दूसरी बात है और उसको रखने वाले ही समझ सकते हैं। मेरी समझ में ऐसा आता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो १६ दिसम्बर को यहां आए थे और मेरा यह एलीगेशन है कि इनको आर. ए. एस. में एलिजिबल बनाने के लिये ही यह २० तारीख मुकर्रर की गई ।

श्री गोपीलाल यादव—This is correct.

श्री एच. के. व्यास—अगर यह सही नहीं थी तो फिर यह क्या बात थी जो उनके लिये २० तारीख मुकर्रर की गई ? कोई भी मुझे यह समझा दे कि किस स्टेन्डर्ड के मुताबिक यह २० तारीख इन्टरव्यू के लिये रखी गई ? यह इसी लिये रखी गई थी कि उनको आर. ए. एस. के लिये एलिजिबल बनाना था । यह बात तो तारीख मुकर्रर करने वाले लिखने से रहे कि चूंकि हमें एलिजिबल बनाना है या हम इनको एलिजिबल बनाना चाहते हैं इसलिये इनके इन्टरव्यू की तारीख २० मुकर्रर करते हैं । इसका तो जांच करने से ही पता लग सकता है और तभी तय हो सकता है कि यह बात कहां तक सच है ।

श्री टीकाराम पालीवाल—क्या आप उनका नाम बता सकते हैं ?

श्री एच. के. व्यास—हां, उनका नाम है श्री शन्कुनी मेनन ।

(विराम)

मैं और भी कई नाम बता सकता हूं । अगर आप इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये तैयार हैं तो मैं और भी नाम बताऊंगा । मैंने जान बूझ कर कई ऐसी बातें नहीं कहीं जो यहां कहने में अच्छी नहीं मालूम होतीं । यदि जांच करने के लिये माननीय मन्त्री तैयार हैं तो मैं और भी कई बातें बताने को तैयार हूं और बता सकता हूं, जो बिल्कुल सही हैं । ऐसी मेरी मान्यता है ।

श्री जयनारायण व्यास—हम उनका स्वागत करेंगे ।

श्री एच. के. व्यास—यह है सही परिस्थिति; पर मैं इस प्रस्ताव को प्रेस नहीं करता.....

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रेस करिये ।

श्री एच.के. व्यास—इसलिये नहीं कि मैं इस प्रस्ताव को प्रेस करने के काबिल नहीं समझता लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस पर थोड़ा बहुत भी एग्जामिनेशन हो रहा है और सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच करने का आश्वासन दिया है उस पर अनफेवरेबल वर्डिक्ट न आजाए । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसको प्रेस करना नहीं चाहता, वरना मैं इसको काबिले

[श्री एच. के. व्यास]
प्रेस मानता हूं । मुझे विश्वास है कि जो आश्वासन मुझे मिला है सरकार उस आश्वासन के अनुसार जिन जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उसकी जांच कराएगी और जो कोई इसके लिये जिम्मेवर होगा उसको सजा देगी ।

श्री जयनारायण व्यास—काबिले प्रेस पब्लिसिटी ।

श्री एच. के. व्यास—काबिले प्रेस ही नहीं, काबिल इन्वेस्टीगेशन और गंभीर इन्वेस्टीगेशन।

श्री अध्यक्ष—So you withdraw it ? May I take it as withdrawn ?

श्री एच. के. व्यास—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to withdraw it ?

(एक साथ "हां—ना" की ध्वनियें)

श्री अध्यक्ष—I think it is the leave of the House.

(विराम)

Now there are ten minutes more. We can dispose of other resolutions also if the House wants. Let us dispose them also. Should be meet on the 27th also ?

श्री जसवन्तसिंह—On the 27th perhaps it will be proper, because Holi falls on the 28th, and........(Interruption).

श्री एच. के. व्यास—Have I to formally withdraw my Resolution ?

श्री अध्यक्ष—Yes. Did you change your mind to withdraw.

श्री एच. के. व्यास—If the House permits me to withdraw my Resolution No. 5 regarding the financial matter of salaries, because the case of the employees may not suffer from an adverse verdict, I withdraw it.

श्री जसवन्तसिंह—I have to submit a few points. They are that on the 27th it will not be possible to extend the meeting of the Assembly as Holi falls on the 28th. This non-official day's agenda is still not complete and there are many more important Resolutions and I would request the Leader of the House if he could only agree to the suggestion that tomorrow after the question hour, a few hours could be allotted to discuss the non-official business also.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—We could do so.

श्री एच. के. व्यास—I stand in support of the suggestion.

श्री जयनारायण व्यास—I would leave it to the Chair.

श्री अध्यक्ष—If the House wants we could keep every Saturday a private members day. If the Government is....................

श्री एच के. व्यास—I entirely welcome your suggestion, Sir.

राजस्थान राज्य के मन्त्रीयों इत्यादि के विरुद्ध किये जाने वाले आरोपों की जांच के हेतु एक समिति की नियुक्ति

श्री माधोसिंह—Sir, I beg to move the following Resolution :—

"This House is of the opinion that a Committee be appointed under the Chairmanship of the Chief Minister to enquire into day-to-day complaints made by the people against the Ministers (excluding the Chief Minister), Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries. Any member of this Committee who accepts the office of Minister. Deputy Minister or Parliamentary Secretary shall resign from this Committee forthwith. The Committee shall start functioning as soon as the House passes this Resolution. The Committee shall consist of the following personnel :—

1.	The Chief Minister	*Chairman.*
2.	Shri Mathura Das Mathur	*Member.*
3.	Shri Chaudhari Kumbha Ram	,,
4.	Shri Gulab Chand Kasliwal	,,
5.	Shri (Dr.) Mangal Singh	,,
6.	Th. Shri Bhairon Singh of Khejarla	,,
7.	Shri Hari Krishen Vyas	,,
8.	Shri Hari Datta	,,
9.	Shri Gopi Lal Yadav	,,
10.	Shri Daleep Singh Bathera	,,
11.	Shri Sridas Goel	,,

The following powers are given to the Committee :—

1. The Committee may call explanations, if necessary, from any Minister, Deputy Minister or Parliamentary Secretary and shall have power to inspect papers concerning the complaint.

2. The Committee may call any Minister, Deputy Minister or Parliamentary Secretary to appear before the Committee and explain.

Page No.77

[श्री माधोसिंह]

3. If the Committee after enquiry, finds that a certain Minister, Deputy Minister or Parliamentary Secretary has acted improperly it shall advise the Chief Minister who is also the Chairman of this Committee to take necessary steps against him.

4. The Committee shall submit its report in the middle of every Session of Legislature regarding its past work.

5. The fresh elections of this Committee shall take place before every Budget Session, or if any vacancy occurs.

6. The Chief Minister shall continue to be member of this Committee."

I would like to add a few words.

श्री मथुरादास माथुर—I would like to know whether the Hon'ble Member has taken the consent of the Members whom he has included in this Resolution.

श्री माधोसिंह—The personnel can be changed.

श्री मथुरादास माथुर—I will move an amendment. My name be excluded and the name of the Hon'ble Member who has moved it may be retained in its place

श्री हरिदत्त—The same is the submission from my side too.

एक सदस्य–It would be a problem whether he should be then the Chairman.

श्री अध्यक्ष–Mr. Speaker, Have I your permission to speak..?

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा)—आपके जरिये मैंने इस सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा है उसको बहुत से मित्रों ने हंसी में टाल दिया है और इसके महत्व को समझने की कोशिश नहीं की है। मन्त्रियों के खिलाफ पहले के रिजोल्युशनों में तरह तरह के एलिगेशन्स लगाये गये हैं या लगाये जाते हैं। उन मन्त्रियों की धांधलियों को रोकने के लिये यह कमेटी ब्रेक का काम करेगी। इस सदन के सदस्य जो जनता के वोटस लेकर यहां आये हैं उनके साथ बहुमत द्वारा होने वाले अत्याचार, महज एक पार्टी के नाते उन पर मिनिस्टर लोग कर रहे हैं उनको रोकने के लिये एक कमेटी बनाई जाना जरूरी है जो हर मिनिस्टर को नियंत्रण में रख सके। इस मामले को मजाक में टाल देना, मैं समझता हूं, वाजिब नहीं है। क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं। मैं जोधपुर का उदाहरण लेकर कहूंगा कि वहां की नर्सेज और कम्पाउन्डर्स के मामले में एक मन्त्री ने हस्तक्षेप किया और उस केस को बिगाड़ दिया। परन्तु क्योंकि वे एक पार्टी के हैं इस वजह से आज उन मन्त्री महोदय के खिलाफ जांच नहीं हो सकती क्योंकि जो पार्टी के नेता हैं वे पार्टी की इन्टर्नल फूट के कारण मन्त्रियों को इधर उधर नहीं कर सकते

[श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा]

और उस पार्टी के चन्द लोग मन्त्री बन कर बैठ जायं और नेता को यों धमकावें कि हम १५-२० लोग चले जावेंगे तो तुम्हारी गवर्नमेन्ट टूट जावेगी । हर मन्त्री के खिलाफ कड़ी जांच इस सदन के जरिये करा सकते हैं । पार्टी का मामला घरेलू होता है । उस पर पार्टी के हाई कमान्ड का कन्ट्रोल रहता है, उनको पूछे बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता । पार्टी के कारण आज ऐसे व्यक्ति जो मन्त्री होने चाहियें थे वे बाहर बैठे हैं और ऊटपटांग लोग सरकार में घुस बैठे हैं । यदि सदन की कमेटी बन जाय तो वे हर मन्त्री के काम की निगरानी रख सकते हैं, वे मन्त्रियों पर कड़ी नजर रख सकते हैं । जो लोग कांग्रेस में कल तक नहीं थे वे आज कांग्रेस में घुस आये हैं । इन धांधलियों को देख कर मेरे लिये यह प्रस्ताव रखना जरूरी हो गया । इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जायगा और कुछ सदस्य अपने विचार रखेंगे तब मैं अर्ज करूंगा । एक बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रस्ताव को सभी लोग चाहते हैं । मैं अर्ज करूंगा कि पार्टी पर से व्हिप हटा दें, फिर देखें कि क्या हालत होती है । मैं जानता हूं कि मौजूदा मन्त्री-मन्डल में ऐसे लोग हैं जो गलती करते हैं, मगर दूसरे लोग महज पार्टी के डर से बोल नहीं सकते । हम लोग यहाँ जनता के वोट लेकर आये हैं इस लिये जनता के हर तरफ से, हर कोने से आवाज आरही है कि राजस्थान के शासन को नियन्त्रण में रखना जरूरी है और इसके लिये हर तरफ से कोओपरेशन मिलेगा । जहां तक कमेटी का सवाल है, विरोधी दल और सरकारी दल में कोई फर्क नहीं है। सरकार गलती नहीं करे और अधिकारी लोग सदा राजस्थान की तरक्की और बेहतरी की ओर ध्यान दें इसलिये यह प्रस्ताव रखा है । यदि पार्टी पर्सोनेल पसन्द नहीं है तो अवश्य सदन को यह अख्तियार है कि वह रद्दोबदल करे । लेकिन इस प्रस्ताव को हंसी या दिल्लगी में न उड़ावें । इसे स्वीकार करके आप ऐसा शासन बना सकते हैं जिससे हर तरह के लोग खुश हों और राजस्थान की तरक्की हो । अगर कोई मन्त्री ठीक नहीं है तो उनको बदल कर योग्य व्यक्ति लिये जा सकते हैं । चीफ मिनिस्टर का नाम मैंने इसलिये नहीं रखा कि मुझे उनसे प्रेम है बल्कि इसलिये कि वे सदन के नेता हैं । अगर नेता के खिलाफ इन्क्वायरी करेंगें तो उसका मतलब यह होगा कि उनमें अविश्वास है । इस वजह से उनके नाम को शामिल नहीं रखा गया ।

अगर मुख्य मन्त्रीजी में अविश्वास रहा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेन्स आ जायगा । यदि मुख्य मन्त्रीजी के हाथ पार्टी-चेन से जकड़े हों तो उससे छुटकारा पाने का यही उपाय है । अत: मैं सरकारी दल से अपील करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष—I want to know whether the House wants to have a further discussion on this resolution,

श्री एच. के. व्यास–Do we take it that the proposal is to accommodate Parliamentary Secretaries ?

श्री अध्यक्ष–So we can continue for another 15 minutes or half an hour. The Hon'ble Members who want to partake in the discussion, may either catch my eye or send an agreed list.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने एक बहुत ही महत्व पूर्ण रिजोल्युशन रखा गया है। मैं यह मानता हूं कि इस रिजोल्युशन का महत्व इसलिये और भी होगया है कि यह ऐसे महानुभाव के जरिये से रखा गया है कि..........

श्री माधोसिंह—On a point of order, he cannot take my name as "Mahanubhava".

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—And the force has gone, because you second it.

(हँसी)

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—यदि चिलम भरना ही इस सदन का सर्व विदित है तो इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव में मुझे जो एक बात खटकी है वह यह है कि इस प्रस्ताव में मुख्यमन्त्री को वंचित रखा गया है। इस बारे में मैं यह कहूंगा कि अगर इस कमेटी का चेयरमैन मुख्य मन्त्री के बजाय हमारे सदन के अध्यक्ष को बना दिया जाता तो हमारे दोस्त को..............

श्री माधोसिंह—On a point of Order, Sir, the Hon'ble member may be chairman, Sir.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—उपाध्यक्षजी, मेरे मित्र ने प्रस्ताव के बारे में जो कुछ कहा वह अक्षरशः सत्य है। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान बनने के बाद राजस्थान की जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने धांधली के बजाय राजस्थान की बहबूदी के लिए कोई काम नहीं किया। राजस्थान के जो मंत्री मण्डल हैं वे राजस्थान के चन्द व्यक्तियों को शासन के कार्यों का एक्सपीरियेन्स कराने के लिए मैदान बने हुए हैं। किसी मन्त्री का स्थायित्व नहीं है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है राजस्थान में कि कोई मन्त्री किसी डिपार्टमेन्ट को लेकर तीन-चार साल रहे। कुछ मन्त्री आते हैं वे दो-चार महीने तजुर्बा करना चाहते हैं कि उस डिपार्टमेन्ट में क्या किया जाय या क्या नहीं किया जाय कि उस अर्से में उनको या तो उस डिपार्टमेन्ट से दूसरे डिपार्टमेन्ट में बदल दिया जाता है या मन्त्री-मन्डल में परिवर्तन से इनका खातमा हो जाता है।

(हंसी)

ऐसी सूरत के अन्दर हमको यह सोचना है कि इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेन्ट होता है उस एक्सपेरीमेण्टल पीरियड में मन्त्री अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, मन्त्री लोग कुछ सोचें कि वे जो कुछ कर रहे हैं उसका जवाब किसी को देना है और वे जो अपने कारनामे कर रहे हैं उन पर जांच करने के लिए और आदमी भी हैं, उनके बारे में की जाने वाली शिकायतों को सुनने वाले भी हैं। अगर यह बात हो जावे तो मैं कहूंगा कि शायद वह जो गैर जिम्मेवाराना ढंग से काम करते हैं उस पर थोड़ा बहुत जरूर एक तरह का अंकुश रहेगा और उसके होने से हमारे प्रान्त की भलाई होगी।

[श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)]

यही कारण है कि राजस्थान में करोड़ों रुपये बरबाद हो गये। जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय से आज तक राजस्थान की सिक्योरिटीज में से २ करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। मैं मन्त्री महोदयों से पूछना चाहता हूं कि हमारा प्रान्त करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद किसी तरह से भी पहिले के मुकाबले में अच्छी तरह से प्रगतिशील हुआ है ? मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे इस धारणा में हैं कि उनके कुछ खुशामदी टट्टुओं के कहने से कि अब तो इन्तजाम बहुत अच्छा है यह वाकई समझते हैं वे, तो मैं इस सदन के बहुमत को, आपके जरिये, अध्यक्षजी, यह कहना चाहता हूं ("हीयर हीयर" की आवाज विरोधी पक्ष की ओर से) कि राजस्थान उनके कार्यकाल में दिवालिया हो रहा है और ऐसा दिवालिया पिछले ५० वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ ।

इसके अलावा मेरे मित्र ने इस प्रस्ताव में कुछ व्यक्ति विशेष के नाम रखे हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि वे नाम अगर मेरे मित्र इस सदन पर छोड़ देते तो बहुत अच्छा होता ।

इन दो एक बातों के अलावा राजस्थान की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये अगर हमारे मन्त्री खुद इस प्रकार के प्रस्ताव लाते और सदन के सामने रखते तो और भी अच्छा होता । पर फिर भी मैं अपील करूंगा उनसे कि वे इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करके उनके कार्य में जो पार्टीबाजी से धांधलियां होती हैं उनको रोकने के लिए इस प्रस्ताव को पास करके इस पार्टीबाजी को पीछे छोडने की कोशिश करेंगे ।

बस मैं इतना ही कह कर इस प्रस्ताव का समर्थन अपने छोटे से संशोधन के साथ करते हुए सदन से अपील करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्षजी, मेरे मित्र ने "खुशामदी टट्टू" शब्द कहे हैं, ये शब्द अनपार्लियामेन्टरी हैं; इन्हें वापिस ले लें तो अच्छा है ।

श्री मानसिंह महार—मैं विद्ड्रा करता हूं ।

श्री श्रीदास गोयल—रेकार्ड से भी इनको एक्सपंज फरमा दिया जावे ।

श्री जयनारायण व्यास—मैं यह कहना चाहता हूं कि "चिलम भरना" यह शब्द भी अनपार्लियामेन्टरी है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—मेरे ख्याल से तो नहीं है ।

श्री गोपीलाल यादव—He wants a reply.

श्री जयनारायण व्यास—और कोई नहीं बोल रहा है ।

(विराम)

[श्री जयनारायण व्यास]

अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कि यद्यपि प्रस्तावक महोदय का व्यक्तित्व बहुत वजनदार है और उनकी दलीलें भी बहुत वजनदार हैं फिर भी बहुत जवाब देने की आवश्यकता नहीं। प्रस्ताव जिन शब्दों में रखा गया, जिस भाषा के साथ रखा गया और जिस भाषा में संशोधन रखा गया ये सब बातें उत्तर देने के लायक नहीं हैं; किन्तु रिजेक्ट करने के लायक हैं।

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा)–उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने मेरे प्रस्ताव का उत्तर दिया है और मेरे मित्र ने जो एक संशोधन रखा है उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं इसको काबिल जवाब नहीं समझता, यह मैं प्रस्ताव लिखने के पहले ही जान चुका था कि मुख्य मंत्री पार्टी की जेल के अन्दर बन्द हैं इसलिए वे सच्ची बात का जवाब भी सदन के सामने नहीं दे सकते। वे जवाब कैसे दे सकते हैं? हम कभी से सुन रहे हैं कि वे मंत्री मंडल में परिवर्तन करने वाले हैं। यह सुनते सुनते ६ माह हो गये, लेकिन वे मंत्री मंडल में परिवर्तन नहीं कर सके। उपाध्यक्ष जी, यह तो हमेशा मानी हुई चीज है कि जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। वे यह नहीं चाहते। इस तरह से मंत्री मंडल में परिवर्तन कर वे आपस में लड़ाई मोल लेना नहीं चाहते। जो लोग यह कहते हैं कि आप इसे विद्ड्रा कर लीजिये मैं इसे विद्ड्रा कैसे करूं? विद्ड्रा करता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि मैं जनता के वोट लेकर यहां आया हूं। मेरा और मुख्य मंत्री का चुनाव में बड़ा संघर्ष रहा है। इसलिए अगर मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं तो मैं जनहित नहीं कर रहा हूं। मुख्य मंत्री अपने मंत्री मंडल पर नियन्त्रण न रक्खें, यह कतई संभव नहीं। आप ही देखिये उपाध्यक्ष महोदय कि जो नियन्त्रण मंत्री मंडल पर नहीं है, जिसको मुख्य मंत्री स्वयं महसूस करते रहे हैं और करते होंगे, अगर उनको सत्यनिष्ठा से पूछा जाय तो यह साफ हो सकता है। अगर पुराने जमाने की सत्यनिष्ठा होती तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको शपथ दिलवा कर यह पूछा जा सकता है और वे अवश्य इसमें सहमत होते लेकिन आज वह सत्यनिष्ठा नहीं रही ईश्वर की शपथ लेकर भी झूंठ बोल जाते हैं। आज जो सदन में इस प्रस्ताव पर हंसी तथा खुशी चारों तरफ नजर आ रही है क्या वह इस बात का सबूत नहीं कि इस प्रस्ताव ने हर सदस्य के, चाहे वह इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का, दिल में खुशी की लहर पैदा कर दी है। फिर भी मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं बल्कि वे इस प्रस्ताव का जवाब देने में अपनी लाचारी प्रगट करते हैं। इसका जवाब वे कैसे दें? ना–जवाब आदमी से हम जवाब की क्या उम्मीद करें। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव की आवाज में जनता की आवाज छिपी है, जनता के नाम पर यह प्रस्ताव रखा गया है कि मुख्य मंत्री का नियन्त्रण मंत्री मंडल पर रहे। हमारा विरोधी दल है जिसने सरकारी दल के मेम्बरों से अधिक वोट प्राप्त किये हैं संख्या में। हम उनसे भले ही कम हों, किन्तु उस जनता का यह प्रस्ताव है कि सरकार पर नियन्त्रण रखने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकारी मेम्बरों से यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव वास्तविकता को लिए हुए है। ये लोग पार्टी के नियन्त्रण में जकड़े हुए हैं, उनको पार्टी व्हिप की तरफ से डाइरेक्टिव मिलते रहते हैं, उनको अपनी पार्टी के बोन्डेज के माफिक चलना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भी एक पार्टी है। हम भी उसके हुक्म के अंदर बंधे हुए हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पार्टीबाजी से राजस्थान का कल्याण होने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता के जिन्होंने वोट हासिल किये हैं, वह जनता राजस्थान सरकार पर

[श्री माधोसिंह भंसवाड़ा]

नियन्त्रण चाहती है ताकि आप झूठे आश्वासन देकर जनता को गुमराह नहीं करें । इससे तो मुख्य मंत्री के हाथ मजबूत होते हैं । उनको तो प्रसन्नता होनी चाहिये । लेकिन एक पार्टी की जेल में बन्द होकर हमारे मुख्य मंत्री ने इस प्रस्ताव को हंसी में टाल दिया है । उन्होंने इस प्रस्ताव के महत्व को समझा नहीं, उन्होंने जनता की आवाज को समझा नहीं । मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि इसमें जिन व्यक्तियों के नाम दिये हैं उनमें हाउस रद्दोबदल कर सकता है; लेकिन ऐसी कमेटी जरूर कायम की जाय ताकि सरकार के कार्य पर नियन्त्रण रह सके और जो नियन्त्रण रहना आवश्यक है । मैं सदन से अपील करूंगा कि जिस तरह से चाहें दोनों दल मिलकर इसमें संशोधन कर सकते हैं, परन्तु एक कमेटी मंत्री मंडल के कार्यों की जांच करने के लिए जरूर रखी जानी चाहिए ताकि हमारा मंत्री मंडल ऐसे ढंग से चले जिससे राजस्थान का भला हो सके । यह पार्टीबाजी का सवाल नहीं यह राजस्थान की जनता का सवाल है जिसे पार्टीबाजी से ऊपर समझना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के सामने श्री माधोसिंह का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए उपस्थित है ।

श्री सदस्य—इसमें एक संशोधन भी मूव हुआ है पहले वह लिया जाय ।

श्री गोपीलाल यादव—कोई संशोधन उन्होंने नहीं दिया था बल्कि अपने भाषण के दौरान में उन्होंने वह बात कही थी ।

श्री मानसिंह—मैं अपना संशोधन विदड्रा करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—आपने कोई संशोधन बाकायदा मूव नहीं किया ; केवल भाषण के बीच में एक बात कह दी थी वह बात संशोधन के शकल में नहीं मानी जा सकती । अब सदन के सामने श्री माधोसिंह का प्रस्ताव है । जो इसके पक्ष में हों वे "हां" कहें और जो विपक्ष में हों वे "ना" कहेंगे ।

(अस्वीकृत)

अब बैठक कल दिनांक २४ फरवरी, १९५३, के २ बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक आज ६ बज कर ३० मिनट (संध्या) पर, २४ फरवरी १९५३, के २ बजे सायं तक के लिए स्थगित हुई)

सभा भवन,
जयपुर,
२३ फरवरी, १९५३ ।

मंसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २०१ देखिये)

List of officers who are under suspension

S. No.		Name of the Officer.		Date of suspension.
1.	Shri	K. B. Mathur	Asstt. Engineer	May, 1952
2.	,,	Sujan Mal Bhandari	Asstt. Commr. C & E.	July, 1952.
3.	,,	Pokar Dass	Temp. Dy. Supdt. Police	July, 1952.
4.	,,	C.B.L. Mathur	Asstt. Engineer	April, 1952.
5.	,,	Nandan Bhargava	C.F. Udaipur	Jan. 1952.
6.	,,	O.L. Joshi	Asstt. Director, Mines & Geology	Oct. 1952.
7.	,,	S.S.Chauhan	Settlement Officer, Jodhpur	June, 1952.
8.	,,	B.G. Deshmukh	Accounts Officer, Relief and Rehabilitation, Udaipur	Nov. 1952.
9.	,,	J.D. Vaish	Inspector of Schools, Kotah	Sept. 1952.
10.	,,	Sardul Singh Mehta	Private Secy. to H.H. the Maharana Sahib of Udaipur	Sept. 1952.
11.	,,	K.B.L. Saxena	Asstt. Engineer, Elec. & Mech. Department	Jan. 1953

Page No.84

परिशिष्ट २

(वे प्रश्न तथा उत्तर जो कि प्रश्न काल में न पूछे जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गए)

प्रश्न

219. (35/P.W.M.) Shri H.K. Vyas, M.L.A. (Div. No. 160) : Will the Minister Incharge for Public Works be pleased to answer :—

(*a*) Is the Government aware of the persistent complaint made by the P.W.D. employees in Jaipur District about non-payment of their wages in time ?

(*b*) Has any representation been received by the Government in this regard ?

(*c*) What steps have the Government taken in the matter ?

(*d*) What steps do they propose to take now ?

उत्तर

(अ) कोई भी अनुयोग आवृत्ति रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ब) हां, कुछ आवेदन-पत्र निर्माण विभाग के कर्मचारियों गेंग मेन, जमादार इत्यादि की ओर से एवं पी. डबल्यू. डी. लेबर यूनियन की ओर से गत वर्ष प्राप्त हुए थे ।

(स) विभागीय कर्मचारियों को सामयिक वेतन वितरणार्थ अधिशाषी अभियंताओं को उचित आदेश दे दिये गये थे ।

(द) अब यदि भविष्य में कोई अनुयोग प्राप्त होंगी तो उसके सम्बन्ध में आगे और उचित कार्यवाही की जावेगी ।

220. (35/E.M.) Shri H.K. Vyas, M.L.A. (Div. No. 160) : Will the Minister Incharge for Education be pleased to answer :—

(*a*) Is the Government aware that the student in the Government aided private schools in Jodhpur have to pay more fees than the student of the Government schools ?

(*b*) Was any assurance given to the students in 1950 about this matter ? If so, what was the assurance ?

(*c*) Was any committee appointed to go into this question ?

(*d*) What is the report of that committee ?

Page No.85

(*e*) What steps have the Government taken to undo the injustice done to the students in Government aided private schools ?

(*f*) Will the Government publish the report of the Committee ?

उत्तर

(*a*) The answer is in affirmative.

(*b*) There is nothing on record to show that an assurance was given.

(*c*) Yes, a committee was appointed.

(*d*) The committee in their report came to the conclusion that there should be no tution fee from classes 1st to 5th (primary stage) in any recognised educational institution and that the tution fee should be charged at the maximum rates mentioned below :—

College classes.	According to the Government Order No. 2626/ Edu/SR dated 29-10-49.
IX and X classes.	Rs. 2/8/- p.m.
VIII class	Rs. 2/- p.m.
VII class	Rs. 1/8/- p.m.
VI class.	Re. 1/- p.m.

But this is not feasible and could not be given effect to, because any loss of income to any institution by the introduction of these rates would have been made good by the Government by increase of grant-in-aid to the institutions demanded by the management and is still not possible due to the financial stringency.

(*e*) No injustice is done because many private institutions do charge higher fees than the Government schools all over India.

(*f*) It would not benefit the public or the students in any way if the report is published. The Government, therefore does not consider it necessary.

२२१. (४१/सी. एम.) श्री बलवीरसिंह एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ७—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सरकार ने सर्विसेज के इन्टीग्रेशन में किस क्राइटेरियन को काम में लियां है तथा अनुभव और सीनियोरिटी का क्या स्थान रक्खा गया है ?

उत्तर

सरकार की विभिन्न सेवा शाखाओं का चुनाव तथा उनकी सीनियोरिटी का निर्णय विशेष नियमों के आधीन विशेष बोर्ड या कमेटी द्वारा किया गया है।

पुरानी सेवाएं, पिछला रेकार्ड, योग्यता तथा अन्य संबन्धित वस्तुओं पर विचार करते हुए विशेष पदों के लिये व्यक्तिगत उपयोगिता का निर्णय करने का समस्त सिलेक्शन बोर्ड को आदेश था।

२२२. (४२ सो. एम.) श्री बलबीरसिंह, एम. एल. ए. (डि. नं० ७)—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

पिछले दो साल के अर्से में गज़टेड पोस्ट्स की कितनी नियुक्तियां हुई और किस तरीके से ?

उत्तर

During the last 2 years, 263 gazetted posts were filled as under :—

1.	In consultation with P.S.C.	189
2.	Appointments made by Government of India.	24
3.	On deputation.	12
4.	Re-employed or on contract.	10
5.	Employed temporarily by Government directly.	28
		263

२२३. (२६ डी. सी. एम.) श्री भैरोंसिंह (डि. नं० १६)—क्या गृह मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) राजस्थान में इस वर्ष पुलिस डिपार्टमेन्ट में कितने मुलाजिमानों के ट्रान्सफर हुए ?

(ब) ट्रान्सफर के सम्बन्ध में कितनी रकम टी. ए., डी. ए., व अन्य अलाउन्स के रूप में खर्च हुई ?

(स) कितने मुलाजिमान इस वर्ष में एक से ज्यादा स्थानों पर स्थानान्तरित किये गये और ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

उत्तर

१. व्यक्तिगत अथवा पुलिस के सामान्य कर्तव्यों के उपलक्ष में ३८४४।

अन्य अथवा आर. ए. सी. के एन्टी डकॉईटी फोर्स आदि के जत्थे ६८६४. केवल प्रथम श्रेणी के ट्रान्सफर वास्तविक ट्रान्सफर कहे जा सकते हैं और उन्हीं से प्रश्न कर्ता का तात्पर्य है क्योंकि द्वितीय श्रेणी के ट्रान्सफर रुटीन में व स्टेरैटिजी का ध्यान रखते हुए किए जाते हैं।

२. कुल रकम ७६७२४. १३. ७. खर्च हुई, श्रेणीवार ब्योरा उपलब्ध नहीं।

३. १४२५. १६५२ के प्रथम अर्ध वर्ष में शान्ति व सुरक्षा की स्थिति कुछ सन्तोषप्रद नहीं थी अतः उसे सुधारने के लिए परिस्थितियों के अनुसार कुछ आवश्यक प्रबन्ध करने पड़े इसलिये यह स्थानान्तर पुलिस के उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये अत्यन्तावश्यक थे।

224. (32/Dy.C.M.) Shri Triveni Shyam Sharma, M.L.A. (Div. No. 154) Will the Deputy Chief Minister be pleased to answer :—

What practical work has been done in planning till now ?

उत्तर

प्लानिंग में १६५१–५२ तथा १६५२–५३ में किए गये कार्यों की स्थिति नीचे स्पष्ट की गई है—

कृषि

इस शीर्ष के अन्तर्गत रक्खी गई १०६.२. रु. की राशि, अनुसन्धान कृषि संबंधी शिक्षा, टिड्डी विरोधी कार्यों, अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के लिये कर्मचारियों तथा पौधों की रक्षा योजनाओं आदि के लिये रक्खी गई हैं।

	सन् १६५१–५२ वास्तविक	१६५२–५३ संशोधित
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	३३,६४७	३७,६०६
अनुसन्धान	६४,१२६	१,३०,०१२
टिड्डी विरोधी उपाय	१,८६,६७२	२,००,०००
ट्यूब वैल्स	..	३८,७३०
पौधों की रक्षा	१,३३,६८५	२,४६,०००
अधिक अन्न उपजाओ योजनाएं	६३,४८५	२,६३,६८०
योग	५,४२,२१५	६,४६,३२८

सन् १६५१–५२ में १.३३ लाख रु. खर्च किये गये। इसे १६५२–५३ में खर्च की जा रही २.४६ लाख रु० की राशि सहित भारत सरकार से वापिस लेना है।

सहकारिता

इस शीर्ष के अन्तर्गत ३ लाख रु० का खर्चा सहकारी समितियों के सहायतार्थ दान तथा प्रशिक्षण से संबन्ध रखता है। १६५१–५२ में किया गया खर्चा तथा आने वाले वर्ष तथा चालू वर्ष में किया जाने वाला प्रस्ताविक खर्चा निम्न प्रकार से हैं:—

		१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४
		(संख्या लाखों में)		
१.	प्रशिक्षण	.०९	.३६	.३१
२.	सहकारी समितियों को सहायतार्थ दान	.२५	.२५	.२५
	योग	.३४	.६१	.५६

आप देखेंगे कि १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में कुल खर्चा करीब १ लाख रुपये का हो जायगा तथा शेष रकम आने वाले वर्षों में खर्च की जायगी।

ग्रामोन्नति

इस शीर्ष के अंतर्गत १५ लाख रुपये की राशि रखी गई है। ग्रामोन्नति केन्द्र जो, पूर्व संधिपत्रान्तर्गत राज्यों में देश के विकास हेतु अपनाई गई योजनानुसार कार्य करते चले आ रहे हैं पर १९५१-५२ में किया गया खर्चा १.७५ लाख रुपया है तथा १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में किया जाने वाला खर्चा क्रमशः २.७५ लाख रुपया तथा २.८० लाख है।

सिंचन योजना

इस शीर्ष के अंतर्गत रखी गई कुल राशि ५०३.६ लाख रु० की है। १९५१—५२ तथा १९५२–५३ में सिंचाई के कार्यों पर खर्चा निम्नलिखित है :–

१९५१–५२	५८.३८ लाख रुपया
१९५२–५३	६५.२० लाख रुपया।

(विद्युत) शक्ति योजना

विद्यमान विद्युत शक्ति गृहों (पॉवर हाउसेज) के सुधार एवं विकास के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत ४०.८ लाख रु० की राशि रखी गई है। सन् १९५१–१९५२ में ३० लाख रुपया खर्च किया गया तथा चालू वर्ष के बजट में इसके लिए ११.०० लाख रुपये रखे गये हैं। आप देखेंगे कि इस शीर्ष के अंतर्गत जो राशि पांच साल की अवधि तक के लिये रखी गई थी वह मार्च १९५३ के अंत तक खर्च हो जायगी।

घरेलू तथा अन्य उद्योग धंधे

घरेलू तथा अन्य उद्योग धन्धों के विकास-हेतु ३८.५ लाख रुपये की राशि रखी गई है। इस शीर्ष के अंतर्गत रखी गई राशि घरेलू धन्धों की उपज को बेचने के संगठन, ताड़ तथा गुड़ उद्योग के विकास, घरेलू धन्धों को सहायतार्थ दान, भेडों के अनुसन्धान तथा ऊन के व्यापार के संगठन एवं घरेलू धन्धों के विकास के संगठन पर लिए गए खर्चों को प्रगट करती है। १९५१–५२ में करीब ५ लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है तथा १९५२–५३ में खर्च का अनुमान ६.१३ लाख रुपये लगाया गया है। इस तरह से मार्च १९५३ के अन्त तक कुल खर्चा करीब ११ लाख रुपये हो जायगा

सड़कें

इस शीर्ष के अंतर्गत ४०० लाख रुपये की राशि रखी गई है। सड़कों के कार्यों पर १९५१–५२ तथा ५२–५३ में हुआ खर्चा निम्नलिखित है—

१९५१–५२	९.६० लाख रुपये
१९५२–५३	३०.४१ लाख रुपये

इस से ज्यादा राशि खर्च करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि उसके लिए रुपया प्राप्त नहीं हो सका।

शिक्षा

इस शीर्ष के अंतर्गत २६३.५० लाख रुपये रखे गये है। इसका संबन्ध प्राइमरी स्कूलों के खोलने प्राइमरी, मिडल तथा हाई स्कूलों के स्तर को ऊंचा उठाने, नेशनल केडेट कोर्प्स का संगठन करने तथा कॉलेजों और अन्य संस्थाओं में अपेक्षित अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करने से है। १९५१-५२ में ३७.२८ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। तथा चालू वर्ष में सम्भवतया ५१.२६ लाख रुपये खर्च हो जायेंगे। जो योजनायें पहिले से प्रगति में हैं उनको चालू रखने के हेतु आगामी आर्थिक वर्ष में ५४.८२ लाख रुपये रखे गये हैं।

चिकित्सा

इस शीर्ष के अंतर्गत ८२ लाख रुपये का खर्चा, मेडिकल कॉलेज जो करीब ६ साल पहिले चालू किया गया था तथा उसके लिये अतिरिक्त भवन और सामान की व्यवस्था करने एवं आवश्यक स्टाफ और मेडिकल कॉलेज तथा उसके साथ लगे हुये अस्पताल के खर्चे से संबन्ध रखता है। १९५१-५२ में २१ लाख रुपये की एक राशि खर्च की गई तथा १९५२-५३ में (विचारणीय प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुये) मार्च, १९५३ के अंतर्गत संभवत: लगभग ३८ लाख रुपये खर्च हो जायेंगे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

इस शीर्ष के अंतर्गत रखी गई कुल राशि १३५ लाख रुपये की है जिसमें से १०० लाख रुपयों की राशि देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के हेतु कूओं के निर्माण के लिये अलग रखी गई है। बचे हुए ३५ लाख रुपये की रकम को—

(क) देहातों तथा शहरों में जल प्रदाय की योजनाएँ तथा;

(ख) व्यापक रोगों के नियन्त्रण पर खर्च करने का विचार है।

१९५१-५२ तथा १९५२-५३ में मद (क) पर खर्च ३०.५० लाख रुपये तथा मद (ख) पर करीब २ लाख रुपये का खर्चा हुआ।

मकानों की व्यवस्था

इस शीर्ष के अंतर्गत २ लाख रुपये की राशि रखी गई है। राज्य सरकार द्वारा निम्न वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये २०० क्वार्टरों का एक ब्लॉक करीब १२ लाख रुपये की लागत से बनवाया गया है। जिसमें से १० लाख रुपये सन् १९५०-५१ में तथा २ लाख सन् १९५१-५२ में खर्च किये गये।

पिछड़ी हुई जातियों की समुन्नति

पिछड़ी हुई जातियों की सम्मुन्नति संबन्धी कार्यों के लिये इस शीर्ष के अंतर्गत कुल ४२.५ लाख रुपये की रकम रखी गई है। करीब ५.४१ लाख की रकम सन् १९५१-५२में खर्च की जा चुकी है तथा ८.८९ लाख की रकम १९५२-५३ के बजट में रखी गई है।

२२५ (३८ पी. डब्ल्यु. एम.) श्री घासीराम (डि० नं० ४३)—क्या यातायात मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बसों के आने व जाने की एन्ट्रीज थानों में लिखना जरूरी है ?

(ख) यदि जरूरी नहीं है तो यह अमल थानों में क्यों चल रहा है ?

(ग) यदि जरूरी है तो इसके फलस्वरूप होने वाली परेशानियों से सरकार अवगत है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकार इन परेशानियों से अवगत है और उन परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न कर रही है।

२२६ (३९ पी. डबल्यू. एम.) श्री जवानसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सायर व आबकारी विभाग के कितने इन्सपेक्टर सिलेक्शन में आ जाने के बाद भी बिना काम सोंपे बेकार बैठे हैं ?

(२) कितने अफसर बिना सिलेक्शन मे आये इन्सपेक्टरों की जगह काम कर रहे हैं, और क्यों ?

उत्तर

सायर व आबकारी विभाग के सिलेक्शन में आजाने वाले इन्सपेक्टरों में से कोई भी बेकार नहीं बैठा है। ३८ आदमी बिना सिलेक्शन में आये इन्सपेक्टर का काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि सिलेक्शन में आये हुओं में से १४ आदमी तो केन्द्रीय आबकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं, १४ आदमी तब से रिटायर या बरखास्त हो गये हैं अथवा नौकरी से स्तीफा दे चुके हैं तथा अन्य ४ आदमी

एन्टी स्मगलिंग शाखा में कार्य कर रहें हैं एवं ६ अस्थायी रूप से एसिस्टेन्ट कमिश्नर का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार हुई ३८ जगहों पर दफ्तर का एक आदमी तो ऑडिट इन्सपेक्टर का कार्य कर रहा है क्योंकि उसे इस कार्य का अनुभव है। ७ आदमी एकीकरण विभाग द्वारा अस्थायी रूप से लगाये गये हैं। १४ ग्रेजुएट्स व ला ग्रेजुएट्स अस्थाई रूप से कार्य कर रहे हैं तथा १६ ऐसे आदमियों को अस्थाई रूप से लगाया है जो पहले इन्सपेक्टर रह चुके हैं, परंतु सिलेक्शन में नहीं आये हैं। उन्हें स्थाई रूप से नाकेदार बनाकर उनकी योग्यता देखते हुए यह अस्थाई तरक्की दी गई है। यह प्रबंध विभाग के हित को दृष्टि में रख कर किया गया है। रिक्त स्थानों को भरना आवश्यक है और कार्य की क्षति नहीं होने दी जा सकती।

227. (43/E.M.) Shri Triveni Shyam Sharma, M.L.A. (Div. No. 154) Will the Minister for Education be pleased to answer :—

(1) How many High Schools are there in Sikrai Tehsil ?

(2) Does he not consider the necessity at least of one High School there in view of its population of nearly one lac ?

उत्तर

There is no High School in Sikrai constituency.

The matter will be considered on the merit along with other such cases subject to the availability of funds.

२२८ (४१ सी. एम.) श्री बलवीरसिंह —क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

सरकार State Services तथा Ministerial Services के लिए Competitive Examinations का आयोजन क्यों नहीं कर रही है जब कि सभी राज्यों की सरकारें ऐसा कर रही हैं ?

उत्तर

The question of direct recruitment to the State and Ministerial Services did not so far arise because a large number of employees of the various Covenanting Units had to integrated and fixed up against suitable posts after the formation of Rajasthan.

२२९ (४४ सी. एम.) श्री तनसिंह—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कितने शरणार्थी गजेटेड आफिसर नियुक्त किये हुए हैं ?

Page No.92

(२) इनमें से कितने आर. ए. एस. हैं ?

(३) कितने शरणार्थी डिस्ट्रिक्ट ऑफीसर हैं ?

उत्तर

(1) 31

(2) 8

(3) This part is not intelligible.

230. (33/Dy.C.M.) Shri Mohabbat Singh, M.L.A. (Div. No. 100) Will the Deputy Chief Minister kindly state :—

(*a*) What is the total number of suspended police Sub-Inspector and Inspectors up-to-date in Rajasthan division-wise ?

(*b*) What is the duration of suspension in each case. ?

(१) १ जनवरी सन् १९५३ को राजस्थान पुलिस के कुल २६ अधिकारी, ३ इन्सपेक्टर एवम् २३ सब-इन्सपेक्टर मौत्तिल थे क्षेत्र एवम् वर्षानुसार पूर्ण विवरण इस प्रकार है—

	१९५१		१९५२	
क्षेत्र	इन्सपेक्टर	सब-इन्सपेक्टर	इन्सपेक्टर	सब-इन्सपेक्टर
जोयपुर रन्ज	..	२	..	७
जोधपुर रेन्ज	..	..	..	४
बीकानेर रेन्ज	..	..	..	१
उदयपुर रेन्ज	..	१	..	४
कोटा रेंन्ज	..	१	३	..
योग	..	४	३	१९

(२) उपरोक्त अधिकारियों के मौत्तिल रहने की अवधि निम्नानुसार है—

	इन्सपेक्टर	सब-ईन्सपेक्टर
१ वर्ष से अधिक	..	४
६ माह से अधिक	२	६
३ माह से अधिक	..	४
२ माह से अधिक	..	४
१ माह से अधिक	१	५
योग	३	२३

Page No.93

231. (34/Dy.C.M.) Shri Bhairon Singh Khejarla, M.L.A. (Div. No. 11) Will the Minister Incharge Planning kindly state :—

(*a*) Stage of progress in the various community projects and blocks in Rajasthan.

(*b*) The number of schools so far opened with the total number of pupils taken advantage through them.

(*c*) The method of recruitments of teaching staff in such schools together with the scales of pay ?

उत्तर

(क) राजस्थान में सामुदायिक योजना का कार्यक्रम प्रारम्भिक अवस्था में है और इसके बाद द्रुतगति से क्रियात्मक कार्य करने की अवस्था होगी—

(ख) अब तक ६७ स्कूल खोले गये हैं और ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या जो उनसे लाभ उठा रहे हैं १८२७ हैं।

(ग) इन स्कूलों में अध्यापक गण की या तो राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है अथवा जहां अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध नहीं हो सके हैं वहां अध्यापकों की नियुक्तियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के परामर्श से की गई है। अध्यापकों के वेतन दर वे ही हैं जो शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिये लागू हैं।

२३२. **(४१ पी. डब्ल्यु. एम.) श्री जवानसिंह**—क्या यातायात मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सिरोही मोटर सर्विस को क्या नेशनलाइज करने का सरकार का इरादा है ?

(२) सिरोही मोटर सर्विस की आमदनी सरकार ने अपने हाथ में व्यवस्था लेने से पहिले के मुकाबले घटाई या बढ़ाई ?

(३) उपरोक्त व्यवस्था, सरकार के हाथ में आने के बाद से वार्षिक आमदनी क्या हुई है और है और उसके पहले वार्षिक आमदनी कितनी थी और ऐसा क्यों ?

(४) क्या सरकार के पास ऐसे भी प्रार्थी मौजूद थे जो सिरोही मोटर सर्विस की आमदनी को पहिले की तरह ही कमा कर देने को तैयार थे ?

(५) सिरोही मोटर सर्विस के नौकरों को जो सालाना बोनस मिलता था वह अब दो साल से क्यों बकाया है ?

(६) सिरोही मोटर सर्विस के नौकर क्या सरकारी नौकर हैं ?

उत्तर

१. यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

२. सिरोही मोटर सर्विस की व्यवस्था सरकार ने ७-२-५२ से ली। दिनांक १-९-५१ से ६-२-५२ तक जो आमदनी हुई ६-२-५२ के बाद उससे कुछ अधिक ही हुई।

३. १-९-५१ के पहिले औसतन सालाना आमदनी लगभग १,५७,००० रुपया होती थी। १-९-५१ से ६-२-५२ तक जब तक कि कार्य श्री आचार्य के हाथ में था ५९,५२७ रुपयों की आमदनी हुई इससे वार्षिक आमदनी १,२९,८०० रुपया होती है।

७-२-५२, जब कि व्यवस्था सरकार के हाथ में आई, से ३१-१-५३ तक आमदनी १,३७,९९७ रुपया हुई जिससे कि वार्षिक आमदनी १,४०,२६५ रुपया होती है।

इन आंकड़ों से ज्ञात होगा कि गवर्नमेंट के हाथ में आने के बाद में श्री आचार्य के मुकाबले में आमदनी में कमी नहीं हुई—

१-९-५१ से आमदनी में कमी होने के कारण निम्नलिखित हैं—

(क) मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्तर्गत सरकार ने किरायों की दरें नियत करदीं जब कि पहिले सिरोही मोटर सर्विस ९ पाई फी यात्री किराया वसूल करते थे। सरकार द्वारा किराया निश्चित करने के बाद ८ पाई फी यात्री ही लेना पड़ा इससे करीबन १०,७०० रुपया का नुकसान सिरोही मोटर सर्विस की आमदनी में हुआ।

(ख) मोटर व्हीकल्स एक्ट लागू होने के पहिले सिरोही मोटर सर्विस की बसों में प्रथम व द्वितीय दर्जे की सीटें थीं। सन् १९५१ में एक्ट के लागू होने के बाद यह भिन्नता दूर करनी पड़ी और इस सर्विस को करीबन ७,२०० रुपयों का इस कारण आमदनी में घाटा हुआ।

(ग) एक्ट के लागू होने, के पहिले माल लाने लेजाने का सर्वाधिकार सिरोही मोटर सर्विस को था। एक्ट लागू होने के बाद यह सर्वाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त किराया भी ४ १/२ पाई फी मन से ३ पाई फी मन करना पड़ा। इन दोनों कारणों से इस सर्विस कर से करीबन १२,००० रुपये सालाना का आमदनी में घाटा हुआ

(घ) एक्ट के पहिले स्पेशल बसेज चलाने के लिये १ १/२ गुना किराया यह मोटर सर्विस लिया करती थी सन् १९५१ के बाद स्पेशल बस को अधिक किराया लेने का अधिकार नहीं रहा सन् १९५१ के पहिले यह सर्विस प्रत्येक यात्री से कम से कम चार आने किराया लिया करती थी। एक्ट लागू होने के बाद इसको ऐसा कोई अधिकार न रहा और अब प्रत्येक मील की दर से किराया लेना पड़ता है। इन दो कारणों से इस सर्विस को करीबन २५०० रुपया का नुकसान आमदनी में रहा।

इस तरह से करीबन ३२,५०० रुपये का घाटा सालाना १-६-५१ के बाद में सिरोही मोटर सर्विस को हुआ जो कि अनिवार्य है और कोई भी इस सर्विस को चलादे उसे यह कमी कभी सहन करनी ही पड़ेगी। यदि रकम को ७-२-५२ के बाद में बतलाई हुई आमदनी में शामिल कर दिया जाय तो कुल रकम १,७३,००० रुपया होगी जो कि पिछले वर्षों की ओसतन आमदनी १,५७,००० से अधिक है।

४. नहीं

५. बोनस साल के खत्म होने पर दिया जाता है। बोनस केवल एक साल १-६-५१ से ३१-८-५२ का ही बकाया है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाय अथवा बोनस दिया जाय। यह प्रश्न विचाराधीन है।

६. सिरोही मोटर सर्विस के नोकर अभी तक सरकारी नोकर नहीं हैं

२३३ (४२ पी. डबल्यू. एम.) श्री तनसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री महोदय निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बाड़मेर तहसील से अकाल के कारण कोई अपनी मवेशी पालनपुर ले जाना चाहे तो उसको नहीं ले जाने दिया जाता है ?

(२) ऐसी कोई शिकायत कलेक्टर बाड़मेर को की गई है ?

(३) यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

उत्तर

१. गाय और भैंस की निकासी तो वन्द है। अन्य मवेशी निर्यात शुल्क देने पर निकास किये जा सकते हैं। चराई के लिये मवेशियों का बिना निर्यात शुल्क लिये पालनपुर निर्यात करने की विशेष आज्ञा राजस्व विभाग द्वारा तस्दीक किये जाने पर दी जाती है।

२. प्रथक राजस्व विभाग की जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं आई।

३. प्रश्न नहीं उठता।

234. (46/E.M.) Shri Mohabbat Singh, M.L.A. (Div. No. 100) **Will the** Minister for Education state :—

(*a*) Whether it is contemplated to start girls schools in Sirohi and in its District ?

(*b*) If so by what time ?

(*c*) If not, why ?

उत्तर

सिरोही में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें छात्र और छात्रायें एक ही इमारत में शिक्षा पाती हैं। इस पाठशाला में अध्यापिकायें भी काम करती हैं और छात्राओं के सेक्शन्स अलग हैं।

आगामी वर्ष से छात्राओं के सेक्शन्स इस स्कूल से अलग करके गर्ल्स स्कूल अलग खोलने का विचार है।

सिरोही जिले में कन्या पाठशालायें खोलने के विषय में वहां की आवश्यकता को तथा सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य ऐसे मामलों के साथ विचार किया जायगा।

235. (47/C.M.) Shri Triveni Shyam Sharma, M.L.A. (Div. No. 154) Will the Chief Minister be pleased to answer :—

(1) What is the present use of—Palkikhana, Naqarkhana, Lawajma Music staff, Feelkhana, Mashal khana, Khyalkhana and Bera Khawas chela ?

Is there existence in any way, necessary either for the State or for the public at large.

उत्तर

1. There was a use of these Kharkhanas in good old days. All the Karkhanas mentioned in the question have, however, already been abolished now.

2. In view of the above reply, this question does not arise.

236. (49/C.M.) Shri Treveni Shyam Sharma, M.L.A. (Div. No. 154) Will the Dy. Chief Minister be pleased to answer :—

(*a*) Whether the corruption at present is comperatively more or less.

(*b*) What are the means that keep him awake to corruption ?

(*c*) How many cases of corruption have been detected in the last six months in police department , in revenue department and supply department ?

उत्तर

(१) इस अवसर पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस समय भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है या नहीं। किन्तु अभी हाल में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग किन्चित राज्य कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ कर राज्य कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हुआ है।

भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को संगठित किया गया है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्यवाही कर सकें। जनता के सम्पर्क से भी प्राय: लाभदायक सूचनाएं में प्राप्त होती हैं।

(२) गत ६ मास में राजस्थान में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के कर्मचारियों ने १३ अभियोगों में कार्यवाही की है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(१) पुलिस विभाग . .	५
(२) न्याय . .	३
(३) सैटलमेन्ट . .	१
(४) शिक्षा . .	१
(५) कस्टम एवं एक्साईज विभाग .	१
(६) रेल्वे विभाग . .	१
(७) म्युनिसिपल कमेटी . .	१
	१३

237. (35/Dy. C.M.) Shri Bhiaron Singh Khejarla, M.L.A. (Div. No. 11): Will the Minister Incharge Planning kindly state :—

(*a*) Whether he is aware that Government of India has announced 55 new community projects.

(*b*) In view of the inadequate allotment in the first stage are efforts being made to get greater share for Rajasthan this time ?

उत्तर

(अ) हां

(ब) हां

२३८. (३८ डी. सी. एम.) श्री मोतीराम—क्या गृह मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

एन्टी-करप्शन ब्रांच खुलने के बाद आज तक गंगानगर जिले में कितने रिश्वतखोर कर्मचारियों को दन्ड दिया गया है ? उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

उत्तर

१. एन्टी-करप्शन ब्रांच खुलने के बाद आज तक गंगानगर जिले में १८ दरख्वास्तें भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरुद्ध आई इनमें से ७ प्रमाणित नहीं हुई ७ अभी तक विचाराधीन हैं, ४ प्रमाणित

हो चुकी है और महकमाना कार्यवाही के लिये सिफारिश की गई है। चूंकि अभी तक पूर्ण रूप से निश्चय नहीं हुआ, इन कर्मचारियों का नाम बतलाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा।

२३९. (४६ पी. डब्ल्यू. एम) श्री तनसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बाडमेर के शराब का ठेका कितने रुपयों में दिया गया है ?

(२) ठेकेदार को सालाना कितने रुपये की शराब बिक्री के लिये दी जाती है ?

(३) बाडमेर के उक्त ठेकेदार को कितना रुपया बतौर कमीशन प्राप्त होता है ?

उत्तर

१. बाडमेर के शराब का ठेका ५२-५३ का २५,००० में दिया गया है।

२. इस ठेके की औसत सालाना बिक्री प्राय: ४,००० एल. पी. गैलन की है और ठेकेदार को बिक्री की आवश्यकतानुसार यथेष्ट शराब दी जाती है। प्राय: एक लाख रुपये सालाना की बिक्री इस दुकान पर होती है।

३. बाडमेर के उक्त ठेकेदार को १२,००० बतौर कमीशन प्राप्त होता है।

२४०. (४४ पी. डब्ल्यू. एम.) श्री तनसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

बाडमेर में जल कष्ट को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

बाडमेर की संक्षिप्त जलवितरण योजना समाप्ती पर है। इस योजना का अनुमानित व्यय ५२,५०० रुपये आंका गया है।

अन्य कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

241. (32/C.M.) Shri Bhairon Singh, Khejarla, M.L.A. (Div. No. 11): Will the Chief Minister kindly place a list of the various Central Plans from which the State of Rajasthan is likely to derive benefit ?

उत्तर

The Schemes which are included in the Central sector and from which the State of Rajasthan will derive benefit are :—

(1) Chambal Valley Development Scheme.

(2) Bhakra Nangal Project, and

(3) Harike Project.

२४२. (५३ सी. एम.) श्री भैरूंसिंह—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) १–४–५२ से स्टेट गरेज के कितने परमानेन्ट व टेम्पोरेरी कर्मचारी कमी किये गये ?

(ब) १–४–५२ से कितने ड्राईवर स्टेट गेरेज में परमानेन्ट और टेम्पोरेरी तौर पर रखे गये ?

उत्तर

१. ५७ परमानेन्ट व १३ टेम्परेरी; इनमें से ४० परमानेन्ट कर्मचारियों को दूसरे महकमों में नौकरी मिल गई है। इनमें २५ परमानेन्ट ड्राईवर हैं जिनकी गरेज से कमी की गई है।

२. नया कोई ड्राईवर भरती नहीं किया गया। पुराने ड्राईवरों में से इस समय ७५ काम कर रहे हैं जो सब के सब परमानेन्ट हैं।

243. (40/Dy. C.M.) Raja Shri Man Singh, M.L.A. (Div. No. 98) : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) What saving has accrued by abolishing the old Government Presses and by having the Government work done by private presses ?

(b) Will the Government consider distributing the work evenly to all the presses, instead of only to the presses which are owned by Congress-men ?

उत्तर

(a) No Presses have been abolished. Only smaller ones have been merged in bigger ones, This resulted in the reduction of one officer and staff for Sirohi. All the technical staff had been absorbed. There is thus no question of saving.

The printing of electoral rolls which required timely publication was entrusted to private presses by the Govt. as the Govt. Presses were not in a position to cope with the huge volume of additional work.

(b) No printing work is distributed by Govt. When the demand of any particular Department cannot be met in the desired time, a certificate is issued so that the work can be carried out by Private Press.

Page No.100

Instructions were never issued by the Government to get printing work done by presses owned by any particular political party.

२४४. (४५ पी. डब्ल्यू. एम.) श्री रामरतन टिक्कीवाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) टोंक जिले में जिला हैड क्वार्टर को तहसीलों से जोड़ने वाली टोंक से डिग्गी एवं टोंक से अलीगढ़ तक सड़कें अब तक क्यों नहीं बनाई गई ?

(ख) क्या आयन्दा वर्ष तक इन अत्यन्तावश्यक सड़कों के निर्माण के लिये व्यवस्था की जा सकेगी ?

उत्तर

द्रव्याभाव के कारण यह सड़कें नहीं बनाई जा सकी हैं किन्तु पंच वर्षीय योजना में दोनों सड़कें सम्मिलित करली गई हैं और यदि भारतीय सरकार ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावानुसार द्रव्य दे दिया तो टोंक से मालपुरा की सड़क का कार्य १९५३-५४ में प्रारम्भ कर दिया जायगा। यह सड़क टोडा-रायसिंह से डिग्गी जाने वाली सड़क से मालपुरा पर मिल जायगी तथा अलीगढ़ टोंक सड़क का कार्य भी १९५४-५५ में आरम्भ हो सकेगा।

245. (47/P.W.M.) Shri Triveni Shaym Sharma, M.L.A. (Div. No. 154) : Will the Minister for P.W.D. be pleased to answer :—

When will the roads connecting Geejgarh, Bhandrez, Sikrai, Manpur and Itka with main trunk road be constructed ?

उत्तर

गीजगढ रोड :—निकट भविष्य में ही कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है; भारत सरकार से स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जारही है।

भाण्डारेज रोड :—इस सड़क के निर्माण का अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है।

सिकराय रोड :—इसका कार्यारम्भ शीघ्र ही होने वाला है और लगभग चार मास में समाप्त हो जायगी।

मानपुर लिन्क रोड :—इसके लिये अभी कोई निश्चित विचार नहीं है।

इटका रोड :—इस नाम का कोई नगर इस डिविजन में नहीं है। यदि यहां बाटका नगर से अभिप्राय है तो उत्तर यह है कि इस सम्बन्ध में प्राथमिक कार्यवाही जारी है।

२४६. (५४ सी. एस.) श्री भैरूं सिंह—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) तारीख १–४–५२ से हर विभाग में कितने आदमी परमानेन्ट और कितने टेम्पोरेरी रखे गये ?

(ब) इनमें से कितने आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन के मारफत रक्खे गये ?

(स) १–४–५२ से विभागानुसार कितने आदमी कमी किये गये जिनमें से परमानेन्ट कितने थे और टेम्पोरेरी कितने थे ?

उत्तर

(a) Information regarding Gazetted Officers alone is available. In all 82 permanent and 55 temporary officers were employed (as per statement enclosed).

(b) 94.

(c) 14 out of whom 12 were permanent and 2 temporary.

Statement showing the permanent and temporary Gazetted Officers.

Name of Department.	*Permanent.*	*Temporary.*
1. Commerce and Industries Deptt.	2.	2.
2. Jails.		1.
3. Sales Tax.		1.
4. Accounts Deptt.		1.
5. Mines and Geology.		1.
6. Development Deptt.		1.
7. Evacuee Property Deptt.		1.
8. Employment Exchange.		1.
9. Labour.		1.
10. Education Deptt.	60.	9.
11. Elec. and Mech. Deptt.		3.
12. Secretariat.	3.	1.
13. P. W. D.		24.
14. Police.	11.	2.
15. Medical.	6.	6.
Total ...	82.	55.

247. (61/C.M.) Raja Shri Man Singh, M.L.A. (Div. No. 98) : Will the Transport Minister be pleased to state :—

(a) Whether the Government is considering to nationalise public motor and transport services ?

(b) If so when ?

उत्तर

१. यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

२. इस विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ ।

248. (62/C.M.) Raja Shri Man Singh, M.L.A. (Div. No. 98) : Will the Dy. Chief Minister be pleased State :—

Whether the Rajasthan Government have approached the Central Government with a request to bear the expenses of the Border Police, which guards the frontier between Rajasthan and Pakistan and which is at present being maintained by the Rajasthan Government.

उत्तर

Yes.

२४९. (४१ पी. डब्ल्यू. एम) श्री जगमालसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या सरकार आबकारी व सायर के मुकदमों की पैरवी अलाउन्स पर ही मौजुदा तरीके से वकीलों द्वारा करानी चाहती है या सरकारी पैरोकार नियुक्त करना चाहती है ?

उत्तर

"The question of appointment of permanent prosecuting Inspectors in place of Part-time Parokars is under consideration of the Government".

२५०. (५० पी. डब्ल्यू. एम.) श्री भैरूंसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या जोधपुर फिल्टर हाउस से शहर तक पाइप लाइन ठीक है ?

(ब) अगर जवाब नहीं में है तो सरकार द्वारा उसे बदलने की कब तक आशा की जा सकती है ?

Page No.103

उत्तर

(अ) अभी तक इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई है।

(ब) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

251. (57/P.W.M.) Raja Shri Man Singh, M.L.A. (Div. No. 98) : Will the Minister for Customs be pleased to state :—

(a) What is the difference in price of petrol at Bharatpur and at Jaipur ?

(b) Is it a fact that the difference in cost of petrol at these two places is due to customs duty ?

(c) Does the Government intend to remove the Customs duty on petrol at Bharatpur to bring the prices down at par with Jaipur price ?

उत्तर

(अ) भरतपुर और जयपुर में पेट्रोल के भावों में क्या अन्तर है, इसकी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(ब) अगर कोई अन्तर है भी तो यह कस्टम शुल्क के कारण नहीं हो सकता। कस्टम शुल्क की दर तो ४ आना प्रति गैलन है जो सारे राजस्थान के लिये समान है।

(स) भरतपुर में आयात होने वाले पेट्रोल पर से कस्टम शुल्क हटा कर विभिन्नता उत्पन्न करने का कोई इरादा सरकार का नहीं है।

252. (58/P.W.M.) Raja Shri Man Singh, M.L.A. (Div. No. 98) : Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :—

(a) Whether any construction of bridge has been made at a place called the "Ghugas" between Bayana and Baretta in Bharatpur District ?

(b) What scheme the Government have got to utilise this construction ?

(c) How much money has been spent on this construction ?

उत्तर

बयाना और बरेठा के बीच लोक कर्म विभाग द्वारा कोई पुल नहीं बनाया गया है।

253. (59/P.W.M.) Raja Shri Man Singh, M.L.A (Div. No. 98) : Will the Minister for Customs be pleased to state :—

Whether he is aware that the customs duty and the octroi duty charged on sand imported into Bharatpur District from Muttra and Agra is

Page No.104

prohibitive, and that the common-man has almost stopped building residential houses and wells ?

उत्तर

बजरी के आयात पर कोई कस्टम नहीं लिया जाता है। भरतपुर में इस पर चुंगी तो स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार कस्टम कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित दरों पर वसूल की जाती है पर केवल वसूली का भार कस्टम कर्मचारियों पर है। चुंगी की दरों पर कोई नियन्त्रण इस विभाग का नहीं है। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कर के अधिक होने के कारण साधारण मनुष्यों ने मकान या कुये बनाने ही बन्द कर दिये हैं।

अ. एक ट्रक बजरी का भरा हुआ........................ ४. आने

ब. बैलगाडी .... २. आने

स. ठेला .... १. आना

---

७५४. (६० पी. डबल्यू. एम) श्री गुरुदयालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

१. नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से गंगानगर जिले को कितनी बिजली मिलेगी और कब तक ?

२. उसमें से गंगानगर के देहातों को कितनी मिलेगी ?

३. क्या सरकार देहातों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दिलाने का प्रबन्ध करेगी ?

उत्तर

भाखरा नांगल योजना से लगभग १५००० किलोवाट बिजली मिलने की आशा है।

सन् १९५४ तक मिलने की संभावना है किन्तु कोई लिखित तारीख बतलाना कठिन है बिजली प्रचुर मात्रा में मिलेगी और सम्भाग में अभाव की कोई आशंका न रहेगी।

इस सम्बन्ध में भाग का ठीक ठीक पता लगाने के लिये लोड सर्वे किया जाने वाला है।

२५५. (६१ पी. डबल्यु. एम.) श्री गुरुदयालसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

खल "आइल केक्स" पर जो १ रुपया प्रति मन जकात है वह क्यों है; जबकि वह चारा की जद में आती है ?

उत्तर

खल के निर्यात पर एक रुपया फी मन निर्यात शुल्क इसलिये है कि इसका निर्यात इतना न हो जावे कि अन्दरूनी उपयोग के लिये कमी महसूस होने लगे। चारे का निर्यात बन्द है, खल का निर्यात शुल्क चारे की कमी को दूर करने के कारण अधिक रक्खा गया है जो मवेशियों के लिए आवश्यक चारा है।